[2021] 2 एस. सी. आर. 677

कल्पराज धर्मशी और ए. एन. आर.

वी.

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। & एएनआर।

(सिविल अपील सं। 2943-2944 2020 का)

10 मार्च, 2021

[ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एसएस। 10 , 61 , 238 ए-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण आदि के समक्ष कार्यवाही या अपील -

सीमा अधिनियम-तथ्यों पर, आवेदन यू/एस। 10 निगमित ऋणदाता द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए

क्रमिक रूप से पाँच फॉर्म जी अधिसूचित-समाधान आवेदक-केआईएएल

निर्धारित समय के भीतर समाधान योजना (आर. पी.) प्रस्तुत की गई और समाधान आवेदक-कल्पराज ने निर्धारित समय के बाद योजना प्रस्तुत की

के. आई. ए. एल. द्वारा उठाई गई आपत्ति-बाद में द्वारा दिए गए निर्देश पर

ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.), के. आई. ए. एल. और कल्पराज द्वारा संशोधित योजना प्रस्तुत करना-इसके बाद कल्पराज-के. आई. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना की मंजूरी ने कल्पराज के प्रस्ताव की मंजूरी को चुनौती दी।

एन. सी. एल. टी. के समक्ष योजना-एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित कल्पराज की योजना-इसके बाद, के. आई. ए. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया गया-के. आई. ए. एल. ने फिर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की, जिसे अनुमति दी गई, जिसमें कल्पराज के इस कथन को खारिज कर दिया गया कि अपील आई. बी. सी. में निर्धारित सीमा अवधि से परे दायर की गई थी-पर

अपील की गई: एस के प्रावधान। 14 सीमा अधिनियम के नियम के. आई. ए. एल. के लिए उपलब्ध हैं-अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करना। 14 , के. ए. आई. एल. उस अवधि को हटाने का हकदार था, जिसके दौरान वह सद्भावना से और उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपाय का मुकदमा चला रहा था, इस प्रकार, सीमा के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपील-हालांकि इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन यह उच्च न्यायालय का रुख कर रहा था क्योंकि एन.

सी. एल. टी. के कामकाज के संबंध में मुद्दा भी विचार के लिए था-उच्च न्यायालय ने के. आई. ए. एल. को कानून में उपलब्ध एक वैकल्पिक उपाय के लिए खारिज करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय

न्यायालय अनुच्छेद के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता था। 226 चूंकि, शिकायत एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में थी जो प्राकृतिक न्याय-सीमा अधिनियम, 1963 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 29 (2) भारत का संविधान-कला। 226 .

कल्पराज की विलंबित समाधान योजना की स्वीकृति पर के. आई. ए. एल. द्वारा आपत्ति-हालांकि, जब कोई विकल्प नहीं बचा, तो के. आई. ए. एल. ने संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की -

के. आई. ए. एल. का संचालन, यदि के. आई. ए. एल. द्वारा छूट और स्वीकृति के बराबर है ताकि इसे कल्पराज की भागीदारी को चुनौती देने से रोका जा सके।

आयोजित किया गया: केआईएएल ने अन्य आवेदक की भागीदारी पर आपत्ति जताई थी

अंतिम प्रपत्र जी के अनुसार नियत तिथि के बाद योजना प्रस्तुत करना और

कल्पराज की भागीदारी पर अपनी आपत्ति दोहराई-यह नहीं हो सकता

कहा जा सकता है कि संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करके भाग लेने के बाद, के. आई. ए. एल. को संकल्प के निर्णय को चुनौती देने से हटा दिया गया है।

व्यावसायिक (आर. पी.) या सी. ओ. सी. स्वीकृति और छूट के आधार पर-केवल इसलिए कि संशोधित योजनाओं को "पूर्वाग्रह के बिना" शब्दों के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा-के. आई. ए. एल. के पास प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 11.2 को देखते हुए अपनी संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था-अगर उसने जवाब नहीं दिया होता, तो उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का जोखिम उठाना पड़ता-साथ ही यह भी स्थापित नहीं होता है कि के. आई. ए. एल. ने कानूनी उपायों का सहारा लेने के अपने अधिकारों को छोड़ दिया था/आत्मसमर्पण कर दिया था, और यह कि छूट या सहमति के कारण पक्षों ने अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति में बदलाव किया था।

एसएस। 10 , 30 , 31 - समाधान योजना की प्रस्तुति और अनुमोदन-ऋणदाताओं की समिति का निर्णय-प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सी. ओ. सी.

समाधान आवेदक की योजना-कल्पराज-एन. सी. एल. ए. टी. ने समाधान योजना को स्वीकार करने के सी. ओ. सी. के निर्णय को रद्द कर दिया-एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सी. ओ. सी. के निर्णय में हस्तक्षेप-की शुद्धता-आयोजित: क़ानून ने समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के साथ अधिकार क्षेत्र और अधिकार का निवेश नहीं किया है-सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय सीमित दायरे के यू/एस. के। 30 और संहिता के 31-सी. ओ. सी. का निर्णय 84.36% के भारी बहुमत से लिया गया था-केवल के. आई. ए. एल. के पक्ष में मतदान करने वाले लेनदार ने मतदान किया है।

0.97% के अधिकार-सी. ओ. सी. के निर्णय को दिए गए सर्वोच्च महत्व को देखते हुए, सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय में हस्तक्षेप करने में एन. सी. एल. ए. टी. कानूनी रूप से सही नहीं है-इसके अलावा, एक लंबी अवधि के लिए,

कल्पराज की समाधान योजना के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी और उक्त अवधि के दौरान

इस अवधि में, कल्पराज ने योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी राशि खर्च की है-इस प्रकार, सी. ओ. सी. द्वारा अपने वाणिज्यिक ज्ञान के अनुसार लिया गया निर्णय जो एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत अनुमोदित है, प्रबल होगा।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

-

संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजना-निर्णय

लेनदारों की समिति-कानून की अदालत में न्याय्यता - चर्चा की।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 14 - अर्ध से पहले की कार्यवाही

न्यायिक न्यायाधिकरण-एस की प्रयोज्यता। 14- आयोजित किया गया: यद्यपि सख्ती से, एस के प्रावधान। 14 इससे पहले की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा

एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण, हालांकि, अंतर्निहित सिद्धांत

वही लागू होगा-उचित दृष्टिकोण आगे बढ़ने का होगा। कार्यवाही को निरस्त करने के बजाय न्याय का कारण-वादी

वह उस अवधि के बहिष्करण का हकदार होगा, जिसके दौरान वह था

इस तरह के गलत उपाय पर ईमानदारी से मुकदमा चलाना।

सिद्धांत/सिद्धांत: छूट और स्वीकृति का सिद्धांत

कब आयोजित किया जा सकता है: छूट एक इरादतन है

किसी अधिकार, लाभ, लाभ, दावा या विशेषाधिकार का त्याग

-

छूट के सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि हालांकि एक पक्ष प्रासंगिक तथ्यों और अधिकार के बारे में जानता था

यह स्थापित करना होगा कि एक पक्ष ने स्पष्ट रूप से या अपने आचरण से कार्य किया एक तरह से, जो अपने अधिकारों की निरंतरता के साथ असंगत है

जबकि, सहमति एक ऐसा आचरण होगा जिसमें एक पक्ष बैठा हो।

द्वारा, जब दूसरा अपने अधिकारों पर आक्रमण कर रहा है-अधिग्रहण होना चाहिए

जैसे कि एक बनाने के लिए पर्याप्त लाइसेंस के निष्कर्ष की ओर ले जाना

प्रतिवादी में नया अधिकार।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यद्यपि सीमा अधिनियम के प्रावधान, के रूप में

जहां तक हो सके, पहले की कार्यवाही या अपीलों पर लागू होगा

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी., ऋण वसूली न्यायाधिकरण

या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां की अवधि

कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा किसी के तहत प्रदान की गई है

विशेष या स्थानीय कानून, द्वारा निर्धारित अवधि से अलग अनुसूची, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि ऐसी अवधि

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी। यह आगे बढ़ेगा

प्रकट करें कि सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से किसी विशेष या विशेष द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित

स्थानीय कानून, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान,

केवल अब तक लागू होंगे, और जिस हद तक वे [2021] 2 एस. सी. आर. नहीं हैं।

इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत। [पैरा 37] [712-डी-जी]

1.2 चूंकि आई. बी. सी. संहिता के तहत एक अलग अवधि होती है जो अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमा से अलग होती है। अधिनियम, अपील के लिए सीमा सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 द्वारा शासित होगी, जो एक विशेष क़ानून है। इस प्रकार, एक अपील

एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर वरीयता दी जानी चाहिए। हालाँकि, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट है, कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो यह पंद्रह दिनों की आगे की अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार, आई एंड बी संहिता के तहत निर्धारित सीमा की सामान्य अवधि तीस दिन है, जिसमें पंद्रह दिनों की और अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनुमति देने का प्रावधान है, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट है, कि तीस दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। [पैरा 39] [713-ए-डी]

1.3 जब कोई ईमानदार वादी गलती से किसी गलत मंच के समक्ष मुकदमा करता है, तो वह उस अवधि को हटाने का हकदार होगा।

जिसके तहत वह ईमानदारी से इस तरह के गलत उपाय पर मुकदमा चला रहे थे। यद्यपि सख्ती से, सीमा की धारा 14 के प्रावधान

अधिनियम एक अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, हालांकि, उसी के अंतर्निहित सिद्धांत लागू होंगे अर्थात उचित दृष्टिकोण न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि अधिनियम को निरस्त करने के लिए।

कार्यवाही। [पैरा 51] [720-डी-एफ]

1.4 एन. सी. एल. टी. का निर्णय दिनांकित 28.11.2019 है। इस प्रकार, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (2) के अनुसार, अपील को 28.12.2019 पर या उससे पहले दायर करने की आवश्यकता थी। अपील की जा सकती थी

पंद्रह दिनों की आगे की अवधि के भीतर दायर किया गया, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट था, कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। इस प्रकार, उक्त अवधि 12.1.2020 पर समाप्त हो जाएगी। विवादित फैसले की प्रमाणित प्रति एन. सी. एल. टी. का विवरण 18.12.2019 पर उपलब्ध कराया गया था। यदि उक्त अवधि के लिए भत्ता दिया जाता है, तो अपील को 2.2.2020 पर या उससे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। हालाँकि, तत्काल मामले में, 18.2.2020 पर अपील दायर की जाती है। [पैरा 40] [713-डी-एफ] कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

1.5 एन. सी. एल. टी. द्वारा आई. डी. 1 पर अपना फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद और आई. डी. 3 पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाने से पहले ही, के. आई. ए. एल. ने मुख्य आधार पर आई. डी. 2 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। इस तरह के आधार को वैध रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक रिट अदालत के समक्ष। इस मायने में, यह गलत अदालत के समक्ष कार्यवाही नहीं थी। [पैरा 54] [723-बी-डी]

1.6 यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का गैर-प्रयोग

संविधान एक कठोर और तेज़ नियम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम का नियम है। जब किसी सांविधिक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही का आह्वान किया जाता है

अधिकारिता की स्थिति में या जब वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, तो पक्षकार को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार होगा।

संविधान। [पारस 59,61] [724-जी-एच; 725-एच; 726-ए]

1.7 तत्काल मामले में, रिट याचिका के अवलोकन से पता चलेगा कि यह के. आई. ए. एल. का विशिष्ट मामला था, कि समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आर. पी. के आवेदन पर आपत्ति जताते हुए इसके आवेदन की सुनवाई एक सदस्य (न्यायिक) द्वारा की गई थी, जबकि अंतिम आदेश एक पीठ द्वारा पारित किए गए थे जिसमें सदस्य (न्यायिक) और

सदस्य (तकनीकी)। इसने विशेष रूप से कहा है कि हालांकि इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन यह आह्वान कर रहा था

उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न उस तरीके के संबंध में भी था जिसमें एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिकारिता का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि के. आई. ए. एल. नेक इरादे से उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का मुकदमा चला रहा था। तिथियों के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि के. आई. ए. एल. उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही कर रहा था। प्रमाणित प्रति की उपलब्धता से पहले ही इसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले का मामला

उच्च न्यायालय का जोरदार विरोध किया गया और अंततः, याचिका को एक विस्तृत फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें के. आई. ए. एल. को कानून में इसके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय। इस प्रकार, वे शर्तें जो किसी पक्ष को सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करने में सक्षम

बनाती हैं, के. आई. ए. एल. के लिए बहुत उपलब्ध हैं। यदि वह अवधि जिसके दौरान के. आई. ए. एल. रिट याचिका [2021] 2 एस. सी. आर. पर मुकदमा चला रहा था।

उच्च न्यायालय के समक्ष और वह भी उचित परिश्रम के साथ, सीमा की धारा 14 के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करने से बाहर रखा गया है।

अधिनियम, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपील बहुत हद तक सीमा के भीतर होगी। के. आई. ए. एल. उस अवधि को हटाने का हकदार होगा जिसके दौरान वह उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार का मुकदमा चला रहा था। [पैरा 64] [726-ई-एच; 727-ए-सी]

1.8 तत्काल मामले में, केआईएएल ने एक विशिष्ट शिकायत करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि एनसीएलटी ने एक प्रक्रिया अपनाई थी

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। रिट याचिका में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन यह उच्च न्यायालय का रुख कर रहा था क्योंकि एन. सी. एल. टी. के कामकाज के संबंध में मुद्दा भी विचार के लिए था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि के. आई. ए. एल. नेक इरादे और उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपाय पर मुकदमा चला रहा था। किसी मामले में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता था, क्योंकि शिकायत एन. सी. एल. टी. द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में थी। यह एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमित क्षेत्र के भीतर आएगा। इसलिए, के. आई. ए. एल. उस अवधि के विस्तार का हकदार था जिसके दौरान वह एक पक्ष पर मुकदमा चला रहा था।

उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार। [पारस 83,85] [735-ए-डी; 736-ए]

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम बनाम। प्रधानाचार्य

सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य (2008) 7 एस. सी. सी. 169 [2008] 5 एस. सी. आर. 1108; एम. इस्पात निगम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एससीसी 58; गोवा राज्य बनाम पश्चिमी बिल्डर (2006) 6 एससीसी 239:

[2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 288; दूतावास संपत्ति

डेवलपमेंट्स प्रा. लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य और

अन्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1542 पर निर्भर थे। -

बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाम मदन लाल दास एंड संस, बरेली (1976) 4 एस. सी. सी. 464: [1977] 1 एससीआर 683

- इनक्यूरियम के अनुसार।

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8

एस. सी. सी. 470 [2001] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 619; सिंह राज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार।

उद्यम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

जमशेदपुर और ओआरएस। (2008) 3 एससीसी 70: [2007] 13 एस. सी. आर. 952; छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य। (2010) 5 एससीसी 23: [2010] 4 एससीआर 680; नीरज झांजी बनाम सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 12 एससीसी 695; केतन वी. पारेख बनाम विशेष निदेशक,

प्रवर्तन निदेशालय और ए. एन. आर. (2011) 15 एससीसी 30: [2011] 14 एससीआर 1204; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2009) 5 एससीसी 791; बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बनाम कल्याण चौधरी (2018) 3 एससीसी 41 [2018] 2 एससीआर 1099-प्रतिष्ठित।

बिक्री कर आयुक्त। उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर (1975) 4 एससीसी 22: [1975] 3 एस. सी. आर. 743-प्रतिष्ठित। व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स के पंजीयक, मुंबई और अन्य। (1998) 8 एससीसी 1: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 359; बाबू राम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम

[1950] एस. सी. आर. 459; नगर नगर परिषद, अथानी बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली और अन्य आदि। (1969) 1 एससीसी 873: [1970] 1 एस. सी. आर. 51; नित्यानंद एम. जोशी और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 199: 1970 (1) एस. सी. आर. 396; भूदान सिंह और एक अन्य बनाम नबी बक्स और दूसरा (1969) 2 एस. सी. सी. 481: [1970] 2 एससीआर 10; जे. कुमारदासन नायर और एक अन्य बनाम इरिक सोहन और अन्य (2009) 12 एससीसी 175: [2009] 3 एस. सी. आर. 238; केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम टी. पी. कुन्हालियममा (1976) 4 एससीसी 634: [1977] 1 एस. सी. आर. 996; विशेष कार्य अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) और एक अन्य बनाम शाह मणिलाल चंदूलाल

और अन्य (1996) 9 एस. सी. सी. 414: [1996] 2 एस. सी. आर. 366-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 केआईएएल के पास अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। के. आई. ए. एल. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आवरण पत्र का अनुच्छेद 5 (बी) एक आवरण पत्र प्रारूप का एक हिस्सा है।

जो प्रक्रिया ज्ञापन में ही प्रदान किया गया है। आवरण पत्र प्रारूप I में है और समाधान योजना प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा रखने वाले पक्ष के पास बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षों के पास समान सौदेबाजी की शक्ति है और आवेदकों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है -

प्रारूप में निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। आवरण पत्र प्रारूप के पैराग्राफ 5 (बी) में एक पक्ष को यह करने की आवश्यकता होती है कि वह सी. ओ. सी., आर. पी. और/या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को स्वीकार करेगा और लिए गए निर्णय उस पर बाध्यकारी होंगे। इसके लिए आवेदक को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे किसी भी और सभी दावों को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया जाता है। समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में। बदले में, यह एक पक्ष को एक शर्त पर सहमत होने का प्रावधान करता है, कि भले ही आर. पी. या सी. ओ. सी. किसी भी तरीके से कार्य करता है, जो कानून में अनुमत नहीं है, फिर भी संकल्प

आवेदक इस तरह के निर्णय से बाध्य होगा और समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में उसके किसी भी या सभी दावों को माफ कर देगा।

[पैरा 95] [739-एच; 740-ए-डी]

2.2 सबसे पहले, आर. पी. और समाधान आवेदक को समान सौदेबाजी करने वाले संविदाकारी पक्ष नहीं कहा जा सकता है। शक्ति। दूसरा, चूंकि आरपी आई एंड बी कोड के तहत कार्य करता है

उसे दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना और कॉर्पोरेट देनदार के अस्तित्व के लिए समाधान योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में सहायता करना, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आरपी और समाधान आवेदक के बीच विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन है। जब आर. पी. और सी. ओ. सी. संहिता के तहत वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य कर रहे हैं तो उक्त सिद्धांत को लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, के. आई. ए. एल. को इस प्रकार से बाध्य नहीं ठहराया जा सकता है

पत्र में असहनीय खंड, जो एक निर्धारित प्रारूप में है। [पारस 97,99,100] [740-ई-एफ; 741-बी-डी]

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 16 (2) , 4 टी एडन। , पैरा 907,1471-निर्दिष्ट

2.3 इस बात पर विचार करने के लिए कि किसी पक्ष ने अपने अधिकारों को माफ किया है या नहीं, किसी पक्ष के आचरण पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

छूट स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि एक पक्ष ने स्पष्ट रूप से या अपने आचरण से इस तरह से काम किया, जो उसके अधिकारों की निरंतरता के साथ असंगत है। लेकिन केवल के कृत्यों भोग माफी के बराबर नहीं होगा। छूट का दावा करने वाली पार्टी

2.4 सहमति या छूट का गठन करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि हालांकि एक पक्ष भौतिक तथ्यों को जानता है और किसी दिए गए मामले में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन जल्द से जल्द संभव अवसर पर अपने अधिकारों का दावा करने में विफल रहता है, यह उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी प्रतिबंध बनाता है। जबकि, सहमति एक ऐसा आचरण होगा जहां एक पक्ष बैठा हो, जब दूसरा उसके अधिकारों पर आक्रमण कर रहा हो। स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रतिवादी में एक नया अधिकार बनाने के लिए पर्याप्त लाइसेंस का अनुमान लगाया जा सके। छूट किसी अधिकार का जानबूझकर त्याग है। इसमें चेतना शामिल है। मौजूदा कानूनी अधिकार, लाभ, लाभ, दावा या विशेषाधिकार का परित्याग। यह अधिकार का दावा नहीं करने के लिए एक समझौता है। कोई छूट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने छूट दी है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और उसी के बारे में पूरी जानकारी के साथ, वह जानबूझकर उन्हें छोड़ देता है। [पैरा 112] [747-ई-जी]

2.5 9.7.2018 पर प्रकाशित EOI के निमंत्रण के अनुसार, EOI जमा करने की अंतिम तिथि 8.8.2018 थी। पहला फॉर्म जी

इसे 9.7.2018 पर भी जारी किया गया था, जिसके अनुसार समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि 21.9.2018 थी। के. आई. ए. एल. ने अपना ई. ओ. आई. 7.8.2018 पर जमा किया था। प्रथम प्रक्रिया ज्ञापन 17.8.2018 पर जारी किया गया था। हालाँकि, चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए विभिन्न तिथियों पर चार और फॉर्म जी जारी किए गए। ऐसे फॉर्मों में से अंतिम फॉर्म जी 11.12.2018 पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि 8.1.2019 थी। के. आई. ए. एल. ने अपनी समाधान योजना 8.1.2019 पर प्रस्तुत की। इसके बाद, कल्पराज ने 27.1.2019 पर अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की। के. आई. ए. एल. को इसके बारे में पता चलने पर, आई. डी. 1 पर ही, उसने कल्पराज की विलंबित समाधान योजना को स्वीकार करने के खिलाफ आर. पी. को एक ईमेल भेजा था। [पारस 116,117] [748-एफ-एच; 749-ए] [2021] 2 एस. सी. आर.

2.6 यह देखा जा सकता है कि कल्पराज द्वारा योजना प्रस्तुत करने के तुरंत एक दिन के भीतर, केआईएएल ने इस पर आपत्ति जताई

8.1.2019 के बाद अपनी योजना की स्वीकृति, जब समय का कोई विस्तार नहीं होता है

उसी के लिए सूचित किया गया था। यह विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त ने अपनी स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया और संहिता की भावना के खिलाफ था, खासकर जब केआईएएल की समाधान योजना को खोला गया था

तुरंत और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा की। इसलिए के. आई. ए. एल. ने आवश्यकता को साझा करने का अनुरोध किया है

बोली जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए जानकारी। यह आगे कहा गया है कि यदि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, तो 8.1.2019 के बाद प्रस्तुत की गई सभी योजनाओं को अमान्य माना जाना चाहिए। उक्त ईमेल के. आई. ए. एल. द्वारा आर. पी. को संबोधित किए जाने के बाद, उसे आर. पी. से 30.1.2019 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ। उक्त ईमेल दिनांक 30.1.2019 में कहा गया है कि 8.1.2019 पर प्रस्तुत समाधान योजना के बाद, सी. ओ. सी. के प्रतिनिधि और आर. पी. ने समाधान योजना में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों पर अपनी टीम के साथ विस्तृत चर्चा की। उक्त ईमेल दिनांक 30.1.2019 के माध्यम से, के. आई. ए. एल. से संशोधित समाधान योजना दोपहर 3 बजे तक 1.2.2019 पर जमा करने का अनुरोध किया गया था। 1.2.2019 पर, कोई विकल्प नहीं बचा था, के. आई. ए. एल. ने अपना संशोधित प्रस्तुत किया

समाधान योजना। [पारस 118,119] [749-ई-एच; 750-ए]

2.7 10.2.2019 पर के. आई. ए. एल. ने एक और ईमेल भेजा। इसमें कहा गया था कि काफी समय हो गया है कि उसने एक

प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक और समाधान योजना को स्वीकार करने के उनके निर्णय पर आर. पी. से प्रतिक्रिया। यह दोहराया गया कि बोलियों को खोलने और उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस तरह की कार्रवाई न केवल इसके हित के लिए प्रतिकूल थी, बल्कि आई एंड बी कोड की भावना के खिलाफ थी। यह दोहराया गया कि आई एंड बी कोड, कानून के ढांचे के भीतर सभी संभावित समाधान आवेदकों को समान व्यवहार प्रदान करता है और भेदभाव या स्थापित कानून से अलग होने की स्थिति में सी. ओ. सी. सदस्यों और आर. पी. पर व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को तय करता है। [पैरा 121] [750-डी-एफ]

2.8 अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि आर. पी. ने के. आई. ए. एल. को ईमेल दिनांक 11.2.2019 द्वारा जवाब दिया था। उक्त ईमेल में कहा गया था कि निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत

समाधान योजनाओं की स्वीकृति का उनका कार्य सी. ओ. सी. की समग्र देखरेख में था और सी. ओ. सी. के कानूनी सलाहकार और आर. पी. के कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय के अनुसार था।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण की भावना में था। इसके अलावा, यह

यह विवाद कि क्या आर. पी. ने के. आई. ए. एल. और कल्पराज को संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 11.2.2019 के ईमेल के माध्यम से फिर से निर्देश दिया था। के. आई. ए. एल. की ओर से यह दावा किया जाता है कि इस तरह का ईमेल उसे प्राप्त हुआ था, जबकि आर. पी. द्वारा इसका खंडन किया जाता है। किसी भी मामले में, यह विवाद में नहीं है कि के. आई. ए. एल. और कल्पराज दोनों ने अपनी संशोधित योजनाओं को 12.2.2019 पर प्रस्तुत किया। [पारस 122-123] [750-एफ-एच; 751-ए]

2.9 13/14.2.2019 को सी. ओ. सी. द्वारा कल्पराज की समाधान योजना को स्वीकार कर लिया गया। 18.2.2019 पर, RP ने M. A. No.691/2019 दाखिल किया।

पूर्वाग्रह ", से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। [पैरा 132] [753-ए-बी] 2.11 पक्ष का आचरण इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि कोई मामला छूट से बना है या

स्वीकृति। अपीलकर्ताओं में से कोई भी यह स्थापित करने की स्थिति में नहीं रहा है कि के. आई. ए. एल. ने कानूनी उपायों का सहारा लेने के अपने अधिकारों को छोड़ दिया था/आत्मसमर्पण कर दिया था। किसी भी मामले में, अपीलार्थी यह भी स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे कि इस तरह की किसी छूट या सहमति के कारण किसी भी अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में बदलाव किया था

[2021] 2 एस सी आर।

उनकी स्थिति उनके नुकसान के लिए। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि के. आई. ए. एल. ने आर. पी. या सी. ओ. सी. के निर्णय को चुनौती देने के अपने अधिकारों को माफ कर दिया था या स्वीकार कर लिया था। [पारस 132-134] [753-C-E]

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड

और एक अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और एक अन्य (1986) 3 एससीसी 156: [1986] 2 एससीआर 278; वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम भारत संघ और दूसरा (2012) 6

एससीसी 613: [2012] 1 एससीआर 573-पर निर्भर।

आईटीसी लिमिटेड बनाम आईटीसी लिमिटेड ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड और अन्य। (2018) 15 एस. सी. सी. 99 [2018] 5 एस. सी. आर. 516; तारापुर एंड कंपनी

बनाम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन और अन्र। (1984) 2 एससीसी 680: [1984] 3 एससीआर 118 विशिष्ट

सहायक महाप्रबंधक और अन्य बनाम राधे

श्याम पांडे (2020) 6 एससीसी 438; पायनियर अर्बन लैंड

एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविंदन राघवन

(2019) 5 एस. सी. सी. 725 [2019] 5 एस. सी. सी. 1169; मानक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद 1957 एस. सी. आर. 575 = ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 425; कृष्ण बहादुर बनाम पूर्णा थिएटर और अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 229: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 833; पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य

(2011) 14 एससीसी 770: [2011] 15 एससीआर 540; गलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया

बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2016) 14

एससीसी 161: 2016 (4) एस. सी. आर. 69-संदर्भित।

3.1 दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न तय करने के लिए, इस तरह के मूल्यांकन के लिए एकमात्र सही मंच है

संभावनाएँ, और निर्णय लेना, एक लेनदार समिति थी, जिसमें सभी वित्तीय लेनदारों के पास उनके द्वारा रखे गए ऋण के परिमाण के अनुपात में वोट होते हैं। दिवालियापन कानून सुधार समिति-बी. एल. आर. सी. ने पाया है कि अतीत में भारत में कानूनों ने दिवालियापन प्रक्रिया के सवाल में सरकार (विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका) के हथियार लाए हैं। समिति द्वारा इससे सख्ती से बचा गया है और यह प्रावधान किया गया है कि चूक करने वाली फर्म के उचित निपटान के संबंध में निर्णय, जो कि एक व्यावसायिक निर्णय है, केवल लेनदारों द्वारा ही लिया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि प्रस्तावों का मूल्यांकन कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

वित्तीय लेनदारों की समिति द्वारा लिया जाना आवश्यक है। यह प्रावधान किया गया है कि इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए समाधान के विकल्प पर सी. ओ. सी. द्वारा मतदान किया जाएगा और प्रस्तावों पर कोई बाधा नहीं है जो समाधान पेशेवर सी. ओ. सी. को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यकताएँ, कि संकल्प न्यायनिर्णायक को पुष्टि करने के लिए पेशेवर आवश्यकताएँ हैं: (i) कि समाधान के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी अंतरिम भुगतान की आवश्यकता होनी चाहिए।

दिवाला समाधान प्रक्रिया का वित्त और लागत होगी

अन्य भुगतानों के लिए प्राथमिकता में भुगतान; (ii) कि योजना में स्पष्ट रूप से उन सभी लेनदारों को भुगतान शामिल होना चाहिए जो समाधान लागू होने के बाद एक उचित अवधि के भीतर लेनदार समिति में नहीं हैं; और अंत में (iii) योजना को समाधानों को लागू करते समय इकाई के कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए। [पैरा 138] [760-बी-जी]

बाजार द्वारा प्रस्तावित समाधान। [पैरा 139] [760-जी-एच; 761-ए] 3.3 अपील कानून का एक सृजन है और यह कि कानून ने एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. टी. के साथ अधिकार क्षेत्र और अधिकार का निवेश नहीं किया है।

एन. सी. एल. ए. टी., समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए। सीमित न्यायिक समीक्षा, जो उपलब्ध है, किसी भी परिस्थिति में सी. ओ. सी. के बहुमत द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

[पारस 149,152] [766-बी-सी, जी-एच]

3.4 विधायी योजना असंदिग्ध है। द.

आई एंड बी कोड की धारा 30 और 31 के तहत प्रदान किए गए सीमित दायरे को छोड़कर, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 155] [768-ए-बी]

3.5 यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि आर. पी. द्वारा शक्तियों के प्रयोग में एक भौतिक अनियमितता हुई है, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. को उचित ठहराया गया था [2021] 2 एस. सी. आर.

आर. पी. हालांकि, यह देखा जा सकता है कि आर. पी. के सभी कार्यों पर सी. ओ. सी. की मंजूरी की मुहर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. पी. के लिए एक और फॉर्म जी जारी करना संभव था, यदि उन्होंने पाया कि प्रस्ताव अंतिम प्रपत्र जी में निर्दिष्ट तिथि से पहले उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जा सका। हालांकि, आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. का यह लगातार रुख रहा है कि आर. पी. के सभी कार्यों, जिसमें नियत तिथि के बाद कल्पराज की समाधान योजनाओं की स्वीकृति शामिल है, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संहिता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति से पहले, सी. ओ. सी. द्वारा जानबूझकर अनुमोदित किया गया है। फैसला

सी. ओ. सी. को 84.36% के भारी बहुमत से लिया जाता है। एकमात्र लेनदार जिसने के. आई. ए. एल. के पक्ष में मतदान किया, वह होल्डिंग कंपनी, कोटक बैंक है।

के. आई. ए. एल. के, जिनके पास 0.97% का मतदान अधिकार है। सी. ओ. सी. के निर्णय को दिए गए सर्वोच्च महत्व को देखते हुए, जिसे वाणिज्यिक ज्ञान के आधार पर लिया जाना है, सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय में 84.36% के भारी बहुमत से हस्तक्षेप करने में एन. सी. एल. ए. टी. कानूनी रूप से सही नहीं था। [पैरा 156] [768-बी-एफ]

3.6 एन. सी. एल. टी. द्वारा 28.11.2019 पर कल्पराज की समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद कल्पराज ने इसे लागू करना शुरू कर दिया था। समाधान योजना। एन. सी. एल. ए. टी. ने 27.2.2020 पर अपीलों पर सुनवाई की थी और उन्हें आदेशों के लिए सुरक्षित रखा था। द्वारा कोई रोक नहीं दी गई थी

एन. सी. एल. ए. टी., आदेशों के लिए मामलों को आरक्षित करते हुए। पाँच महीने के अंतराल के बाद, NCLAT ने 5.8.2020 पर अंतिम आदेश पारित किया। इस प्रकार, लंबे समय तक, कल्पराज की समाधान योजना के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। यह कल्पराज, आर. पी., सी. ओ. सी. और डॉयचे बैंक का मामला है कि उक्त अवधि के दौरान कल्पराज द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी राशि खर्च करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि के. आई. ए. एल. द्वारा इस पर विवाद करने की कोशिश की गई है। हालांकि ऐसा नहीं है।

इस निष्कर्ष के आलोक में मामले के उस पहलू में जाना आवश्यक है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. के सचेत वाणिज्यिक निर्णय में हस्तक्षेप करने में अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया।

[पैरा 157] [868-एफ-एच; 769-ए]

3.7 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 5.8.2020 के आदेश के अनुसरण में सी. ओ. सी. ने के. आई. ए. एल. की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है।

13.8.2020 . हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय दिनांक 5.8.2020 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

यह कानून की जांच में खड़ा नहीं होता है, इसका पालन करना चाहिए, कि सी. ओ. सी. द्वारा के. आई. ए. एल. की समाधान योजना की बाद की मंजूरी

कानून में गैर-कानूनी हो जाता है। क्योंकि यह केवल एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देशों का पालन करने के लिए था। इसे कुछ भी चालू नहीं करेगा। सी. ओ. सी. दिनांक 13/14.2.2019 का निर्णय एक निर्णय है, जो अपने व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हुए लिया गया है। इस प्रकार, सी. ओ. सी. द्वारा दिनांक 13/14.2.2019 पर लिया गया निर्णय, जो इसके वाणिज्यिक ज्ञान के अनुसार लिया जाता है और जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है, प्रबल होगा। इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बताए गए निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था

सीओसी द्वारा लिया गया। [पैरा 158] [769-बी-डी]

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य। (2019) 12 एससीसी 150: [2019] 3 एस. सी. आर. 845; लेनदारों की समिति

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। (2019) एससीसी

ऑनलाइन एससी 1478 पर भरोसा किया गया।

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन

वेंकटेश और अन्य (2020) 11 एससीसी 467; आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एस. सी. आर. 362 संदर्भित

4 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 5.8.2020 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांकित 28.11.2019 द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

उनका जीर्णोद्धार और रखरखाव किया जाता है। जहाँ तक, डी. नं. से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें। फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा दायर 2020 का 24125, चूंकि एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील अभी भी एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित है, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. को अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में, निर्धारित अवधि के भीतर। [पारस 159-160] [769-D-G]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33; कुमार दत्ता प्रोप। केडी.

ट्रेडिंग बनाम सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2019 एससीसी

ऑनलाइन NCLAT 575; आशा गोयल बनाम फार्मा ट्रेडर्स

प्रा. लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 150; राधिका

मेहरा बनाम वायु इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी और अन्य। 2020 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 532; धीरेंद्र कुमार बनाम रैंडस्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर. 2019 एससीसी ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 444: नीरज झांजी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त और केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

आबकारी (2015) 12 एस. सी. सी. 695; जी. जे. फर्नांडीस बनाम सी। कर्नाटक और ओआरएस। (1990) 2 एससीसी 488: [1990] 1

229 ; एनटीपीसी लिमिटेड (सिंहाद्री परियोजना) बनाम

चक्रवर्ती] 2020 की सिविल अपील संख्या 2798;

भारत और ओआरएस। बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड (2004) 3 एससीसी 458: [2004] 2 एससीआर 642; बी

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एन. आर. 2018

ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 565-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1990] 1 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2004] 2 एससीआर 642

संदर्भित किया गया है

एफ.

(2015) 7 एससीसी 58

उस पर भरोसा करें

एफ.

[1950] एससीआर 459

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1970] 1 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

आई.

[1970] 1 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1977] 1 एससीआर 996

संदर्भित किया गया है

आई.

[1996] 2 एससीआर 366

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2008] 5 एससीआर 1108

उस पर भरोसा करें

एफ.

इनक्यूरियम के अनुसार

[1977] 1 एससीआर 683

एफ.

[1970] 2 एससीआर 10

एफ.

संदर्भित किया गया है

[2009] 3 एससीआर 238

संदर्भित किया गया है

एफ.

प्रतिष्ठित

[1975] 3 एससीआर 743

एफ.

[1969] 1 एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

एफ.

359 संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर

एफ.

(2011) 14 एस. सी. सी. 337

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619 विशिष्ट

एफ.

[2007] 13 एससीआर 952

प्रतिष्ठित

एफ.

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

प्रतिष्ठित

एफ.

[2010] 4 एससीआर 680

प्रतिष्ठित

एफ आई वी। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड।

प्रतिष्ठित

पैरा 77

प्रतिष्ठित

पैरा 78

प्रतिष्ठित

पैरा 81

288 उस पर भरोसा करें

पैरा 81

उस पर भरोसा करें

पैरा 95,97,

100

संदर्भित किया गया है

पैरा 96

संदर्भित किया गया है

पैरा 98

संदर्भित किया गया है

पैरा 105

833 संदर्भित किया गया है

पैरा 108

संदर्भित किया गया है

पैरा 111

संदर्भित किया गया है

पैरा 113

प्रतिष्ठित

पैरा 127

प्रतिष्ठित

पैरा 128

उस पर भरोसा करें

पैरा 130

पैरा 136,

उस पर भरोसा करें

140 , 145 ,

146 , 148 ,

150

पैरा 136,

संदर्भित किया गया है

153

संदर्भित किया गया है

पैरा 141

न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.2943 कंपनी अपील (ए. टी.) में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली का टी और आदेश दिनांक 05.08.2020

5 2020 से।

138-3139 2020 का2949-2950 2020 से।

..... / 2021 (2020 की डायरी No.24125)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकेश रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, पिनाकी मिश्रा, सी. ए. सुंदरम, गोपाल शंकर नारायणन, पी. पी. चौधरी, के. वी. विश्वनाथन, नीरज किशल कौल, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री कल्पना उनादकट, प्रतीक कुमार, सुश्री ताहिरा करंजावाला, अनुपम प्रकाश, निधिराम शर्मा, सुश्री रवीना राय, उत्कर्ष मारिया, अनमोल जस्सल, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, डेविड राव, संजीत पुरोहित, मेसर्स विष्णु शंकर, अतुल शर्मा, श्रीराम परक्कट, सुश्री अथिरा जी. नायर, श्रुतंजय भारद्वाज, मेसर्स लॉफिक, धीरज नायर, विश्रुती साहनी, वर्गीज थॉमस, सुश्री अदिति देशपांडे, फातिमा कचवाला, जश शाह, धीरज नायर, गौरव अग्रवाल, सुश्री पूजा महाजन, अविनाश अमरनाथ, सुश्री महिमा सिंह, सुश्री अवनि श्रीवास्तव, रितेश कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. 2020 की डायरी संख्या 24125 में सिविल अपील दायर करने की अनुमति दी गई है।

2. ये सभी अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद संदर्भित) के निर्णय और आदेश पर हमला करती हैं।

"एन. सी. एल. ए. टी".) दिनांक 5.8.2020 के रूप में, कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या में पारित। 344-345 2020 से। 3. उक्त निर्णय और दिनांक 5.8.2020 के आदेश द्वारा, NCLAT ने कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया है।

(इसके बाद "के. आई. ए. एल". के रूप में संदर्भित), प्रतिवादी संख्या 1, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ (इसके बाद "एन. सी. एल. टी". या "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2019 के एम. ए. No.1039 और 2019 के एम. ए. संख्या 691 में पारित दो अलग-अलग आदेशों से व्यथित है। एन. सी. एल. ए. टी. ने उक्त एम. ए. में पारित उक्त आदेशों को दरकिनार कर दिया है। 2019 का एम. ए. सं. 1039 के. आई. ए. एल. द्वारा अनुमोदन देने पर आपत्ति जताते हुए दायर किया गया था। कल्पराज धर्मशी और रेखा झुनझुनवाला, एक संघ, (जिसे इसके बाद "कल्पराज" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लिए, जो सिविल अपील संख्या में अपीलार्थी है। 2943-2944 2020 से। एन. सी. एल. टी. ने खारिज कर दिया है

जबकि, 2019 की एम. ए. संख्या 691 को रीकोह इंडिया लिमिटेड के समाधान पेशेवर (जिसे इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अनुमोदन देने के लिए दायर किया गया था।

कल्पराज द्वारा। एन. सी. एल. टी. ने उक्त एम. ए. की अनुमति दी है और कल्पराज द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी है।

4. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः कॉर्पोरेट देनदार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 10 के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष 29.1.2018 पर एक आवेदन दायर किया।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

(कंपनी याचिका (आई. बी.) संख्या 156/एम. बी./2018 के माध्यम से खुद की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (इसके बाद "सी. आई. आर. पी". के रूप में संदर्भित) की शुरुआत के लिए इसके बाद "आई एंड बी कोड" के रूप में संदर्भित किया गया है। एन. सी. एल. टी. ने दिनांक 14.5.2018 के आदेश के माध्यम से याचिका को स्वीकार किया और सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 14 के तहत निर्धारित समय सीमा को लागू करने का निर्देश दिया और निर्देश दिया इसके परिणामस्वरूप कुछ वैधानिक कदम उठाए जाने चाहिए। आई. डी. 1 दिनांकित उक्त आदेश के अनुसार, एन. सी. एल. टी. ने श्री कृष्ण चमडिया को आई एंड बी संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्यों को करने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में भी नियुक्त किया। उक्त श्री कृष्ण चमडिया को बाद में समाधान पेशेवर के रूप में पुष्टि की गई (इसके बाद)

15.6.2018 पर लेनदारों की समिति (इसके बाद "CoC" के रूप में संदर्भित) द्वारा 'RP' के रूप में संदर्भित।

आर. पी. द्वारा दिनांकित अधिसूचना 9.7.2018 से एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (इसके बाद "ई. ओ. आई". के रूप में संदर्भित) आमंत्रित की गई है।

इच्छुक समाधान आवेदक, जिन्होंने उक्त दस्तावेज़ (ईओआई) में निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा किया हो। उक्त ई. ओ. आई. के अनुसार, यदि किसी प्रस्तावित आवेदक के पास कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण है, तो उसे आर. पी. को 31.7.2018 पर या उससे पहले लिखना आवश्यक था। ई. ओ. आई. को आर. पी. के ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से या 8.8.2018 पर या उससे पहले उक्त निमंत्रण में उल्लिखित पते पर डाक के माध्यम से जमा करने की आवश्यकता थी।

उक्त तिथि पर अर्थात 9.7.2018, समान रूप से, पहला प्रपत्र 'G' भी अधिसूचित किया गया। उक्त प्रपत्र 'जी' के माध्यम से, निर्धारित अंतिम तिथि

समाधान योजना प्रस्तुत करना 21.9.2018 पर या उससे पहले था। दूसरा फॉर्म 'जी' 24.8.2018 पर जारी किया गया, जिसके लिए समाधान योजनाओं को 28.9.2018 पर या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता थी। तीसरा फॉर्म 'जी' 28.9.2018 पर जारी किया गया, जिसके लिए समाधान योजनाओं को 25.10.2018 पर या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता थी। चौथा प्रपत्र 'जी' 9.11.2018 पर जारी किया गया, जिसके लिए समाधान योजनाओं को 13.12.2018 पर या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता थी। पाँचवाँ और अंतिम प्रपत्र 'जी' 11.12.2018 पर जारी किया गया, जिसके लिए समाधान योजनाओं को 8.1.2019 पर या उससे पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

के. आई. ए. एल., एन. सी. एल. ए. टी. (प्रतिवादी संख्या 1) के समक्ष अपीलकर्ता और एक कार्वी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

अंतिम और पाँचवें प्रपत्र 'जी' अर्थात 8.1.2019 में निर्धारित अंतिम तिथि पर समाधान योजनाएं।

एक अन्य आवेदक अर्थात वी. पी. सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

13.1.2019 पर एक सत्व रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "WEP" के रूप में संदर्भित) के साथ संयुक्त रूप से समाधान योजना।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं. में अपीलार्थी। 2943-2944 2020 का अर्थात कल्पराज ने अपना ई. ओ. आई. और समाधान योजना आर. पी. को 27.1.2019 पर प्रस्तुत की।

29.1.2019 पर, के. आई. ए. एल. ने आर. पी. को एक ईमेल भेजा, जिसमें निर्धारित समय सीमा से अधिक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए कल्पराज को अनुमति देने पर अपनी आपत्ति जताई। आई. डी. 1 पर आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में कल्पराज की समाधान योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया। उक्त बैठक में सी. ओ. सी. ने सभी आवेदकों को संशोधित योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश देने का संकल्प लिया। तदनुसार, केआईएएल को एक ईमेल भेजा गया था जिसमें उसे अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, के. आई. ए. एल. ने अपनी संशोधित योजना 1.2.2019 पर प्रस्तुत की। आई. डी. 1 दिनांकित एक अन्य ईमेल द्वारा, के. आई. ए. एल. ने एक बार फिर कल्पराज द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार करने पर आपत्ति जताई।

यह के. आई. ए. एल. का मामला है कि उसे आर. पी. से 11.2.2019 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कल्पराज द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार को उचित ठहराया गया था और इसे दूसरी संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कहना। हालाँकि, आर. पी. द्वारा इस पर विवाद किया जाता है। हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि 12.2.2019 पर, संशोधित योजनाएं के. आई. ए. एल. के साथ-साथ कल्पराज द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। 13/14.2.2019 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में कल्पराज की योजना को बहुमत से मंजूरी दी गई।

2019 कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 156/एमबी/2018 में। आर. पी. द्वारा कल्पराज की योजना की मंजूरी के लिए आवेदन करने के बारे में जानने के बाद, के. आई. ए. एल. ने एक याचिका दायर की। कलप्राज की योजना पर आपत्ति जताते हुए 2019 का एम. ए. संख्या 1039 होने के कारण 14.3.2019 पर आवेदन। आपत्ति इस आधार पर थी कि आर. पी. ने कल्पराज को निर्धारित तिथि के बाद योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित नहीं था।

फॉर्म 'जी' और यह कि कल्पराज द्वारा प्रस्तुत योजना को मंजूरी देने का सी. ओ. सी. का निर्णय आई एंड बी कोड के अनुसार नहीं था। दिनांकित आदेश देखें

28.11.2019 , एन. सी. एल. टी. ने 2019 के एम. ए. No.691 को अनुमति दी और कल्पराज की समाधान योजना को मंजूरी दी और उसी दिन पारित एक अलग आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने 2019 के एम. ए. No.1039 को खारिज कर दिया, जिसे के. आई. ए. एल. ने कल्पराज द्वारा प्रस्तुत योजना को मंजूरी देने वाले सी. ओ. सी. के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए दायर किया था।

यह तर्क देते हुए कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी, के. आई. ए. एल. ने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

बॉम्बे उच्च न्यायालय 2019 की रिट याचिका (एल) No.3621 है, जिसमें एनसीएलटी द्वारा पारित उपरोक्त दो आदेशों को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने के. आई. ए. एल. द्वारा 2019 की रिट याचिका (एल) No.3621 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि के. आई. ए. एल. के पास एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय था।

इसके बाद के. आई. ए. एल. ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 18.2.2020 पर अपील दायर की। अपीलों का कल्पराज और आर. पी. ने भी इस आधार पर विरोध किया कि कल्पराज धर्मशी बनाम.

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

आई एंड बी संहिता के तहत निर्धारित सीमा अवधि से परे अपील दायर की गई थी और इस तरह, उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समर्थन नहीं किया और आगे पाया कि आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया आई एंड बी संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन थी और इसलिए, के. आई. ए. एल. द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी गई।

उक्त आदेश, एन. सी. एल. ए. टी. के माध्यम से, दोनों आदेशों को दरकिनार करते हुए

एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांक 28.11.2019 ने सी. ओ. सी. को अपने आदेश में जारी निर्देशों के आलोक में समाधान योजनाओं पर विचार करने के संबंध में नए सिरे से निर्णय लेने का भी निर्देश दिया, जो अंतिम प्रपत्र 'जी' के अनुसार निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत किए गए थे। यह उक्त आदेश की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया गया था। एनसीएलएटी आगे

निर्देश दिया कि यदि कोई निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अर्थात एन. सी. एल. टी. को सूचित नहीं किया गया था और चूंकि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करना था।

5. एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर,

इस न्यायालय के समक्ष चार अपीलें दायर की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

केस नं. &

कारण शीर्षक

इसकी खास

बातें

कारण शीर्षक

अपीलार्थी

कल्पराज धर्मशी और अन्र। बनाम।

सफल संकल्प

सी. ए. No.2943

कोटक निवेश सलाहकार

आवेदक

2944/2020

लिमिटेड और ए. एन. आर.

डॉयचे बैंक एजी बनाम

सी. ए. No.3138

वित्तीय लेनदार

कोटक निवेश सलाहकार

3139 2020 का

लिमिटेड और ओआरएस।

पूर्ववर्ती संकल्प

कृष्ण चमडिया (पूर्ववर्ती)

सी. ए. No.2949

रीकोह का समाधान पेशा

पेशेवर

2950 2020 का

कोटक निवेश सलाहकार

लिमिटेड और ओआरएस।

चौथा आयाम समाधान सबसे बड़ा होने का दावा करता है

सी. ए.

परिचालन लेनदार

लि.

D.No.24125 का

बनाम।

2020

कृष्ण चमडिया और अन्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हमने श्री मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री पिनाकी मिश्रा, जो कल्पराज की ओर से पेश हुए, को सुना है।

डॉयचे बैंक ए. जी. और सी. ओ. सी. की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन, फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए. सुंदरम, श्री गोपाल शंकर नारायणन और श्री पी. पी. चौधरी, आर. पी. की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और के. आई. ए. एल. की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल उपस्थित थे।

श्री मुकुल रोहतगी के विषय, सीखें

कल्पराज के बारे में वरिष्ठ सलाहकार की अपील

अपनी संशोधित समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि के. आई. ए. एल. ने बिना किसी आपत्ति के अपनी संशोधित योजनाओं को न केवल एक बार बल्कि दो बार प्रस्तुत किया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो बार अपनी संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, के. आई. ए. एल. अब कल्पराज की योजना की स्वीकृति को चुनौती देने से अलग हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 13/14.2.2019 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में, सी. ओ. सी. और सी. ओ. सी. द्वारा योजनाओं पर विचार किया गया और 84.36% मतदान अधिकारों के भारी बहुमत ने कल्पराज की योजना को मंजूरी दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल एक लेनदार अर्थात कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कोटक बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है), जो कि के. आई. ए. एल. की एक होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास 0.97% का मतदान अधिकार है, ने के. आई. ए. एल. के पक्ष में मतदान किया। 8. के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि सीओसी की बैठक में मतदान के माध्यम से उचित विचार-विमर्श के बाद लेनदारों द्वारा व्यक्त किए गए विषय पर राय, जो निर्णय वाणिज्यिक विवेक के अनुसार लिया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और Ors.[2]

1 1 (2019) 12 एससीसी 150

2 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1478 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

9. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि जैसा कि इस न्यायालय ने इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. आईसीआईसीआई बैंक और Anr.[3], आई एंड बी कोड एक है

अपने आप में पूरा कोड। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (2) में प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (यानी एन. सी. एल. टी.) के निर्णय को 30 दिनों के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक अपील 15 दिनों की आगे की अवधि के भीतर मान्य होगी, केवल तभी जब एन. सी. एल. ए. टी. को संतोष होगा कि 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि आई एंड बी संहिता एक पूर्ण संहिता है, इसलिए न तो धारा 5 और न ही सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 (जिसे इसके बाद "सीमा अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) लागू होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. टी. का निर्णय था

उच्च न्यायालय। उन्होंने प्रस्तुत किया कि के. आई. ए. एल. 11.12.2019 यानी रिट याचिका दायर करने की तारीख और 28.1.2020 यानी उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करने की तारीख के बीच की अवधि के बहिष्करण के लाभ का हकदार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे और एन. सी. एल. ए. टी. ने उन अपीलों पर विचार करने में कानून में पूरी तरह से गलती की है जो प्रत्यक्ष रूप से सीमा से परे थीं। 10. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि एन. सी. एल. टी. ने आई. डी. 1 पर योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि अपील दायर की गई थी

के. आई. ए. एल., जब तक एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 5.8.2020 पर विवादित आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक कल्पराज द्वारा समाधान योजना के कार्यान्वयन पर कोई रोक नहीं थी, जिसके तहत कल्पराज ने उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कल्पराज ने निम्नलिखित तरीके से कुल 1 करोड़ (लगभग) की राशि खर्च की है:

“ ¶ . 02.12.2019 पर, के संबंध में एक सार्वजनिक घोषणा

निगम ऋणदाता के सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की सूची से हटाना और बाहर निकलने का प्रस्ताव देना।

3 (2018) 1 एससीसी 407 [2021] 2 एस. सी. आर.

13.12.2019 पर, रु. 8,87,01,150/- (आठ करोड़ रुपये)

ii.

अस्सी-सात लाख एक हजार एक सौ पचास) का भुगतान 668 शेयरधारकों को उनके शेयरों के बदले में किया गया था।

14.12.2019 पर, एक डाक-प्रस्ताव सार्वजनिक घोषणा की गई थी

आई 11।

अपीलार्थियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिलिखित करते हुए जारी किया गया कि उक्त

सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया गया है। 20.12.2019 पर, बीएसई ने इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया

iv.

व्यापार बंद करना और इक्विटी शेयरों की सूची से हटाना

कॉर्पोरेट देनदार।

23.12.2019 पर, Rs.21 करोड़ के डिबेंचर जारी किए गए थे।

वी.

निगमित देनदार द्वारा अपीलार्थियों को।

27.12.2019 पर कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि हुई

vi.

आई. एन. आर. तक। 100,00,00,000 / - (केवल एक सौ करोड़ रुपये)। मिनोशा डिजिटल सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड के साथ विलय हो गया

vii.

28.11.2019 से प्रभावी कॉर्पोरेट देनदार। 27.12.2019 पर, अपीलकर्ताओं ने बैंक गारंटी को बदल दिया

viii.

डॉयचे बैंक द्वारा आई. एन. आर. 136,66,71,090/- के लिए जारी किया गया (एक सौ तीस-छह करोड़ साठ-छह लाख इकत्तर हजार और नब्बे केवल)। 30.12.2019 पर, सी. आई. आर. पी. लागत की राशि

ix.

INR.2,65,68,000/- (रुपये दो करोड़ साठ-पाँच लाख साठ-आठ हजार केवल) का भुगतान अपीलार्थियों द्वारा किया गया था।

01.01.2020 पर, अपीलकर्ताओं ने INR का भुगतान किया है।

एक्स.

19,54,43,411 / - (निगम ऋणदाता के गैर-संबंधित पक्ष परिचालन ऋणदाताओं को उन्नीस करोड़ पचास-चार लाख चालीस-तीन हजार चार सौ ग्यारह रुपये। 01.01.2020 से 03.01.2020 तक, अपीलकर्ताओं ने किया है

xi.

कंपनी में 3 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश और 29 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश। 23.01.2020 पर, अपीलकर्ताओं ने रिकोह को भुगतान किया

xii.

शेयरधारक) अपीलार्थियों को शेयरों के हस्तांतरण के लिए। 31.01.2020 पर, निगम का निदेशक मंडल

तेरहवीं।

देनदार का पुनर्गठन किया गया और अपीलार्थी कल्पराज धर्मशी बनाम बन गए।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

मालिकों और कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में कदम रखा। यह अब रिकोह जापान की सहायक कंपनी नहीं है। अपीलार्थी निगमित ऋणदाता के शेयरधारक हैं।

xiv.

जिसे अपने नए नाम मिनोशा इंडिया लिमिटेड से जाना जाता है।

03.02.2020 पर, आर. पी. (जो निगरानी एजेंट था)

XV.

निगरानी समिति) ने एक संचार रिकॉर्डिंग जारी की कि अनुमोदित समाधान योजना

लागू किया गया।

31.07.2020 पर, कुल 21,90,958 नहीं। द्वारा रखे गए शेयरों का

xvi.

809 शेयरधारकों को कुल Rs.10,95,47,900/- के लिए निकास प्रस्ताव के अनुसार निविदा दी गई है। उक्त निकास प्रस्ताव दिसंबर 2020 तक बना हुआ है।

लागू होने वाले एस. ई. बी. आई. नियम और विनियम।

xvii. कंपनियों के पंजीयक ने केवल नोट किया है और जारी किया है

कॉर्पोरेट देनदार का नाम रिकोह इंडिया लिमिटेड से मिनोशा इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन का प्रमाण पत्र।

11. श्री रोहतगी ने कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर गलती की है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

इस आधार पर न्याय, कि के. आई. ए. एल. के आवेदन की सुनवाई एक सदस्य द्वारा की गई थी, जबकि निर्णय पर दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख के अवलोकन से पता चलेगा कि हालांकि 2019 के एम. ए. No.1039 यानी कल्पराज की योजना की मंजूरी पर के. आई. ए. एल. की आपत्ति को शुरू में विद्वान एकल सदस्य के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, उसके बाद कार्यवाही से ही पता चलेगा कि उक्त आवेदन को मुख्य आवेदन यानी 2019 के एम. ए. No.691 के साथ विभिन्न तिथियों पर दो विद्वान सदस्यों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने कहा कि केआईएएल के वकीलों ने दो सदस्यों की पीठ के समक्ष उक्त कार्यवाही में भाग लिया है।

12. श्री रोहतगी ने इसलिए कहा कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए, एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और एन. सी. एल. टी. के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। पुनर्स्थापित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. द्वारा प्रस्तुतियाँ। अभिषेक मनु सिंघवी,

कल्पराज के लिए अनुभवी वरिष्ठ सलाहकार का आवेदन

13. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील भी कल्पराज की ओर से पेश हुए, जो अन्य अपीलों में भी प्रतिवादी हैं। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि के. आई. ए. एल. ने अपने समाधान योजना दिनांक 8.1.2019 के साथ कवर लेटर में समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में किसी भी और सभी दावों को स्पष्ट रूप से माफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'समाधान योजना प्रक्रिया' वाक्यांश को प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 1 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है, "में निर्धारित प्रक्रिया।

समाधान योजना और उसके संबंध में या आकस्मिक गतिविधियों को प्रस्तुत करने, मूल्यांकन और चयन के लिए यह प्रक्रिया ज्ञापन। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया ज्ञापन की शर्तों की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय स्वीकृति को देखते हुए और समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में सभी दावों को स्वेच्छा से और स्पष्ट रूप से माफ करने के कारण, के. आई. ए. एल. के लिए कल्पराज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले सी. ओ. सी. के फैसले को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 10.4 में ही यह प्रावधान है कि आर. पी. समाधान योजना प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई भी समाधान योजना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र था और सी. ओ. सी. के अनुमोदन से ऐसी समाधान योजना की जांच करें। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कल्पराज के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी समाधान योजना को संशोधित करने और इसे 12.2.2019 पर प्रस्तुत करने का विकल्प चुनने के बाद, के. आई. ए. एल. ने निर्धारित तिथि 8.1.2019 के बाद भी आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा कल्पराज की समाधान योजना पर विचार करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है और इस तरह की समाधान योजना पर विचार करने के लिए सभी आपत्तियों को माफ कर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि के. आई. ए. एल. की होल्डिंग कंपनी यानी कोटक बैंक, जिसकी के. आई. ए. एल. एक 100% सहायक कंपनी है, भी सी. ओ. सी. के वकील के विचार से सहमत है कि कल्पराज की समाधान योजना पर विचार किया जा सकता है।

14. डॉ. सिंघवी ने कहा कि के. आई. ए. एल. का आचरण पूरी तरह से अक्षम्य है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह प्रक्रिया में जोखिम लेने के बराबर है

और वहाँ असफल होने के बाद, फिर प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए। उन्होंने कहा कि के. आई. ए. एल. ने यह जानने के बाद अपनी संशोधित योजनाएं प्रस्तुत की थीं कि कल्पराज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, और इस प्रक्रिया में सफल नहीं होने के बाद ही उन्होंने इसे चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि के. आई. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान योजना में यह

नहीं कहा गया है कि यह उसके तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है कि 8.1.2019 के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं पर आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था। वह.

प्रस्तुत किया कि अगर ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है तो भी वे महत्वपूर्ण नहीं होंगे। उन्होंने आई. टी. सी. लिमिटेड के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। बनाम ब्लू कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कोस्ट होटल्स लिमिटेड और Ors._and तारापुर एंड कंपनी बनाम कोच्चि

इस संबंध में शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि और Anr.[3]।

15. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 238 में प्रावधान है कि संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे।

उस समय लागू कानून। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (2) में निहित प्रावधान, जिसमें यह प्रावधान है कि 15 दिनों की और बढ़ी हुई अवधि के साथ 30 दिनों के भीतर एक अपील दायर की जानी चाहिए, जब एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट हो, कि 30 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कुमार दत्ता प्रोप के मामले में एनसीएलएटी के फैसले पर भरोसा किया। केडी ट्रेडिंग बनाम सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और आशा गोयल बनाम फार्मा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड 'उस संबंध में। 16. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि जब विशेष कानूनों के तहत अपील का प्रावधान है और सीमा के लिए एक स्व-निहित प्रावधान है, तो इस तरह से निर्धारित समय अवधि से आगे कोई विस्तार संभव नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया।

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी 3,

((i)

सिंह एंटरप्राइजेज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

((ख)

जमशेदपुर और ओआरएस। ' , और

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केंद्रीय

विद्युत नियामक आयोग और अन्य। 10

17. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. राधिका मेहरा बनाम वायु इन्फ्रास्ट्रक्चर एल. एल. पी. और अन्य में दो मामलों में है। और

धीरेंद्र कुमार बनाम रैंडस्टैंड इंडिया प्रा. लिमिटेड एंड Anr.[1]2 ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को आई एंड बी संहिता की धारा 67 के तहत पसंद की गई अपील पर लागू नहीं किया जा सकता है।

4 (2018) 15 एससीसी 99 5 (1984) 2 एससीसी 680 (पारा 33) 62019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 575

72019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 150 8 (2001) 8 एससीसी 470

9 (2008) 3 एससीसी 70 10 (2010) 5 एस. सी. सी. 23 1 1 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 532 12 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 444 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

18. डॉ. सिंघवी ने कहा कि किसी भी मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका दायर करना केआईएएल का एक प्रामाणिक कार्य था। उन्होंने प्रस्तुत किया,

कि के. आई. ए. एल., जो कानूनी सलाहकारों की एक बैटरी से लैस था, बहुत था यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इसके पास एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने का एक वैकल्पिक उपाय था और इसलिए, यह सीमा अधिनियम की धारा 14 की छत्रछाया लेने का हकदार नहीं था। इस संबंध में, उन्होंने नीरज झांजी बनाम सीमा शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1 3.

19. डॉ. सिंघवी ने इस आशय के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी द्वारा कल्पराज की ओर से की गई दलीलों को भी दोहराया।

एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इतना पानी बह गया है और समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए कल्पराज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है।

श्री के. वी. विश्वनाथन की प्रस्तुति, सीखा

डच्यूट्श बैंक ए. जी. और सी. ओ. सी. के लिए वरिष्ठ सलाहकार का आवेदन।

20. डॉयचे बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन, जो एक अपील में अपीलकर्ता हैं और सी. ओ. सी., जो प्रस्तुत की गई कुछ अपीलों में प्रतिवादी हैं, ने कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं था क्योंकि सी. ओ. सी. को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सी. ओ. सी. ने सही काम किया है।

कल्पराज को भाग लेने की अनुमति देकर केवल अधिकतमकरण प्राप्त करने की दृष्टि से। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. ने कल्पराज द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को 84.36% के भारी बहुमत से मंजूरी दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. का वाणिज्यिक ज्ञान न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, जब तक कि यह वैधानिक मापदंडों के भीतर नहीं आता है और इस तरह, एन. सी. एल. टी. ने के. आई. ए. एल. की आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया है और एन. सी. एल. ए. टी. ने इसमें हस्तक्षेप करने में गलती की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रक्रिया के विचलन, यदि कोई हो, के कारण के. आई. ए. एल. के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने जी. जे. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। फर्नांडीस बनाम कर्नाटक राज्य और Ors.[1]4।

श्री श्याम दीवान की प्रस्तुति, सीखी हुई

आर. पी. के लिए वरिष्ठ सलाहकार का आवेदन

कंपनी को अधिकतम लाभ। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी 13 (2015) 12 एस. सी. सी. 695

14 (1990) 2 एस. सी. सी. 488 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

सी. ओ. सी. की मंजूरी। उन्होंने कहा कि इसलिए आर. पी. ने कल्पराज की योजना को ईमानदारी से स्वीकार किया था और न केवल उसने बल्कि के. आई. ए. एल. को अपनी संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया था, ताकि कल्पराज के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। श्री. दीवान ने भी उसी तर्ज पर दलीलें दीं जो दूसरे वकील ने सीमा, सहमति आदि के आधार पर दी थीं।

श्री सी. ए. सुंदरम की प्रस्तुति, सीखी गई

सीमित चार आयामी समाधानों के लिए वरिष्ठ सलाहकार का आवेदन

22. श्री सी. ए. सुंदरम, फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, 2020 की सिविल अपील में अपीलकर्ता, जो कॉर्पोरेट देनदार से वसूली योग्य सबसे अधिक राशि होने का दावा करता है, ने प्रस्तुत किया कि उक्त अपीलकर्ता पक्षों के बीच विवाद से संबंधित नहीं है, जो वर्तमान अपीलों में विचार का विषय है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं का बकाया कॉर्पोरेट देनदार और अपीलकर्ताओं के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही का विषय है और अभी तक अंतिम रूप प्राप्त नहीं हुआ है, ताकि बकाया का परिसमापन किया जा सके। यह 2019 के एम. ए. No.691 में अपने दिनांकित 28.11.2019 आदेश में एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश से व्यथित है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्देश द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि समाधान आवेदक जिसने समाधान योजना की मंजूरी के बाद कॉर्पोरेट ऋणदाता के स्थान पर कदम रखा है, उसे सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले की अवधि के लिए किसी भी बकाया वैधानिक बकाया और अन्य दावों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। श्री सुंदरम के प्रस्तुत करने में, यह निर्देश अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल है, जो कॉर्पोरेट देनदार से 551 करोड़ (लगभग) की राशि की वसूली करने का हकदार सबसे बड़ा परिचालन लेनदार है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी का दावा-चौथा आयाम, हालांकि आर. पी. द्वारा सूचना ज्ञापन में दिखाया गया है, लेकिन सी. ओ. सी. या किसी भी आवेदक द्वारा अपनी समाधान योजना में इस पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने सिविल अपील सं. 1 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 16.11.2020 के निर्णय/आदेश पर भरोसा किया। 2020 का 2798 [एनटीपीसी लिमिटेड (सिंहाद्री परियोजना) बनाम राजीव

चक्रवर्ती]

श्री नीरज किशन कौल की प्रस्तुति,

कियाल के लिए अनुभवी सलाहकार का आवेदन 23. के. आई. ए. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने अपीलार्थियों की ओर से आगे की गई दलीलों का जवाब देते हुए कई दलीलें दीं।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. अपीलार्थियों की ओर से इस निवेदन के जवाब में कि के. आई. ए. एल. द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपीलों को सीमा द्वारा वर्जित किया जा रहा है,

विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आगे दी गई दलीलें थीं कानून में सही नहीं है और एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलों को सीमित माना है। उन्होंने कहा कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करना, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के मामले में सामान्य प्रथा है, लेकिन यह आत्मसंयम का नियम है न कि कठोर और तेज शासन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक अधिकार क्षेत्र है और एक दिए गए मामले में यह एक वैकल्पिक और प्रभावी उपचार की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने स्वयं कई मामलों में ऐसी श्रेणियां बनाई हैं जिनमें उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का हकदार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी ही एक श्रेणी है जहां उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में की जाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रस्ताव के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है।

व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स के पंजीयक,

((i)

मुंबई और ओआरएस। 1 5,

बाबू राम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरीम

((ख)

जिला परिषद मुजफ्फर नगर 1 6; और

(iii) निवेदिता शर्मा बनाम सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

भारत & Ors.17

25. श्री कौल ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख के अवलोकन से पता चलेगा कि आर. पी. द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद

कल्पराज, के. आई. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं की मंजूरी ने 2019 की एम. ए. संख्या 1039 होने पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. टी. के दिनांक 3.7.2019 के आदेश-पत्र के अवलोकन से पता चलेगा कि के. आई. ए. एल. द्वारा दायर

आवेदन और एक अन्य आवेदन 2019 का एम. ए. No.2023 विद्वान एकल सदस्य द्वारा सुना गया था और आदेशों के लिए आरक्षित था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां तक 2019 के एम. ए. No.691 का संबंध है, 3.7.2019 दिनांकित आदेश से पता चलेगा कि उक्त

आवेदन को दोपहर 2:30 बजे 23.7.2019 पर रखने का निर्देश दिया गया था।

15 (1998) 8 एससीसी 1

16 (1969) 1 एससीआर 518

17 (2011) 14 एस. सी. सी. 337 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

समाधान योजना के वाणिज्यिक पहलू पर विचार के लिए अन्य आवेदन। अन्य मामलों को 15.7.2019 पर सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब 2019 के एम. ए. No.691 को 23.7.2019 पर सूचीबद्ध किया गया था, तो इसे 7.8.2019 पर दोपहर 2:30 बजे सुनने का निर्देश दिया गया था। 2019 की एम. ए. संख्या 691 को पहली बार दो सदस्यों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और उस तारीख को मामला 2 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर से 26.8.2019 पर, मामला डिवीजन बेंच के सामने आया और डिवीजन बेंच ने इसे 6.9.2019 पर रखने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने मामले को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। फिर से 17.9.2019 पर, मामला डिवीजन बेंच के सामने आया जिसने इसे 19.9.2019 तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। अंत में, 2019 के एम. ए. No.691 को समाधान योजना पर सुना गया और आदेशों के लिए सुरक्षित रखा गया। इसलिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि के. आई. ए. एल. द्वारा दायर 2019 के एम. ए. No.1039 को विद्वान एकल सदस्य द्वारा 3.7.2019 पर सुना गया था और आदेशों के लिए आरक्षित किया गया था। हालाँकि, 2019 की एम. ए. संख्या 691 पर डिवीजन बेंच द्वारा 19.9.2019 पर सुनवाई की गई। इसलिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2019 की एम. ए. संख्या 1039 में आदेश केवल पारित किए जा सकते थे

विद्वान एकल सदस्य द्वारा। हालांकि, सम तिथि यानी 28.11.2019 पर पारित दो आदेशों द्वारा, खंड पीठ ने के. आई. ए. एल. के आवेदन को खारिज कर दिया और आर. पी. द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी, जिससे कल्पराज द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी मिल गई। 26. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस पृष्ठभूमि में के. आई. ए. एल. के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करना उचित था।

संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, एन. सी. एल. टी. द्वारा संचालित कार्यवाही पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी, क्योंकि मामले की सुनवाई एकल सदस्य द्वारा की गई थी, जबकि आदेश डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए थे। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए और के. आई. ए. एल. को कानून में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के लिए खारिज करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया है। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थियों के मुंह में नहीं है कि के. आई. ए. एल. ने उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को देखते हुए, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार कर सकता था, जब कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में की गई थी।

27. श्री कौल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसलिए प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. उस अवधि का लाभ देने में कानूनी रूप से सही था जिसके लिए [2021] 2 एस. सी. आर.

के. आई. ए. एल. बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका पर मुकदमा चला रहा था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि उस अवधि पर विचार किया जाता है, तो के. आई. ए. एल. द्वारा दायर अपील बहुत हद तक सीमा के भीतर हैं।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इसके पीछे का उद्देश्य

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 14 न्याय को आगे बढ़ाने के लिए है न कि न्याय को रोकने के लिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 14 एक पक्ष को उस अवधि का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिसके लिए वह एक गलत मंच के समक्ष उपचार का मुकदमा चला रहा था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के लिए एक उदार दृष्टिकोण दिए जाने की आवश्यकता है। सीखा हुआ परामर्श

केतन वी. पारेख बनाम विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और Anr.[1]8 18, एम. पी. के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। इस्पात निगम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और भारत संघ और अन्य। बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और Anr.20 इस संबंध में।

29. जहाँ तक सहमति और छूट के संबंध में अपीलार्थियों की दलीलों का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत किया कि, जल्द से जल्द अवसर पर, के. आई. ए. एल. ने कल्पराज द्वारा अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि के. आई. ए. एल. को यह पता चलने पर कि कल्पराज की समाधान योजना को 8.1.2019 से परे स्वीकार कर लिया गया था।

के. आई. ए. एल. ने आर. पी. को संबोधित 29.1.2019 दिनांकित ईमेल के माध्यम से इसका विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आर. पी. ने 30.1.2019 पर अपने ईमेल का जवाब दिया था और 1.2.2019 पर दोपहर 3 बजे तक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त ईमेल में यह भी उल्लेख किया गया है कि "सी. ओ. सी. अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि उक्त समय सीमा के बाद प्राप्त होता है तो अपनी योजना पर विचार न करें। उन्होंने कहा कि तदनुसार, के. आई. ए. एल. के पास अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि संशोधित योजना प्रस्तुत करने के बाद भी, के. आई. ए. एल. ने आर. पी. से कुछ नहीं सुना और इसलिए

आरपी को संबोधित 10.2.2019 दिनांकित ईमेल के माध्यम से, इसने फिर से अपनी आपत्ति जताई। उक्त ईमेल का जवाब आर. पी. द्वारा 11.2.2019 पर दिया गया था, जिसमें आर. पी. ने कहा था कि नियत तिथि के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है, कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण की भावना में। उन्होंने प्रस्तुत किया कि फिर से 11.2.2019 दिनांकित संचार के माध्यम से, के. आई. ए. एल. को एक संशोधित बोली जमा करने की आवश्यकता थी,

जिसे उसने 12.2.2019 पर प्रस्तुत किया था। इसलिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि के. आई. ए. एल. ने जल्द से जल्द संभव अवसर पर यानी 29.1.2019 पर कल्पराज की भागीदारी पर आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, उसके बाद

18 (2011) 15 एससीसी 30

19 (2015) 7 एससीसी 58

20 (2004) 3 एस. सी. सी. 458 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

के. आई. ए. एल. ने कल्पराज की भागीदारी पर आपत्ति जारी रखी। के. आई. ए. एल. द्वारा संशोधित योजनाओं को मजबूरी में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि अगर उसने अपनी संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत नहीं किया होता, तो केवल उसी आधार पर उसे विचार से बाहर किए जाने के जोखिम का सामना करना पड़ता। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि के. आई. ए. एल. ने कल्पराज की भागीदारी को स्वीकार कर लिया है और इसलिए इसे अपनी भागीदारी को चुनौती देने से रोक दिया गया था। कोई भी पदार्थ। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह तर्क, कि के. आई. ए. एल. जोखिम उठा रहा था, भी पूरी तरह से गलत है। इसका विरोध किया था कि

पहले ही अवसर पर कल्पराज की भागीदारी और तब तक आपत्ति जारी रही जब तक कि सी. ओ. सी. ने इसकी योजना को मंजूरी नहीं दे दी और उसके बाद भी, कल्पराज की समाधान योजना की मंजूरी पर आपत्ति जताते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से। 31. विद्वान वकील ने आगे कहा कि यह तर्क कि के. आई. ए. एल. कोटक बैंक की सहायक कंपनी है और कोटक बैंक ने भी ऐसा नहीं किया था

कल्पराज द्वारा अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई और इसलिए वही

स्वीकृति की राशि भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, एन. सी. एल. टी. में के. आई. ए. एल. द्वारा दायर आवेदन पर आर. पी. द्वारा दायर जवाब में, कोटक बैंक की सर्वसम्मति के संबंध में कोई याचिका नहीं है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम भारतीय संघ के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए के. आई. ए. एल. और कोटक बैंक दोनों अलग-अलग निगमित संस्थाएं हैं और कोई भी अधिनियम

कोटक बैंक के. आई. ए. एल. को बाध्य नहीं कर सकता है।

32. गुण-दोष के आधार पर श्री कौल ने कहा कि आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों के विपरीत थी।

खेल और पारदर्शिता। उन्होंने प्रस्तुत किया, कि परिभाषा का अवलोकन

' खंड 1 में प्रक्रिया ज्ञापन में 'आवेदक' यह दिखाएगा कि एक समाधान आवेदक होने के लिए, एक ऐसा आवेदक होना चाहिए जिसने निर्धारित अवधि के भीतर ईओआई या फॉर्म 'जी' के तहत आवेदन किया हो। यह है।

प्रस्तुत किया कि चूंकि कल्पराज ने ईओआई या किसी भी प्रपत्र 'जी' के तहत निर्धारित अवधि के भीतर न तो जवाब दिया था, इसलिए इसे समाधान आवेदक नहीं माना जा सकता था। उन्होंने कहा कि कल्पराज की पूरी भागीदारी अवैध है। उन्होंने कहा कि के. आई. ए. एल. द्वारा योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद आर. पी. के साथ उसके द्वारा प्रस्तुत योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें पूरी योजना का खुलासा किया गया, जिसके बाद कल्पराज को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई। उन्होंने प्रस्तुत किया, कि के अवलोकन

कल्पराज की समाधान योजना से पता चलेगा कि यह के. आई. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के समान है, इस हद तक थोड़ा बदलाव के साथ कि योजना में

के. आई. ए. एल. ने अल्पांश शेयरधारकों के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि कल्पराज की योजना में यह 1 करोड़ रुपये है। 50 एक करोड़। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. के पूरे आचरण से पता चलेगा कि उन्होंने इस तरह से काम किया था जिससे कल्पराज के प्रति पक्षपात की गंध आती है और वे इसके लिए दृढ़ थे

किसी भी तरह से कल्पराज की योजना को मंजूरी दें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन सभी पहलुओं पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है और इसलिए, अपीलें

बर्खास्त किए जाने के योग्य है।

33. अपीलार्थी/कल्पराज के इस तर्क के संबंध में कि उसने समाधान योजना के अनुसरण में कई कदम उठाए हैं, जो था

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित और इस स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप कई हितधारकों के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करेगा, कि समाधान योजना के तहत बहुत कुछ नहीं किया गया है। वह प्रस्तुत करता है, किसी भी मामले में, जो भी कदम उठाए गए हैं, वे के. आई. ए. एल. द्वारा उठाए गए कदमों के लगभग समान हैं क्योंकि कल्पराज द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के. आई. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लगभग समान है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, कल्पराज द्वारा जो भी राशि खर्च की गई है, उसे के. आई. ए. एल. द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकती है और के. आई. ए. एल. द्वारा आगे के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि समाधान योजना को तार्किक अंत तक ले जाया जा सके।

34. जहाँ तक बिनानी के मामले में एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले का संबंध है

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा और आई. डी. 1 का संबंध इस बात से है कि उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग है क्योंकि उक्त मामले में दोनों आवेदकों ने निर्धारित अवधि के भीतर अपनी योजनाएं और संशोधित योजनाएं प्रस्तुत की थीं।

35. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

(1)

सीमा के भीतर?

क्या के. आई. ए. एल. द्वारा छूट और सहमति थी, तो

((ख)

इसे कल्पराज की भागीदारी को चुनौती देने से रोकने के लिए?

(iii)

क्या एन. सी. एल. ए. टी. में हस्तक्षेप करना कानूनी रूप से सही था कल्पराज की समाधान योजना को स्वीकार करने का सी. ओ. सी. का निर्णय?

(i) इससे पहले किआल द्वारा दायर किए गए आवेदन

एन. सी. एल. ए. टी. सीमित था?

36. इस संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सराहना करने के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) का उल्लेख करना उचित होगा, साथ ही सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 और धारा 238ए के प्रावधानों का भी उल्लेख करना उचित होगा। 22 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 565 राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2)।

" 29. बचत।—(1) .....

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है, वहां धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) केवल उस हद तक लागू होगी जब तक और जिस हद तक वे ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

आई एंड बी संहिता की धारा 61 और 238 ए

" 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण। (1) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस भाग के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील से पहले तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी। न्यायाधिकरण:

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।

(3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है।

अर्थात्

स्वीकृत समाधान योजना उल्लंघन में है

((i)

उस समय के लिए किसी कानून के प्रावधानों का

बल;

((ख)

व्यायाम में भौतिक अनियमितता हुई है। निगमित दिवाला समाधान के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों का

((iii) निगमित देनदार के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋणों का समाधान योजना में उनके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है।

बोर्ड;

(iv) सभी को प्राथमिकता देते हुए पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्रावधान नहीं किया गया है।

अन्य ऋण; या

(v)

समाधान योजना किसी अन्य का पालन नहीं करती है

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंड।

(4) के तहत पारित परिसमापन आदेश के खिलाफ अपील

धारा 33 भौतिक अनियमितता के आधार पर दायर की जा सकती है।

या ऐसे परिसमापन आदेश के संबंध में की गई धोखाधड़ी। " 238 - ए. सीमा। सीमा अधिनियम के प्रावधान,

1963 (36 1963), जहाँ तक हो सके, लागू होगा

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही या अपील,

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण

वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण,

जैसा कि मामला हो सकता है "।

37. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि यद्यपि सीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, कार्यवाही पर लागू होंगे। या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी., ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, जहां किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग प्रदान की गई है, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी। यह आगे खुलासा करेगा कि किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी भी मुकदमे, अपील या

आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से, धाराओं में निहित प्रावधान

4 24 (समावेशी) तक, केवल अब तक लागू होगा, और जिस हद तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

38. आई एंड बी संहिता की धारा 61 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी व्यक्ति को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील प्रदान की जाती है, जो आई एंड बी संहिता से व्यथित है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का आदेश। सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील एन. सी. एल. ए. टी. से पहले तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी। इसके आगे परंतुक

यह प्रावधान है कि एन. सी. एल. ए. टी. तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट है कि पर्याप्त कल्पराज धर्मशी v था।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

अपील दायर न करने का कारण। हालांकि, ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।

आई एंड बी संहिता की धारा 61 द्वारा शासित होगा, जो एक विशेष क़ानून है। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक अपील दायर करनी होगी। हालाँकि, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट है, कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो यह पंद्रह दिनों की आगे की अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार, आई एंड बी संहिता के तहत निर्धारित सीमा की सामान्य अवधि तीस दिन है, जिसमें पंद्रह दिनों की और अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनुमति देने का प्रावधान है, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट है, कि तीस दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। 40. वर्तमान मामले में तारीखों पर कोई विवाद नहीं है। एन. सी. एल. टी. का निर्णय दिनांकित 28.11.2019 है। इस प्रकार, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (2) के अनुसार, अपील को 28.12.2019 पर या उससे पहले दायर करने की आवश्यकता थी। द.

पंद्रह दिनों की और अवधि के भीतर अपील दायर की जा सकती थी, यदि एन. सी. एल. ए. टी. संतुष्ट था, कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। इस प्रकार, उक्त अवधि 12.1.2020 पर समाप्त हो जाएगी। एन. सी. एल. टी. के विवादित फैसले की प्रमाणित प्रति 18.12.2019 पर उपलब्ध कराई गई थी। यदि भत्ता

उक्त अवधि के लिए, अपील को 2.2.2020 पर या उससे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपील 18.2.2020 पर दायर की जाती है। यह भी विवाद में नहीं है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा आई. डी. 1 पर आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद, के. आई. ए. एल. ने आई. डी. 2 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2019 की रिट याचिका (एल) संख्या 3621 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि के. आई. ए. एल. के पास आई एंड बी संहिता की धारा 61 के तहत एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध था और इस तरह, इसे कानून में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के लिए हटा दिया गया था।

41. फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड को छोड़कर सभी अपीलकर्ताओं की ओर से यह पुरजोर आग्रह किया जाता है कि आई एंड बी कोड अपने आप में एक पूर्ण कोड है, जो सीमा की अवधि के लिए भी प्रदान करता है और इस तरह, सीमा अधिनियम की धारा 14 के. आई. ए. एल. के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

42. इसके विपरीत, के. आई. ए. एल. की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

स्वाभाविक न्याय, इसने प्रामाणिक रूप से डिवीजन सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी

बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ। यह आग्रह किया जाता है कि एक विस्तृत आदेश द्वारा वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी जाए। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि धारा 14 के प्रावधान या कम से कम उसमें निर्धारित सिद्धांत केआईएएल के लिए उपलब्ध होंगे।

और इस प्रकार, दायर की गई अपीलों को सीमित माना जाना चाहिए।

43. इसलिए, विचार के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान या

इसमें निर्धारित सिद्धांत के. आई. ए. एल. को उस अवधि के अपवर्जन के लिए उपलब्ध होंगे जिसके दौरान वह बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका पर मुकदमा चला रहा था।

44. यह सीमा अधिनियम की धारा 14 को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा।

" 14. न्यायक्षेत्र के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्करण। — (1) सीमा अवधि की गणना करने में

जिस समय के दौरान वादी ने मुकदमा दायर किया है

उचित परिश्रम के साथ एक और दीवानी कार्यवाही का मुकदमा चलाना,

चाहे पहली बार के न्यायालय में हो या अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय में, प्रतिवादी के खिलाफ बहिष्कृत किया जाएगा, जहां कार्यवाही उसी मुद्दे से संबंधित है और उस पर न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारणों से है।

एक समान प्रकृति का कारण, इसका मनोरंजन करने में असमर्थ है।

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, उस समय के दौरान जिसके दौरान आवेदक उसी राहत के लिए उसी पक्षकार के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो -

अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य कारण, करने में असमर्थ है

इसका मनोरंजन करें।

(3) आदेश के नियम 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की XXIII, उप-धारा (1) के प्रावधान उस आदेश के नियम 1 के तहत अदालत द्वारा दी गई अनुमति पर स्थापित एक नए मुकदमे के संबंध में लागू होंगे, जहां ऐसी अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि पहला मुकदमा संविधान में किसी दोष के कारण विफल होना चाहिए।

न्यायालय की अधिकारिता या समान प्रकृति के अन्य कारण।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कल्पराज धर्मशी v.

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

(अ)

उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व नागरिक

कार्यवाही लंबित थी, जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और जिस दिन यह समाप्त हुई थी

दोनों गिने जाएँगे;

(ख)

अपील का विरोध करने वाला वादी या आवेदक होगा

किसी कार्यवाही का अभियोजन करने वाला माना जाता है;

(ग) पक्षकारों की गलती या कार्रवाई के कारणों के बारे में -

के दोष के साथ एक समान प्रकृति का कारण माना जाता है

अधिकार क्षेत्र "।

45. सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, उन्हें संक्षेप में लिखा गया है

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम बनाम सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में। प्रमुख सचिव, सिंचाई

विभाग और अन्य 2 3, जो इस प्रकार हैं:

" 21. " सीमा अधिनियम की धारा 14 बिना अधिकार क्षेत्र के अदालत में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय के बहिष्कार से संबंधित है। उक्त धारा के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 14 को लागू करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1)

पूर्व और बाद की दोनों कार्यवाहियाँ दीवानी हैं।

एक ही पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया गया;

(2)

पूर्व कार्यवाही पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया था और अच्छे विश्वास में;

(3)

पूर्व कार्यवाही की विफलता दोष के कारण थी

अधिकार क्षेत्र या समान प्रकृति का अन्य कारण;

पहले की कार्यवाही और बाद की कार्यवाही का संबंध होना चाहिए।

(4)

उसी मुद्दे पर; और

(5)

दोनों कार्यवाही अदालत में चल रही हैं।

46. उपरोक्त शर्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि दोनों

कार्यवाही अदालत में होती है। सवाल यह है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान अर्ध पर भी लागू होंगे।

एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (ऊपर) के मामले में अदालत के खिलाफ न्यायिक मंच इस अदालत के समक्ष विचार के लिए गिर गए। इसके बाद यह अदालत

भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली बनाम भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली 24, नगर नगर परिषद, अथानी बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली और अन्य आदि के मामलों में निर्णय सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का विस्तृत सर्वेक्षण। 25 , नित्यानंद एम. जोशी और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और

अन्य 26, बिक्री कर आयुक्त। यू. पी , लखनऊ बनाम पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर ", केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम टी. पी. कुन्हालियममा ", विशेष कार्य अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) और एक अन्य बनाम शाह मणिलाल चंदूलाल और अन्य 29 और

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम (उपर्युक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 में "न्यायालय" शब्द पूर्ववर्ती शब्द "दीवानी कार्यवाही" से अपना रंग लेता है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 14 सहित सीमा अधिनियम अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपीलों पर लागू नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 में उल्लिखित अपील किसी न्यायालय के समक्ष नहीं है, इसलिए धारा 14 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और इसलिए, हम वर्तमान निर्णय पर बोझ डालने से बचते हैं उन निर्णयों में की गई टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना।

48. इस न्यायालय ने एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) मामले में आगे कहा कि बिक्री आयुक्त के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

कर, यू. पी. बनाम मदन लाल दास एंड संस, बरेली 3 0 ने पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स (ऊपर) में निर्धारित कानून पर विचार नहीं किया था और न ही अन्य निर्णयों और न ही उपरोक्त निर्णयों को अदालत को इंगित किया गया था और इसलिए, मदन लाल दास एंड संस (ऊपर) के मामले में उक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं था, कि सीमा अधिनियम न्यायाधिकरणों पर लागू होगा।

49. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि धारा 14 सहित सीमा अधिनियम अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपीलों पर लागू नहीं होगा, यह एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (ऊपर) में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

26 (1969) 2 एससीसी 199 27 (1975) 4 एससीसी 22

28 (1976) 4 एस. सी. सी. 634

29 (1996) 9 एस. सी. सी. 414 30 (1976) 4 एस. सी. सी. 464 राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

" ..... हालाँकि, इससे समस्या का अंत नहीं होता है। इस प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि जहां भी धारा 14 लागू नहीं हो सकती है, वे सिद्धांत जिन पर धारा 14 आधारित है, जो सिद्धांत न्याय के कारण को आगे बढ़ाते हैं, फिर भी लागू होंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि भूदान सिंह बनाम में कहा गया है। नबी बक्स [(1969) 2 एससीसी 481: (1970) 2 एस. सी. आर. 10] कि न्याय और तर्क संसद द्वारा सभी कानूनों के केंद्र में है। यह बहुत सम्मानित किया गया था

हेगड़े, जे. की शर्तें इस प्रकार हैं: (एस. सी. सी पी. 485, पैरा 9)

' 9. धारा 9 में 'अभिनिर्धारित' शब्द के अर्थ पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह मान लेना उचित है कि विधायक जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अधिनियम बनाते हैं।

कानून जिन्हें समाज ईमानदार, निष्पक्ष और न्यायसंगत मानता है। प्रत्येक विधान का उद्देश्य लोक कल्याण को आगे बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि क्रॉफर्ड ने 'सांविधिक निर्माण' पर अपनी पुस्तक में कहा है कि पूरी विधायी प्रक्रिया न्याय और तर्क के विचारों से प्रभावित होती है। न्याय और तर्क कानून के हर हिस्से में महान सामान्य विधायी इरादे का गठन करते हैं। नतीजतन, जहां सुझाया गया निर्माण कठोरता से, हास्यास्पद रूप से या किसी अन्य तरीके से न्याय और तर्क की प्रचलित अवधारणाओं के विपरीत काम करता है, ज्यादातर मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि क़ानून का स्पष्ट या सुझाए गए अर्थ, कानून निर्माताओं द्वारा अभिप्रेत नहीं था। कुछ अन्य संकेतों के अभाव में कि कठोर या हास्यास्पद प्रभाव वास्तव में विधायिका द्वारा अभिप्रेत था, यह मानने का बहुत कम कारण है कि यह विधायी इरादे का प्रतिनिधित्व करता है।

39. यही कारण है कि जे. कुमारदासन नायर बनाम में धारा 14 के सिद्धांतों को लागू किया गया था। एरिक सोहन [(2009) 12 एस. सी. सी. 175: (2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 656] केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण आवेदन के लिए। न्यायालय ने कहा: (एससीसी पीपी। 180-81 , पैरा 16-18)

'16 . सीमा अधिनियम की धारा 5 और 14 में निहित प्रावधान राहत देने के लिए हैं जहां कोई व्यक्ति

कुछ गलती की है। धारा 5 के प्रावधान और इस प्रकार , सीमा अधिनियम के 14 को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए

व्यापक तरीके से। जब सीमा अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अपने आप में लागू नहीं होती है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके समान सिद्धांत लागू नहीं होंगे। अन्यथा, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

यही बात इस प्रकार के मामले में भी लागू होगी।

17. इसमें और कोई संदेह नहीं हो सकता कि

धारा में निहित 'वाद' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए

2 (1) सीमा अधिनियम के अनुसार, एक पुनरीक्षण आवेदन उक्त विवरण का उत्तर नहीं देगा। लेकिन, हालांकि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान अपने आप में लागू नहीं हैं, हमारी राय में, इसके सिद्धांत इस उद्देश्य के लिए लागू होंगे -

अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करने में देरी की क्षमा

उसकी धारा 5 के संदर्भ में।

18. यह भी अब कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि

किसी गलत प्रावधान का या किसी प्रावधान का उल्लेख न करने का

कानून, अपने आप में, हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा

न्यायालय की अधिकारिता यदि वह अन्यथा कानून में निहित है। अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय केवल इस बात पर विचार करेगा कि क्या वह

इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का स्रोत है या नहीं। न्यायालय धारा 5 और 14 जैसे लाभकारी प्रावधानों को लागू नहीं करेगा।

एक पांडित्यपूर्ण तरीके से सीमा अधिनियम। जब प्रावधान लागू होने के लिए होते हैं और वास्तव में किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होते पाए जाते हैं, तो हमारी राय में, इस बात का कोई कारण नहीं है कि अदालत केवल गलत प्रावधान का उल्लेख किए जाने के कारण इसे लागू करने से इनकार कर देगी। एक मामले में इस प्रकार, सीमा अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अपने आप में लागू नहीं हो सकती है, लेकिन, जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है,

इसके सिद्धांत इस उद्देश्य के लिए लागू होंगे - इसकी धारा 5 के संदर्भ में विलम्ब की क्षमा।

0. न्यायालय ने समेकित अंग्रेज़ी से आगे उद्धृत किया।एन. इंटरप्राइजेज [(2008) 7 एस. सी. सी. 169] एक निर्देशात्मक मार्गः (एरिक हान मामला [(2009) 12 एस. सी. सी. 175: (2009) 4 एससीसी (सीआईवी) 656], एससीसी

183 , पैरा 21)

'21 . समेकित अंग्रेज़ी में। उद्यम बनाम। सिंचाई

विभाग. [(2008) 7 एस. सी. सी. 169] इस न्यायालय ने निर्णय दिया: (एस. सी. सी पी. 181, पैरा 22)

'22 . इस धारा की नीति किसी वादी को सुरक्षा प्रदान करने की है।

सीमा के बार के खिलाफ जब वह एक कार्यवाही स्थापित करता है

जिसे किसी तकनीकी दोष के कारण तय नहीं किया जा सकता है।

योग्यता पर और बर्खास्त कर दिया जाता है। सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों पर विचार करते समय, उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा और प्रावधानों की व्याख्या कल्पराज धर्मशी v के रूप में करनी होगी।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

न्याय को निरस्त करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए

कार्यवाही। यह ध्यान रखना अच्छा होगा कि गलती का एक तत्व धारा 14 के आह्वान में निहित है। वास्तव में, इस धारा का उद्देश्य गलत उपचार या गलत मंच के चयन के मामलों में सीमा की सीमा के खिलाफ राहत प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 14 को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका ने एक प्रामाणिक मुकदमेबाजी गतिविधि द्वारा कवर की गई एक निश्चित अवधि को छूट देने के लिए उक्त धारा को अधिनियमित किया है। खंड में उपयोग किए गए शब्दों पर, इस व्याख्या को बनाए रखना संभव नहीं है कि उक्त खंड में अंतर्निहित सिद्धांत, अर्थात्, सीमा का प्रतिबंध किसी व्यक्ति को ईमानदारी से अपना काम करने से प्रभावित नहीं करना चाहिए।

वादी अपने आवेदन को अदालत में लाता है, यानी एक अदालत जिसे इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी जहां वह प्रामाणिक गलती या (एस. आई. सी.) कानून या प्रक्रिया के दोष के परिणामस्वरूप गलत अदालत में मुकदमा या आवेदन लाता है। होने के नाते विधायिका के इरादे को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि धारा 14 में अंतर्निहित समानता को अपनी पूरी सीमा तक लागू किया जाना चाहिए और गलत अदालत में किसी उपाय का लगन से पीछा करने में लगने वाले समय को बाहर रखा जाना चाहिए।

शक्ति टयूब लिमिटेड बनाम देखें। बिहार राज्य [(2009) 1 एससीसी 786:

(2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 370]।'

50. इस प्रकार, यह न्यायालय भूदान सिंह और एक अन्य बनाम नबी बक्स और अन्य 3 1, जे. के मामलों में पहले के फैसलों पर भरोसा करता है।

कुमारदासन नायर और एक अन्य बनाम इरिक सोहन और अन्य 3 2, और

31 (1969) 2 एस. सी. सी. 481 32 (2009) 12 एससीसी 175 [2021] 2 एस. सी. आर.

सीमा अधिनियम की धारा 5 और 14 में राहत देने के लिए हैं,

(ऊपर), यह देखा गया है कि जब सीमा अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अपने आप लागू नहीं होती है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा: कि उनके समान सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

51. समेकित अभियांत्रिकी उद्यम (उपर्युक्त) में, यह देखा गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों पर विचार करते समय, उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा और प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी, ताकि कार्यवाही को निरस्त करने के बजाय न्याय के कारण को आगे बढ़ाया जा सके। यह देखा गया है कि गलती का एक तत्व धारा 14 के आह्वान में निहित है। वास्तव में, इस धारा का उद्देश्य गलत उपचार या गलत मंच के चयन के मामलों में सीमा की सीमा के खिलाफ राहत प्रदान करना है। यह देखा गया है कि विधायिका ने एक प्रामाणिक मुकदमेबाजी गतिविधि द्वारा कवर की गई एक निश्चित अवधि को छूट देने के लिए धारा 14 को अधिनियमित किया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 14 में अंतर्निहित समानता को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और गलत अदालत में किसी उपाय का लगन से पालन करने में लगने वाले समय को बाहर रखा जाना चाहिए। इस तरह हो सकता है यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई प्रामाणिक वादी गलती से किसी गलत मंच के समक्ष मुकदमा करता है, तो वह उस अवधि को हटाने का हकदार होगा, जिसके दौरान वह प्रामाणिक रूप से इस तरह के गलत उपाय पर मुकदमा चला रहा था। हालांकि सख्ती से, सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे।

हालाँकि, एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष, उसी के अंतर्निहित सिद्धांत लागू होंगे अर्थात उचित दृष्टिकोण कार्यवाही को निरस्त करने के बजाय न्याय के कारण को आगे बढ़ाने का होना चाहिए।

52. एक समान तर्क जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, कि चूंकि संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, इसलिए केवल संहिता के तहत प्रदान की गई सीमा क्षेत्र को नियंत्रित करेगी और इसमें शामिल नहीं होगी - एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू किया गया था। इस आपत्ति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 42. हालाँकि, यह विचार करना बाकी है कि क्या श्री सांघी का यह कहना सही है कि धारा 128 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो आवश्यक रूप से सीमा की धारा 14 के अनुप्रयोग को बाहर करती है।

एक्ट करें। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने पार्सन टूल्स [(1975) 4 एस. सी. सी. 22: 1975 एससीसी (कर) 185: (1975) 3 एस. सी. आर. 743] जिसकी चर्चा यहाँ ऊपर की गई है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पार्सन टूल्स [(1975) 4 एससीसी 22: 1975 एससीसी (कर) 185:

(1975) 3 एस. सी. आर. राज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

743] एक निर्णय था जिसने उल्लिखित तीन विशेषताओं को चालू कर दिया था

उक्त मामले में। यू. पी. बिक्री कर अधिनियम के विपरीत, सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पक्ष को स्वतः संज्ञान लेते हुए अपीलीय शक्ति का उपयोग करने और उस व्यक्ति को राहत देने में सक्षम बनाता है जो

एक उपयुक्त मामले में समय से बाहर अपील करें। इसके अलावा, यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 पहली अपील पहले ही खारिज किए जाने के बाद एक संशोधन याचिका दायर करने से संबंधित है, न कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 के तहत प्रदान की गई पहली अपील के मामले से। एक अन्य विशेषता, जो इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के तहत दायर पुनरीक्षण याचिकाओं के लिए 18 महीने की पर्याप्त लंबी अवधि दी गई थी, जिसके बाद यह विधायिका की नीति थी कि सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाए। पार्सन टूल्स [(1975) 4 एस. सी. सी. 22 का यह पहलूः 1975 एससीसी (कर) 185: (1975) 3 एस. सी. आर. 743] को समेकित अंग्रेज़ी में समझाया गया है। [(2008) 7 एस. सी. सी. 169] मुख्य निर्णय के साथ-साथ सहमति वाले निर्णय दोनों द्वारा कुछ विस्तार से। बाद के फैसले में, यह बताया गया है कि समय बढ़ाने और देरी को माफ करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की तरह, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 एक ऐसी धारा है जो यह निर्धारित करती है कि देरी को एक निश्चित अवधि से आगे माफ नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की तरह, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 एक लंबी अवधि निर्धारित नहीं करती है। इन परिस्थितियों में, धारा 14 या धारा 14 में निहित सिद्धांतों के बहिष्करण का अनुमान लगाना।

यह अनुचित रूप से कठोर होगा और न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसे नहीं भुलाया जाना चाहिए जैसा कि समेकित अंग्रेजी में सहमत निर्णय में बताया गया है। [(2008) 7 एससीसी 169] किः (एस. सी. सी पी. 193, पैरा 54)

'54 . ..... यहां तक कि जब धारा 14 को लागू करने का कारण होता है, तब भी सीमा अवधि तीन महीने बनी रहती है और उससे अधिक नहीं होती है, लेकिन इसके लिए तीन महीने की सीमा अवधि की गणना में

ए. सी. अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत आवेदन, वह समय जब आवेदक पहले इस तरह के आवेदन पर मुकदमा चला रहा था।

गलत अदालत को बाहर रखा गया है, बशर्ते कार्यवाही में

लगन। पश्चिमी बिल्डर [गोवा राज्य बनाम। पश्चिमी बिल्डर्स , (2006) 6 एस. सी. सी. 239] इसलिए सही कानूनी स्थिति निर्धारित करता है।

43. केवल इसलिए कि पार्सन टूल्स [(1975) 4 एससीसी 22: 1975 एससीसी (कर) 185: (1975) 3 एस. सी. आर. 743] ने एक कर [2021] 2 एस. सी. आर. में एक प्रावधान पर भी विचार किया।

कानून यह नहीं बनाता है कि उक्त निर्णय का अनुपात पूरी तरह से अलग शब्द वाले कर क़ानून पर लागू होता है जिसमें बहुत कम अवधि होती है।

सीमा की अवधि-सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128। इसके अलावा, धारा 14 का सिद्धांत न केवल क्षमा के लिए निर्धारित बाहरी अवधि के भीतर देरी को माफ करने में लागू होगा, बल्कि समेकित में बताए गए कारण के लिए ऐसी अवधि को लागू करेगा।

इंग. [(2008) 7 एस. सी. सी. 169] ऊपर, के बीच का अंतर है धारा 14 के सिद्धांतों के तहत एक निश्चित अवधि का पूरी तरह से बहिष्कार और देरी को माफ करना। जैसा कि उक्त निर्णय में बताया गया है, जब सिद्धांतों को लागू करके एक निश्चित अवधि को बाहर रखा जाता है।

धारा 14 में निहित, अपीलार्थी के लिए कोई विलंब नहीं है और संबंधित क़ानून द्वारा प्रदान की गई सीमा अवधि बताई गई अवधि बनी हुई है और बताई गई अवधि से अधिक नहीं है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 14 का सिद्धांत, जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर आधारित एक सिद्धांत है, निश्चित रूप से अभियोजन कार्यवाही में लिए गए समय को हटाने के लिए लागू होगा, जो प्रामाणिक और उचित परिश्रम के साथ की जाती है, जो अंततः मामले के गुण-दोष पर निर्णय के बिना समाप्त हो जाती है।

निगम (उपर्युक्त) जिसे पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर उठाया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि जिस समय के दौरान आवेदक गलत अदालत के समक्ष इस तरह के आवेदन पर मुकदमा चला रहा था, उसे बाहर रखा जा सकता है, बशर्ते कि गलत अदालत में कार्यवाही पर उचित परिश्रम के साथ ईमानदारी से मुकदमा चलाया गया। इस न्यायालय ने पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स (उपरोक्त) के मामले में फैसले को इस आधार पर अलग किया कि यू. पी. बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन दाखिल करने के लिए प्रदान की गई अवधि पर्याप्त रूप से लंबी अवधि थी।

18 महीने, जिसके बाद यह विधायिका की नीति थी कि सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाए। समेकित इंजीनियरिंग उद्यमों (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया है कि एक महत्वपूर्ण अंतर है

समय बढ़ाने और देरी को माफ करने के बीच। यह आगे देखा गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की तरह, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 में प्रदान की गई अवधि में मध्यस्थता को प्राथमिकता देने के लिए एक लंबी अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। अपील करें। इस प्रकार, सीमा अधिनियम की धारा 14 में निहित सिद्धांतों को बाहर करना अनुचित रूप से कठोर होगा। समेकित इंजीनियरिंग उद्यमों (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए यह देखा गया कि

धारा 14 के सिद्धांतों के तहत एक निश्चित अवधि के पूरी तरह से बहिष्कार और देरी को माफ करने के बीच का अंतर। यह देखा गया है, कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कि जब धारा 14 में निहित सिद्धांतों को लागू करके एक निश्चित अवधि को बाहर रखा जाता है, तो अपीलार्थी को कोई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है और संबंधित क़ानून द्वारा प्रदान की गई सीमा अवधि, बताई गई अवधि बनी हुई है और बताई गई अवधि से अधिक नहीं है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 14 का सिद्धांत, जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर आधारित एक सिद्धांत है, निश्चित रूप से उन कार्यवाहियों पर मुकदमा चलाने में लिए गए समय को हटाने के लिए लागू होगा जो प्रामाणिक हैं और जिनका उचित तरीके से पालन किया जाता है।

परिश्रम लेकिन जो मामले के गुण-दोष पर निर्णय के बिना समाप्त हो जाता है।

54. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, एन. सी. एल. टी. द्वारा 28.11.2019 पर अपना फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद और उससे पहले भी

प्रमाणित प्रति आई. डी. 2 पर उपलब्ध कराई गई थी, के. आई. ए. एल. ने मुख्य आधार पर आई. डी. 1 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। इस तरह के आधार को एक रिट अदालत के समक्ष वैध रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मायने में, यह गलत अदालत के समक्ष कार्यवाही नहीं थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 28.1.2020 के फैसले और आदेश के अवलोकन से, जो वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर देता है, यह पता चलेगा कि उक्त रिट याचिका को पक्षों के बीच गर्मजोशी से लड़ा गया था और 32 पृष्ठों के आदेश द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को कानून में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने के लिए उसमें (यानी केआईएएल) खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

55. रिट याचिका के ज्ञापन के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता (यानी के. आई. ए. एल.) ने विशेष रूप से याचिका में इस प्रकार कहा है:

28 नवंबर 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण-पीठ-II, मुंबई ("एन. सी. एल. टी".) द्वारा विविध पर पारित किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2019 का आवेदन No.1039। एन. सी. एल. टी. ने कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करते हुए और सही और वास्तविक परिस्थितियों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए आक्षेप को पारित करने के लिए आगे बढ़े हैं। आदेश दें। यह आदेश दो सदस्यों, माननीय एम. के. शरावत (न्यायिक) और माननीय चंद्र भान सिंह (तकनीकी) की पीठ द्वारा 28 नवंबर, 2019 को पारित किया गया। तथापि, माननीय सदस्य श्री एम. के. शरावत (न्यायिक) द्वारा मामले की सुनवाई की गई और 3 जुलाई, 2019 को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा गया। प्रासंगिक समय पर, जब मामले की सुनवाई की गई और तर्क दिया गया, तो माननीय चंद्र भान सिंह (तकनीकी) को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के सदस्य के रूप में भी नियुक्त नहीं किया गया था

21] 2 एस सी आर।

एन. सी. एल. टी. और कभी भी सुनवाई और निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन। यह केवल याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन नहीं है, बल्कि सामान्य आदेश द्वारा निपटाए गए 3 अन्य आवेदनों को आदेश पारित करने वाली पीठ द्वारा नहीं सुना गया है। यह केवल कानून के विपरीत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से थी। यहाँ संलग्न किया गया और एक्सहिबिट के रूप में चिह्नित किया गया

" ए "28 नवंबर 2019 को पारित आदेश की प्रति है।

2019 के विविध आवेदन संख्या 1039 पर एन. सी. एल. टी.

56. इसलिए यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-के. आई. ए. एल. ने विशेष रूप से कहा है कि हालांकि याचिकाकर्ता के आवेदन की सुनवाई एक सदस्य (न्यायिक) द्वारा की गई थी, लेकिन आदेश एक खंड पीठ द्वारा पारित किया गया था जिसमें सदस्य (न्यायिक) के साथ-साथ सदस्य (तकनीकी) शामिल थे। आधारों के अवलोकन से आगे पता चलेगा कि एक विशिष्ट आधार लिया गया है, कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

57. रिट याचिका के ज्ञापन के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 14. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के पास माननीय एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है। हालांकि,

वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दा केवल विवादित आदेश के गुण-दोष के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायाधिकरण के कामकाज और न्यायाधिकरण के मामलों से निपटने के तरीके के बारे में भी है। ये न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय यानी इस माननीय न्यायालय के पर्यवेक्षी नियंत्रण में आते हैं। इसमें शामिल मुद्दा इस मामले के संबंध में नहीं है, बल्कि न्यायाधिकरण के दिन-प्रतिदिन के कामकाज और न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे मुद्दों से निपटने के तरीके के संबंध में भी है। इसलिए, याचिकाकर्ता लेखन का अभ्यास कर रहा है

इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता।

58. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसमें याचिकाकर्ता यानी के. आई. ए. एल. ने विशेष रूप से कहा है कि हालांकि इसका एक वैकल्पिक उपाय था - एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करना, क्योंकि याचिका केवल विवादित आदेश के गुण-दोष के बारे में नहीं थी, बल्कि न्यायाधिकरण के कामकाज के संबंध में भी याचिकाकर्ता न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहा था।

59. अब तक, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता एक कठोर और तेज़ नियम नहीं है, बल्कि आत्म-संयम का नियम है। 1969 में, राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

बाबू राम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी (ऊपर) के अनुसार, यह इस प्रकार देखा गया:

" यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि जब एक वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपाय एक वादी के लिए खुला है तो उसे उस उपाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होनी चाहिए न कि एक विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। यह सच है।

कि एक वैधानिक उपचार का अस्तित्व प्रभावित नहीं करता है

रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता। लेकिन, जैसा कि इस न्यायालय ने राशिद अहमद बनाम में कहा है। नगरपालिका बोर्ड, कैराना [(1950) एस. सी. आर. 566] ने कहा, "अनुदान देने के मामले में एक पर्याप्त कानूनी उपचार के अस्तित्व पर विचार किया जाना चाहिए।

एक रिट दिए जाने से पहले वैधानिक उपचारों के समाप्त होने का नियम कानून के नियम के बजाय स्व-अधिरोपित सीमा, नीति का नियम और विवेकाधिकार का नियम है और इसलिए अदालत असाधारण मामलों में इस तथ्य के बावजूद कि वैधानिक उपचार समाप्त नहीं हुए हैं, प्रमाणपत्र की रिट जैसी रिट जारी कर सकती है। 60. इस न्यायालय ने आगे दो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद निर्धारित किए

वैधानिक उपचारों के समाप्त होने के संबंध में सिद्धांत, जो

इस प्रकार:

" वैधानिक उपचारों के समाप्त होने के संबंध में इस सिद्धांत के कम से कम दो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं। सर्वप्रथम, यह सर्वसम्मत है कि जहां कानून के किसी प्रावधान के तहत किसी न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही की जाती है, जो अधिकार से परे है, वहां किसी व्यथित पक्ष के लिए यह खुला है कि वह अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का रुख करे। 226 उन्हें इस आधार पर रद्द करने के लिए उचित रिट जारी करने के लिए कि वे अक्षम हैं, जब तक कि उन कार्यवाहियों को अपना पूरा पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। (कार्ल स्टिल G.m.b.H में इस न्यायालय के निर्णयों को देखें। बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1615] और द बंगाल इम्युनिटी कंपनी। लिमिटेड वी. राज्य बिहार [(1955) 2 एस. सी. आर. 603]। दूसरे स्थान पर, इस सिद्धांत का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए विवादित आदेश दिया गया है (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देखें। मोहम्मद नूह [(1958) एस. सी. आर. 595] "।

61. यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब एक सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लागू की जाने वाली कार्यवाहियां अधिकार क्षेत्र में आती हैं या जब वे [2021] 2 एस. सी. आर. होती हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में, पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार होगा।

संविधान।

62. पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक बाधा के रूप में काम नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर बहुत सारे मामले हैं-कानून लेकिन फोरेंसिक बवंडर के इस चक्र को काटने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने फैसलों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी क्षेत्र में हैं।

एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ऊपर)। 64. वर्तमान मामले में, रिट याचिका के अवलोकन से पता चलेगा कि यह के. आई. ए. एल. का विशिष्ट मामला था, कि उसका आवेदन, आपत्ति करता है

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आर. पी. के आवेदन की सुनवाई एक सदस्य (न्यायिक) द्वारा की गई, जबकि अंतिम आदेश एक पीठ द्वारा पारित किए गए जिसमें सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी) शामिल थे। इसने विशेष रूप से कहा है कि हालांकि इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहा था क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के तरीके के संबंध में भी था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि के. आई. ए. एल. नेक इरादे से उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का मुकदमा चला रहा था। ऊपर उल्लिखित तिथियों के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि के. आई. ए. एल. उचित समय के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही कर रहा था।

लगन। प्रमाणित प्रति की उपलब्धता से पहले ही इसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला था तीव्र विरोध किया गया और अंततः, याचिका को एक विस्तृत कल्पराज धर्मशी बनाम द्वारा खारिज कर दिया गया।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

के. आई. ए. एल. को कानून में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के लिए खारिज करने वाला निर्णय।

इस प्रकार, वे शर्तें जो किसी पक्ष को सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करने में सक्षम बनाती हैं, के. आई. ए. एल. के लिए बहुत उपलब्ध हैं। यदि वह अवधि जिसके दौरान के. आई. ए. एल. रिट याचिका पर मुकदमा चला रहा था उच्च न्यायालय के समक्ष और वह भी उचित परिश्रम के साथ, सीमा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करने से बाहर रखा गया है, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपील बहुत हद तक सीमा के भीतर होगी। हम पाते हैं कि के. आई. ए. एल. उस अवधि को हटाने का हकदार होगा जिसके दौरान वह उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार का मुकदमा चला रहा था।

65. यह हमें सीमा के मुद्दे पर अपीलार्थियों द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है।
66. लोकप्रिय निर्माण कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या धारा 5 के प्रावधान हैं।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर सीमा अधिनियम लागू होता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 14. यहाँ 1996 के अधिनियम का इतिहास और योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत निर्धारित समय-सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा पूर्ण और विस्तार योग्य नहीं है। मध्यस्थता और सुलह विधेयक, 1995, जो 1996 के अधिनियम से पहले था, ने अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में "मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने" की आवश्यकता को बताया [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा 4 (v)]। यह उद्देश्य को अधिनियम की धारा 5 में अभिव्यक्ति मिली है जो बिना किसी अनिश्चित शब्दों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा निर्धारित करती है:

‘ 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। इसके बावजूद तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कोई भी बात, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।” “

67. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पॉप्युलर कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर इस न्यायालय द्वारा एक पीठ द्वारा विचार किया गया था

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम (उपर्युक्त) के मामले में तीन न्यायाधीशों से युक्त, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत एक आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने के संबंध में प्रश्न विचार के लिए गिर गया। समेकित इंजीनियरिंग में उद्यम (ऊपर), इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता एक उद्यम [2021] 2 एस. सी. आर. था।

सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में लगे हुए हैं। इसने प्रत्यर्थी के साथ मिट्टी के बांध, हेड स्लुइस और वाई. जी. गुड्डा टैंक के ड्राफ्ट चैनल के निर्माण के लिए एक समझौता किया। पक्षों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और इसलिए, अपीलार्थी ने समझौते के मध्यस्थता खंड 51 को लागू किया। विवाद को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा गया जिसने अपीलार्थी के पक्ष में अपना निर्णय पारित किया। उक्त पुरस्कार से व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थियों ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), रामनगरम, बैंगलोर ग्रामीण जिला, बैंगलोर के न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 द्वारा प्रदान किए गए उक्त पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा यह महसूस किया गया कि पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश, बैंगलोर जिला (ग्रामीण) के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय में प्रतिवादियों द्वारा एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी,

रामानगरम ने प्रधान जिला न्यायाधीश (ग्रामीण) के न्यायालय में पुरस्कार को रद्द करने के लिए किए गए आवेदन को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ, बैंगलोर।

68. सिविल जज (सीनियर डिवीजन), रामनगरम ने एक पारित किया

उचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वाद अभिलेखों को वापस करने का निर्देश देने वाला आदेश। इसलिए प्रत्यर्थियों ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), रामनगरम के न्यायालय से कागजात एकत्र किए और प्रस्तुत किए

प्रधान जिला न्यायाधीश, बैंगलोर (ग्रामीण) के न्यायालय में भी ऐसा ही है। जिला न्यायालय ने एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया, कि क्या मुकदमा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत सीमा द्वारा वर्जित था। जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि पुरस्कार को रद्द करने के आवेदन पर समय की पाबंदी है। प्रत्यर्थियों ने बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जिला न्यायाधीश, बैंगलोर ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होती है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस समय के दौरान प्रतिवादी सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), रामनगरम के न्यायालय में मुकदमा चला रहे थे, वह बहिष्कृत था। 69. पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पंचाल, जे. ने अपने और बालकृष्ण, सी. जे. (उनके प्रभुओं के रूप में) के लिए बोलते हुए इस प्रकार मनाया:

" 27. यह तर्क कि भारत संघ बनाम में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को देखते हुए। लोकप्रिय निर्माण राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कं. [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान किसी आवेदन पर लागू नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर किया गया, तथ्य से रहित है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू नहीं होती है। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है, वहां धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जब तक और जिस हद तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। आत्मनिरीक्षण पर, इस न्यायालय की खंड पीठ ने निर्णय दिया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान एक याचिका को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू नहीं होते हैं।

पुरस्कार। इस निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान भी धारा के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू नहीं होते हैं।

34 अधिनियम से। जैसा कि पहले देखा गया है, 1996 के अधिनियम में, धारा के प्रावधानों को लागू करने के अलावा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

14 किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन के लिए सीमा अधिनियम।

28. इसके अलावा, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार और उक्त अधिनियम की धारा 14 में दिए गए समय के अपवर्जन के बीच मौलिक अंतर है। धारा 5 के तहत देरी को माफ करने और समय बढ़ाने की शक्ति है -

धारा 14 की तुलना में इसका विस्तार इस अर्थ में व्यापक है कि कई व्यापक रूप से अलग-अलग कारणों को आगे बढ़ाया और स्थापित किया जा सकता है कि समय के भीतर अपील या आवेदन दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। धारा 5 और 14 के संबंध में सामग्री अलग-अलग हैं। धारा 14 का प्रभाव यह है कि यह पता लगाने के लिए कि "निर्धारित अवधि" की समाप्ति की तारीख क्या है,

जिन दिनों को सीमा के माध्यम से संचालन से बाहर रखा गया है, उन्हें मुख्य रूप से निर्धारित सीमा की अवधि में जोड़ा जाना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि निर्णय

लोकप्रिय निर्माण कंपनी में [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] नियम है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

70. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि लोकप्रिय निर्माण कंपनी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का अर्थ एक

यह निर्णय देते हुए कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर भी लागू नहीं होते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम में धारा 14 के प्रावधानों को लागू करने के अलावा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

पुरस्कार को चुनौती देने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर सीमा अधिनियम। यह भी पाया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार और उक्त अधिनियम की धारा 14 में दिए गए समय के अपवर्जन के बीच मौलिक अंतर है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 5 के तहत देरी को माफ करने और समय बढ़ाने की शक्ति विवेकाधीन है, जबकि धारा 14 के तहत, समय का बहिष्करण अनिवार्य है, यदि आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं। इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 का प्रभाव यह है कि यह पता लगाने के लिए कि "निर्धारित अवधि" की समाप्ति की तारीख क्या है, सीमा के माध्यम से संचालन से बाहर रखे गए दिनों को मुख्य रूप से निर्धारित सीमा की अवधि में जोड़ा जाना चाहिए।

71. रवींद्रन, जे. (उस समय उनके स्वामी के रूप में) ने अपने सहमत निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 54. दूसरी ओर, सीमा अधिनियम के भाग III में निहित धारा 14 सीमा की अवधि के विस्तार से संबंधित नहीं है, बल्कि अवधि की गणना करते समय कुछ अवधि के बहिष्करण से संबंधित है।

सीमाएँ। न तो एसी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) और न ही एसी अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान धारा के तहत आवेदनों पर सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को बाहर करता है।

34 (1) ए. सी. अधिनियम। न ही धारा 34 (3) का परंतुक धारा 14 के अनुप्रयोग को बाहर करेगा, क्योंकि धारा 14 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सीमा की अवधि का विस्तार, लेकिन सीमा की अवधि की गणना करते समय कुछ अवधि के बहिष्करण के लिए। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) को ध्यान में रखते हुए, उस अधिनियम की धारा 14 एसी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत एक आवेदन पर लागू होगी। तब भी जब धारा 14 को लागू करने का कारण है, सीमा अवधि तीन महीने बनी हुई है और उससे अधिक नहीं है, लेकिन एसी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत आवेदन के लिए तीन महीने की सीमा अवधि की गणना करने में, जिस समय के दौरान आवेदक गलत अदालत के समक्ष इस तरह के आवेदन पर मुकदमा चला रहा था, उसे बाहर रखा गया है, बशर्ते गलत अदालत में कार्यवाही पर उचित परिश्रम के साथ ईमानदारी से मुकदमा चलाया गया हो। इसलिए पश्चिमी बिल्डर [(2006) 6 एस. सी. सी. 239]

सही कानूनी स्थिति निर्धारित करता है "। कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

72. पैराग्राफ 57 में, जे. रवींद्रन ने यह भी कहा कि निर्णय

लोकप्रिय निर्माण कंपनी (उपरोक्त) ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने पर विचार नहीं किया।

73. इस प्रकार, समेकित अभियांत्रिकी उद्यमों (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए,

लोकप्रिय निर्माण कंपनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर अपीलार्थियों द्वारा रखी गई निर्भरता किसी भी सहायता की नहीं होगी।

74. सिंह एंटरप्राइजेज (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है, जिसमें उठाया गया सवाल था केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 के तहत दायर अपील पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में। पुनः, उक्त निर्णय धारा 5 की प्रयोज्यता से संबंधित है न कि सीमा अधिनियम की धारा 14 की और इसलिए अपीलार्थियों के मामले का समर्थन नहीं करेगा।

75. इसी तरह, आयुक्त के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 3-3 भी अपीलार्थियों की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह अपरिवर्तित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-एच (1) के तहत प्रदान किए गए संदर्भ आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के संबंध में था।

76. इन्हीं कारणों से, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी नहीं लेगा।

अपीलार्थियों का मामला, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत अपील के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के संबंध में था।

77. हम पाते हैं कि इन्हीं कारणों से बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के मामले में अपीलार्थियों द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया था

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421 (3) और 433 के तहत प्रदान की गई अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता पर विचार किया। 33 (2009) 5 एस. सी. सी. 791

34 (2018) 3 एससीसी 41 [2021] 2 एस. सी. आर.

78. नीरज झांजी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने शुरू में दिल्ली के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

सीमा शुल्क आयुक्त, कानपुर द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत रिट याचिका को एक वैधानिक अपील में बदल दिया। 9-9-2010 पर राजस्व ने क्षेत्रीय के बारे में आपत्ति जताई

उस न्यायालय की अधिकारिता। <ID1] पर याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस ले ली और फिर 697 की देरी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक वैधानिक अपील दायर की।

दिन होते हैं। नीरज झांजी (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

" 3. याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली में रिट याचिका दायर करना

द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय

सीमा शुल्क आयुक्त, कानपुर इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मौका लिया, जिसका इस मामले में कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। हम संतुष्ट हैं कि रिट याचिका दायर करने या उस मामले के लिए, दिल्ली के समक्ष अपील करें।

उच्च न्यायालय बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं था। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों से सहमत हैं। सी. सी. ई. और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क अपील 2012 का दोषपूर्ण 16, दिनांकित आदेश 6-8-2012 (सभी)]। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

विलम्ब की क्षमा और परिणामस्वरूप अपील को समय की पाबंदी के रूप में।

80. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपचार पर मुकदमा चला रहा था और वह भी उचित परिश्रम के साथ। इस प्रकार, उक्त निर्णय भी अपीलार्थियों के मामले के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा।

81. केतन वी. पारेख (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया जाता है। प्रश्न, जो कल्पराज धर्मशी बनाम के लिए उत्पन्न हुआ।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

उक्त मामले में विचार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 35 के तहत प्रदान किए गए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से अपील पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने के संबंध में था। यह न्यायालय समेकित अभियांत्रिकी उद्यम (उपर्युक्त) और राज्य के मामले में पहले के फैसले पर भरोसा करता है

गोवा बनाम वेस्टर्न बिल्डर्स 3 5 ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 को उस समय को हटाने के लिए एक उपयुक्त मामले में लागू किया जा सकता है, जिसके दौरान पीड़ित व्यक्ति पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है-एक गलत मंच के समक्ष एक उपाय। हालाँकि, तथ्यों और अभिवचनों में किए गए कथनों पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इसमें एक फुसफुसाहट भी नहीं थी। अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए आवेदनों में कहा गया है कि वे उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ गलत मंच यानी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार का मुकदमा चला रहे थे। उक्त निर्णय के निम्नलिखित अनुच्छेदों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

" 32. एक और कारण है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ अपीलार्थियों को क्यों नहीं दिया जा सकता है। वे सभी विभिन्न वैधानिक प्रावधानों से अच्छी तरह से परिचित हैं, जिनमें शामिल हैं - फेमा।
उनमें से एक को विशेष न्यायालय की धारा 3 (2) के तहत अधिसूचित व्यक्ति घोषित किया गया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश। इसलिए, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मौका लिया और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को मनाने में सफल रहे। द. जिस शीघ्रता के साथ अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील कार्तिक के. पारेख ने दिल्ली के समक्ष एक बयान दिया।

7-11-2007 पर उच्च न्यायालय कि रिट याचिका को अपील में परिवर्तित किया जा सकता है और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, इसका स्पष्ट संकेत है

21] 2 एस सी आर।

उच्च न्यायालय अर्थात बंबई उच्च न्यायालय, जिसके पास अनन्य अधिकार क्षेत्र था, के समक्ष उपचार का लाभ उठाने के लिए अपीलार्थी की अनिच्छा

अधिनियम की धारा 35 के तहत एक अपील पर विचार करना।

33. यह विश्वास करना संभव नहीं है कि 7-11-2007 पर, अपीलार्थी और उनके अधिवक्ता अम्बिका इंडस्ट्रीज बनाम में इस न्यायालय के फैसले से अवगत नहीं थे। सी. सी. ई. [(2007) 6 एस. सी. सी. 769]

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने की पुष्टि की गई और यह देखा गया कि पक्षों को मंच की खरीदारी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह हमें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता है कि यह प्रार्थना करने के बाद कि उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं को धारा 35 के तहत अपील के रूप में माना जाए, दो अपीलार्थियों ने उस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किए। निस्संदेह, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की, लेकिन जिस तरह से अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाओं पर मुकदमा चलाया

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में देरी करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ ऐसा किया था और किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि वे एक गलत मंच के समक्ष सही तरीके से मुकदमा चला रहे थे। बल्कि, पूरी तरह से अनुपस्थिति थी सद्भावना, जो सीमा अधिनियम की धारा 14 को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

82. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसमें अपीलार्थी जोखिम लेने की प्रथा में लिप्त थे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

बॉम्बे में विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित अन्य मामलों का विरोध करना। यह देखा गया है कि उनके पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया होगा। इसलिए, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मौका लिया और उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार करने के लिए मनाने में सफल रहे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जिस शीघ्रता के साथ बयान दिया गया था अपीलार्थी, कि रिट याचिका को अपील में परिवर्तित किया जा सकता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार का लाभ उठाने के लिए अपीलार्थी की अनिच्छा का एक स्पष्ट संकेत था, जिसके पास अधिनियम की धारा 35 के तहत अपील करने का विशेष अधिकार क्षेत्र था।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

83. वर्तमान मामले में तथ्य पूरी तरह से विपरीत हैं। के. आई. ए. एल. ने एक विशिष्ट शिकायत करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कि एन. सी. एल. टी. ने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। रिट याचिका में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि इसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन यह उच्च न्यायालय का रुख कर रहा था क्योंकि एन. सी. एल. टी. के कामकाज के संबंध में मुद्दा भी विचार के लिए था। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही गरमागरम थी चुनौती दी और एक विस्तृत निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता यानी के. आई. ए. एल. को एक वैकल्पिक याचिका के लिए खारिज कर दिया गया।

कानून में उपलब्ध उपाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि के. आई. ए. एल. सद्भावना और उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपाय पर मुकदमा चला रहा था। किसी मामले में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता था क्योंकि शिकायत एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के उल्लंघन के बारे में थी।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यह एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमित क्षेत्र के भीतर आएगा।

84. यह न्यायालय हाल ही में एंबेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फैसले में आया है। लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य 3 6 के पास इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर था। हम इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का उल्लेख करना उचित पाते हैं, जो इस प्रकार है:

" i) क्या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत एक कार्यवाही में पारित आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के वैधानिक उपाय की उपलब्धता की अनदेखी करते हुए।

और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?
85. इसके द्वारा दिए गए उत्तर को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा।

अदालत।

" 47. इसलिए, ठीक है, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह होगा कि खनन पट्टा के विस्तार के लिए पूरक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने के निर्देश के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र एन. सी. एल. टी. के पास नहीं था। चूंकि एन. सी. एल. टी. ने एक ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का फैसला किया जो कानून में निहित नहीं था, इसलिए कर्नाटक के उच्च न्यायालय को इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने के लिए उचित ठहराया गया कि एन. सी. एल. टी. गैर-न्यायिक था।

इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि के. आई. ए. एल. उस अवधि के विस्तार का हकदार था जिसके दौरान वह एक पक्ष पर मुकदमा चला रहा था।

उचित परिश्रम के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार।

((ii) कुछ भी बचा हुआ था और

कलप्राज की भागीदारी को चुनौती देने से रोकने के लिए कियाल द्वारा कार्रवाई?

86. अपीलार्थियों की ओर से यह पुरजोर आग्रह किया जाता है कि प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 10.4 के तहत, यदि कोई समाधान योजना

समाधान योजना प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी योग्य आवेदक (ओं) से आर. पी. द्वारा प्राप्त, आर. पी. सी. ओ. सी. के अनुमोदन के साथ किसी भी समाधान योजना की जांच करने के लिए स्वतंत्र है और आवेदक को ऐसी योजना को प्रस्तुत करने या उस पर विचार करने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 11.2 के तहत भी आर. पी. या सी. ओ. सी. अपने विवेकाधिकार पर अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों के लिए अनुरोध कर सकते हैं और/या मांग कर सकते हैं।

योजना प्रस्तुत करने की नियत तिथि के बाद समाधान आवेदक से स्पष्टीकरण। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आर. पी., सी. ओ. सी. या प्रक्रिया प्रबंधक द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेजों को जमा करने में देरी आर. पी., सी. ओ. सी. या प्रक्रिया प्रबंधक को समाधान योजना को अस्वीकार करने का अधिकार देगी।

87. अपीलार्थियों द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि के. आई. ए. एल. ने आर. पी. को समाधान योजना के साथ प्रस्तुत एक पत्र में समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में किसी भी और सभी दावों को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि के. आई. ए. एल. ने कल्पराज के बाद दो बार अपनी संशोधित योजनाएं प्रस्तुत की थीं। कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि

88. यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. आई. ए. एल. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण जोखिम लेने के बराबर है, क्योंकि इस प्रक्रिया में विफल होने के बाद, कानून में इसकी अनुमति नहीं होगी। यह भी तर्क दिया जाता है कि सी. ओ. सी. की 12 वीं बैठक के दौरान, कोटक बैंक, जिसकी के. आई. ए. एल. एक सहायक कंपनी है, भी सी. ओ. सी. के वकील के विचार से सहमत था कि कल्पराज की समाधान योजना पर विचार किया जा सकता है।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

89. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि तर्कों का मुख्य जोर

छूट के संबंध में अपीलार्थियों की ओर से अग्रिम और स्वीकृति दो आधारों पर है, अर्थात।, ((i) प्रक्रिया का खंड 10.4

आवरण पत्र के पैराग्राफ 5 (बी) के साथ पढ़ा गया ज्ञापन

के. आई. ए. एल. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करना, और (ii) कल्पराज को प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया में के. आई. ए. एल. की भागीदारी।

90. हम के. आई. ए. एल. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 10.4 और आवरण पत्र के पैराग्राफ 5 (बी) का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

प्रक्रिया ज्ञापन का खंड 10.4

" यदि समाधान योजना प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी योग्य आवेदक (ओं) से समाधान पेशेवर द्वारा कोई समाधान योजना प्राप्त की जाती है, तो समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति के अनुमोदन के साथ ऐसी समाधान योजना की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा।

और आवेदक (ओं) को ऐसी योजना प्रस्तुत करने या उस पर विचार करने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रस्तुत करने के लिए आवरण पत्र का अनुच्छेद 5 (बी)

के. आई. ए. एल. द्वारा समाधान योजना।

" 5. हम आगे निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और पुष्टि करते हैं:

(ए)।

(ख) स्वीकृति

हम इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और प्रक्रिया ज्ञापन की शर्तों को स्वीकार करते हैं और यह कि प्रक्रिया ज्ञापन और समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में सी. ओ. सी., समाधान पेशेवर और/या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा। हम स्पष्ट रूप से किसी भी और सभी को माफ कर देते हैं। समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में दावे "।

91. खंड 10.4 के आधार पर, यह आग्रह किया जाता है कि भले ही समाधान योजना आर. पी. द्वारा किसी भी योग्य आवेदक (ओं) से प्राप्त की जाती है समाधान योजना प्रक्रिया के किसी भी चरण में आर. पी. इस तरह की जांच करने के लिए स्वतंत्र था

सी. ओ. सी. और आवेदक (ओं) के अनुमोदन के साथ समाधान योजना को ऐसी योजना को प्रस्तुत करने या उस पर विचार करने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

92. के. आई. ए. एल. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आवरण पत्र के पैराग्राफ 5 (बी) के आधार पर, यह आग्रह किया जाता है कि [2021] 2 एस. सी. आर.

केआईएएल ने बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति व्यक्त की थी और शर्तों को स्वीकार किया था

प्रक्रिया ज्ञापन और समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में सी. ओ. सी., आर. पी. और/या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय। यह भी आग्रह किया जाता है कि के. आई. ए. एल. समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में अपने सभी और किसी भी दावे को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गया था। यह आग्रह किया जाता है कि यह शर्त पक्षों के बीच एक संपन्न अनुबंध के बराबर है और अपने सभी दावों को माफ करने के बाद, के. आई. ए. एल. को कानून में कल्पराज की भागीदारी को चुनौती देने की अनुमति नहीं है।

सम्मान करें।

समाधान योजना प्रक्रिया।

93. इस संबंध में, अनुच्छेद 89 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा और

90 केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य 3 7 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का।

" 89. तो क्या हमारी अदालतों को समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? होना चाहिए।

वे अभी भी पुरानी अवधारणाओं और अप्रचलित अवधारणाओं से चिपके हुए हैं

दिन का फैशन? क्या सभी न्यायशास्त्र संबंधी विकास हमें पारित कर देना चाहिए? जिससे हम 19 वीं सदी के सिद्धांतों में उलझे हुए हैं?

क्या बलवानों को कमजोरों को दीवार की ओर धकेलने की अनुमति दी जानी चाहिए?

क्या उन्हें कमजोरों पर सवारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए? होना चाहिए।

अदालतें पीछे बैठती हैं और तेज रौंदते हुए आराम से देखती हैं

कमजोरों के अधिकारों को कम करना? हमारे लिए एक संविधान है

संविधान और कानून "। संविधान को सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया था इस देश के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय। लेख

14 संविधान सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है

कानून और कानूनों का समान संरक्षण। सिद्धांत

अनुच्छेद 14 में खंड। यह सिद्धांत है कि अदालतें इसे लागू नहीं करेंगी। और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, एक अनुचित और

अनुचित अनुबंध, या एक में अनुचित और अनुचित खंड

उन पक्षों के बीच किया गया अनुबंध जो समान नहीं हैं

सौदेबाजी की शक्ति। सभी की एक विस्तृत सूची देना मुश्किल है।

इस प्रकार के सौदे। कोई भी अदालत विभिन्न स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकती है।

37 (1986) 3 एस. सी. सी. 156 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कुछ चित्र दें। उदाहरण के लिए, उपरोक्त सिद्धांत लागू होगा। जहाँ सौदेबाजी की शक्ति की असमानता महान का परिणाम है

संविदाकारी पक्षों की आर्थिक शक्ति में असमानता। यह.

लागू होगा जहाँ असमानता परिस्थितियों का परिणाम है,

चाहे वह दलों के निर्माण का हो या नहीं। यह लागू होगा

ऐसी स्थिति जिसमें कमजोर पक्ष ऐसी स्थिति में हो जिसमें वह

माल या सेवाएँ या आजीविका के साधन केवल प्राप्त कर सकते हैं मजबूत पार्टी द्वारा लगाई गई शर्तें या उनके बिना जाएं। यह होगा।

यह भी लागू करें जहां एक आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है, या बल्कि नहीं है

सार्थक विकल्प, लेकिन एक अनुबंध या के लिए अपनी सहमति देने के लिए

बिंदीदार रेखा पर निर्धारित या मानक रूप में या

उस अनुबंध में अनुचित और अनुचित खंड या रूप या नियम हो सकते हैं। हालाँकि, यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।

जहाँ संविदाकारी पक्षों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर है या

लगभग बराबर। यह सिद्धांत दोनों पक्षों पर लागू नहीं हो सकता है।

अवसंरचनात्मक संगठन और राज्य के साथ इसके माध्यम से लगभग हर शाखा में प्रवेश करने वाले उपकरण और अभिकरण

उद्योग और वाणिज्य की असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच अनुचित और अनुचित सौदेबाजी होती है

पूरी तरह से असमान और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखने वाले। इन मामलों को न तो गिना जा सकता है और न ही पूरी तरह से चित्रित किया जा सकता है। द.

अदालत को प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।

[जोर दिया गया]

94. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय लागू नहीं करेंगे और करेंगे,

जब ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है, तो एक अनुचित और अनुचित अनुबंध, या एक अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित खंड को रद्द कर दें, जो उन पक्षों के बीच किया गया है जो सौदेबाजी की शक्ति में बराबर नहीं हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सिद्धांत लागू होगा जहां किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है, या कोई सार्थक विकल्प नहीं है, लेकिन किसी अनुबंध को अपनी सहमति देना या निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करना या अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक समूह को स्वीकार करना, उस अनुबंध या रूप या नियमों में एक खंड कितना भी अनुचित, अनुचित और अनुचित हो सकता है।

95. उक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए,

केआईएएल के पास अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

5 (ख) पत्र एक आवरण पत्र प्रारूप का एक हिस्सा है, जो प्रक्रिया ज्ञापन में ही प्रदान किया गया है। आवरण पत्र प्रारूप I में है।

बदले में, यह एक पक्ष को एक शर्त पर सहमत होने का प्रावधान करता है, कि भले ही आर. पी. या सी. ओ. सी. किसी भी तरह से कार्य करता है, जो कानून में अनुमत नहीं है, फिर भी समाधान आवेदक इस तरह के निर्णय से बाध्य होगा और समाधान योजना प्रक्रिया के संबंध में अपने किसी भी या सभी दावों को माफ कर देगा। 96. बाद में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में कानून के उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है, जिसमें सहायक महाप्रबंधक और अन्य बनाम राधे श्याम पांडे 3 3 38 के मामले में एक निर्णय शामिल है।

97. इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा है कि इसमें निर्धारित सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है जहां दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। सबसे पहले, आर. पी. और समाधान आवेदक को संविदाकारी पक्ष नहीं कहा जा सकता है जिनके पास समान सौदेबाजी की शक्ति है। दूसरा, चूंकि आरपी आई एंड बी के तहत कार्य करता है

उसे दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन और सहायता के लिए संहिता

निगम के अस्तित्व के लिए समाधान योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया ऋणी, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आर. पी. और समाधान आवेदक के बीच विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन है।

38 (2020) 6 एस. सी. सी. 438 39 (2019) 5 एस. सी. सी. 725 राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

" 6.8 . एक अनुबंध की अवधि अंतिम और बाध्यकारी नहीं होगी यदि यह दिखाया जाता है कि फ्लैट खरीदारों के पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

बिंदीदार रेखा, बिल्डर द्वारा बनाए गए अनुबंध पर। 8-5-2012 दिनांकित समझौते की संविदात्मक शर्तें प्रत्यक्ष रूप से एकतरफा, अनुचित और अनुचित हैं। किसी समझौते में इस तरह के एकतरफा खंडों को शामिल करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (आर) के अनुसार एक अनुचित व्यापार प्रथा है।

बिल्डर द्वारा फ्लैटों को बेचने के उद्देश्य से अनुचित तरीके या प्रथाओं को अपनाता है।

99. जब आर. पी. और सी. ओ. सी. वैधानिक प्रावधानों के तहत काम कर रहे हैं तो हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि उक्त सिद्धांत केबल क्यों नहीं होना चाहिए।

100. इसलिए हमारा विचार है, आर. ए. एल. अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (ऊपर), के. आई. ए. एल. में निर्धारित कानून के आलोक में।यदि पत्र में इस तरह के असहनीय खंड द्वारा बाध्य माना जाए, तो एच एक निर्धारित प्रारूप में है।

101. दूसरा आधार उठाया गया, छूट के संबंध में और

एस्सेंस, संकल्प में केआईएएल की भागीदारी पर आधारित है

कल्पराज के बाद की प्रक्रिया को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई।

102. 'माफी' शब्द का वर्णन हैल्सबरी के कानूनों में किया गया है।

ग्रंथि, चौथा संस्करण। , पैरा 1471, जो इस प्रकार है:

" 1471. छूट दें। छूट एक अधिकार का इस तरह से परित्याग है कि दूसरा पक्ष स्वीकारोक्ति और परिहार के माध्यम से परित्याग का अनुरोध करने का हकदार है यदि अधिकार बाद में दावा किया जाता है, और या तो व्यक्त या आचरण से निहित होता है। ..... एक व्यक्ति जो किसी अनुबंध या वैधानिक प्रावधान में अकेले अपने लाभ के लिए मौजूद किसी शर्त पर भरोसा करने का हकदार है, उसे माफ कर सकता है, और अनुबंध या लेनदेन को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है जैसे कि शर्त या

प्रावधान मौजूद नहीं था। इस तरह की छूट सहमति पर निर्भर करती है,

और यह तथ्य कि दूसरे पक्ष ने इस पर कार्रवाई की है, पर्याप्त है

विचार करें। .....

ऐसा प्रतीत होता है कि, सामान्य तौर पर, जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण से दूसरे को एक वादा या आश्वासन दिया है, जिसका उद्देश्य उनके बीच कानूनी संबंधों को प्रभावित करना और तदनुसार कार्रवाई करना है, तो एक बार जब दूसरे पक्ष ने उसे अपनी बात पर ले लिया है और उस पर कार्रवाई की है,

ताकि उसकी स्थिति में बदलाव हो, तो जिस पक्ष ने वादा या आश्वासन दिया है, उसे बाद में अदालत की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21] 2 एस सी आर।

पिछले कानूनी संबंध पर लौटें जैसे कि उसके द्वारा ऐसा कोई वादा या आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन उसे योग्यता के अधीन उनके कानूनी संबंधों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पास स्वयं है।

पेश किया गया, भले ही यह किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है

विचार करें "।

(हैल्सबरीज लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, 4 था संस्करण देखें।, पैरा 1471.) "

103. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, वॉल्यूम। 16 (2) , 4 टी एडन।, पैरा 907 में कहा गया है:

अधिकार की निरंतरता के साथ, लिखने की आवश्यकता के बिना या उस पक्ष से आगे बढ़ने या नुकसान पहुँचाने पर विचार करने के लिए जो छूट से लाभ, लेकिन केवल भोग के कार्य छूट के बराबर नहीं होंगे; और न ही किसी पक्ष को छूट से लाभ हो सकता है जब तक कि वह

उस पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली।

104. इस बात पर विचार करने के लिए कि किसी पक्ष ने अपने अधिकारों को माफ किया है या नहीं, किसी पक्ष के आचरण पर विचार करना प्रासंगिक होगा। छूट स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि एक पक्ष स्पष्ट रूप से या इसके द्वारा

आचरण ने इस तरह से कार्य किया, जो अपने अधिकारों की निरंतरता के साथ असंगत है। हालाँकि, केवल भोग के कार्य छूट के बराबर नहीं होंगे। छूट का दावा करने वाला पक्ष भी छूट के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने उसी पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति में बदलाव नहीं किया हो।

105. 1957 में मानक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद के मामले में एक वकील को पेशेवर कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था।

तीन सदस्यों का न्यायाधिकरण। उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले पर बहस की गई

अदालत। उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपत्ति ली गई थी कि

40 1957 एससीआर 575 = एआईआर 1957 एससी 425 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

सदस्य शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए थे और इसलिए, उन्हें न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठा कि चूंकि ऐसी आपत्ति न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं ली गई थी, क्या यह छूट के बराबर है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" यह सच है कि छूट का अनुमान हमेशा और हर मामले में केवल आपत्ति लेने में पक्ष की विफलता से नहीं लगाया जा सकता है। छूट का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि पार्टी प्रासंगिक तथ्यों के बारे में जानती थी और प्रश्न में आपत्ति लेने के अपने अधिकार से अवगत थी। जैसा कि सर जॉन रोमिली, एम. आर. ने व्यायन बनाम में देखा है। व्यव्यान [(1861) 30 बेव 65,74: 54 ई. आर. 813,817] "छूट या स्वीकृति, चुनाव की तरह, यह मानती है कि व्यक्ति

बाध्य होना अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है, और ऐसा होने पर, वह उन्हें लागू करने की उपेक्षा करता है, या दूसरे के बजाय एक लाभ चुनता है,

या तो, लेकिन दोनों नहीं, जिन पर वह दावा कर सकता है।

106. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छूट हमेशा और हर जगह नहीं हो सकती है।

पक्ष द्वारा आपत्ति लेने में विफलता से ही मामले का अनुमान लगाया जा सकता है। छूट का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि पार्टी प्रासंगिक तथ्यों के बारे में जानती थी और प्रश्न में आपत्ति लेने के अपने अधिकार से अवगत थी। छूट या स्वीकृति, चुनाव की तरह, यह मानती है कि बाध्य व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से अवगत है, और ऐसा होने पर, वह उन्हें लागू करने की उपेक्षा करता है, या दूसरे के बजाय एक लाभ चुनता है।

107. इस प्रकार, छूट के सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि हालांकि एक पक्ष प्रासंगिक तथ्यों के बारे में जानता था

और आपत्ति लेने के अधिकार के कारण, उन्होंने ऐसी आपत्ति लेने की उपेक्षा की है। 108. कृष्ण बहादुर बनाम पूर्ण थिएटर और अन्य के मामले में, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की स्थापना में दूत-सह-वाहक के पद पर नियुक्त किया गया था। एक अनुशासनात्मक कार्यवाही

उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई जिसमें उसे दोषी पाया गया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पूर्ण वेतन और मुआवजे के साथ बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। अपीलार्थी को अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। उन्हें फिर से सेवाओं से हटा दिया गया और 9,030/- रुपये की राशि का भुगतान छंटनी मुआवजे के रूप में किया गया, जिसे अपीलार्थी को इसके तहत प्राप्त हुआ था।

विरोध करते हैं। एक ट्रेड यूनियन ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-जी के उल्लंघन के आधार पर अपीलार्थी का मुद्दा उठाया।

1947 , तो भी धारा 25-एफ (बी) के संदर्भ में अपीलार्थी को भुगतान की गई मुआवजे की राशि की अपर्याप्तता के आधार पर। एक औद्योगिक

सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष विवाद उठाया गया, जो विफल रहा, जिसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया गया।

अपीलार्थी। इस बीच, अपीलार्थी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) के तहत एक कार्यवाही भी शुरू की थी, जो एक सौहार्दपूर्ण निपटान में समाप्त हुई, जिसके अनुसार, अपीलार्थी पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में Rs.39,000/- की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ। 109. हालाँकि, ट्रेड यूनियन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, छंटनी को अवैध माना गया था और उन्हें निर्देशित किया गया था कि उन्हें माना जाए

सभी लाभों के साथ निरंतर सेवा में रहें। एक रिट याचिका दायर की गई थी

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए। डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील में, पहली बार एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी ने नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि को स्वीकार कर लिया है और इस तरह, यह कर्मचारी द्वारा माफी के बराबर है। डिवीजन बेंच ने अपील को स्वीकार कर लिया और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार करते हुए, इस अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9. छूट का सिद्धांत हालांकि बहिष्कार के सिद्धांत के समान है; हालाँकि, दोनों के बीच अंतर यह है कि जबकि बहिष्कार कार्रवाई का कारण नहीं है; यह साक्षय का नियम है; छूट संविदात्मक है और कार्रवाई का कारण बन सकती है; यह पक्षों और एक पक्ष के बीच एक समझौता है जो अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानता है।

विचार के अधिकार का दावा नहीं करने के लिए सहमत हुए।

10. एक अधिकार को उस पक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है जिसके लाभ के लिए कुछ आवश्यकताओं या शर्तों को एक क़ानून द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया था कि उसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। जब भी छूट का अनुरोध किया जाता है तो यह उस पक्ष के लिए होता है जो यही अनुरोध करता है यह दिखाने के
लिए कि किसी समझौते पर विचार करते हुए अधिकार को माफ करने वाला एक समझौता अस्तित्व में आया। हालाँकि, उसके आचरण द्वारा सांविधिक अधिकार को भी माफ किया जा सकता है।

110. इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि छूट का सिद्धांत हालांकि

रोक के सिद्धांत के समान है; रोक कार्रवाई का कारण नहीं है और सबूत का नियम है, जबकि छूट संविदात्मक है और कार्रवाई का कारण बन सकती है। यह पक्षों के बीच एक समझौता है और एक पक्ष जो अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानता है, वह कल्पराज धर्मशी बनाम के लिए अधिकार का दावा नहीं करने पर सहमत हुआ है।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

विचार करें। यह आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब भी छूट का अनुरोध किया जाता है, तो यह उस पक्ष पर निर्भर करता है जो यह दिखाने का अनुरोध करता है कि किसी समझौते पर विचार करते हुए अधिकार को माफ करने का समझौता अस्तित्व में आया है। 111. पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य के मामले में इस अदालत को एक मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला, जिसके बारे में

जब पार्टी द्वारा पक्षपात का मुद्दा जल्द से जल्द नहीं उठाया गया था, अगर वह इसके बारे में जानती है और उक्त मुद्दे को उठाने के अपने अधिकार को जानती है, तो क्या यह छूट के बराबर होगा या नहीं। इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों पर विचार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" II. छूट का सिद्धांत

37. मानक लाल [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 425] मामले में इस न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश/अधिकारी/न्यायाधिकरण के कथित पक्षपात का अर्थ यह नहीं है कि

कार्यवाही अमान्य है यदि यह दिखाया जाता है कि उस संबंध में और विशेष रूप से विचाराधीन अधिकारी की उपस्थिति के खिलाफ आपत्ति पार्टी द्वारा नहीं ली गई थी, भले ही पार्टी कथित पूर्वाग्रह के बारे में आरोपों को जन्म देने वाली परिस्थितियों के बारे में जानती थी और ऐसे अधिकारी की उपस्थिति को चुनौती देने के अपने अधिकार से अवगत थी। न्यायालय ने आगे कहा कि: (एस. सी. सी पी. 431, पैरा 8)

" 8. ..... माफी हमेशा और हर मामले में नहीं हो सकती है

केवल आपत्ति लेने में पार्टी की विफलता से अनुमान लगाया गया। छूट का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब इसे दिखाया जाए और उसके बाद

कि पार्टी प्रासंगिक तथ्यों के बारे में जानती थी और प्रश्न में आपत्ति लेने के अपने अधिकार से अवगत थी।

38. इस प्रकार, किसी मामले में यदि कोई पक्ष भौतिक तथ्यों को जानता है और उस मामले में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन कार्यवाही के शुरुआती चरण में पक्षपात की याचिका को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो यह उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी प्रतिबंध बनाता है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट होगा कि पक्ष अधिकारी/अदालत से एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने का मौका लेना चाहता था और जब उसे पता चला कि उसका सामना एक प्रतिकूल आदेश से हो रहा है, तो उसने पक्षपात के मुद्दे को उठाने का तरीका अपनाया। पक्षपात का मुद्दा पार्टी द्वारा जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए। (पन्नालाल बिंजराज बनाम देखें। भारत संघ [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 397] और पी.

दिनाकरन (1) v. न्यायाधीश जांच समिति [(2011) 8 एस. सी. सी.

380] .)

42 (2011) 14 एससीसी 770 [2021] 2 एस. सी. आर.

39. विद्युत नियंत्रण उपकरणों में v. सुमित मशीन्स (पी) लिमिटेड [(1994) 2 एस. सी. सी. 448] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी पी. 457, पैरा 26)

" 26. स्वीकृति तब होती है जब दूसरा अधिकार पर आक्रमण कर रहा होता है। यह आचरण का एक तरीका है जो इसके साथ असंगत है दावा करें। इसका तात्पर्य सकारात्मक कार्यों से है; न कि केवल मौन या निष्क्रियता जैसे कि लाचेस में शामिल होना। ..... स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रतिवादी में एक नया अधिकार बनाने के लिए पर्याप्त लाइसेंस का अनुमान लगाया जा सके।

99

40. प्रत्येक मामले में निष्क्रियता से निहित सहमति या सहमति का निष्कर्ष नहीं निकलता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। पी. जॉन चांडी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम जॉन पी. थॉमस [(2002) 5 एससीसी 90]। इस प्रकार, न्यायालय को तथ्यों की जांच करनी होगी और

एक व्यक्तिगत मामले में परिस्थितियाँ।

41. छूट किसी अधिकार का जानबूझकर त्याग है। इसमें एक मौजूदा कानूनी अधिकार का सचेत परित्याग शामिल है,

लाभ, लाभ, दावा या विशेषाधिकार, जो इस तरह के एक को छोड़कर

कैशा [(1934-35) 62 IA 100: ए. आई. आर. 1935 पी. सी. 79], बशेशर नाथ बनाम। सी. आई. टी. [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 149], मैडेमसेट्टी सत्यनारायण वी. जी. येलोजी राव [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1405], एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। एस. बी. सरदार रंजीत सिंह [ए. आई. आर. 1968 एस. सी.

933] , जसवंत सिंह माथुरासिंह बनाम। अहमदाबाद नगर निगम। [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 5], सिक्किम सुब्बा एसोसिएट्स बनाम। राज्य

सिक्किम [(2001) 5 एस. सी. सी. 629: ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2062] और कृष्ण बहादुर बनाम। पूर्ण रंगमंच [(2004) 8 एस. सी. सी. 229: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 1086: ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4282]।

42. यह न्यायालय नगर निगम में है। सबसे बड़ा

बॉम्बे बनाम। डॉ. हकीमवाड़ी किरायेदारों की एसोसिएशन। [1988 मान लीजिए एस. सी. सी. 55: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 233] ने छूट/स्वीकृति के मुद्दे पर विचार किया। कार्यवाही के गैर-पक्षकारों द्वारा और अभिनिर्धारित किया गया: (एस. सी. सी पी. 65 , पैरा

14-15)

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

" 14. छूट का गठन करने के लिए, किसी अधिकार का स्वैच्छिक और जानबूझकर त्याग होना चाहिए। छूट का सार एक रोक है और जहां कोई रोक नहीं है, वहां कोई छूट नहीं है। निरोध और छूट आचरण के प्रश्न हैं और अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

.....

15. रोक, छूट या छूट का कोई सवाल ही नहीं है।

त्याग। छूट, स्वीकृति या बहिष्कार का कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं है, अधिकार के परित्याग का अनुरोध बहुत कम है। इसके अलावा, माफी का सवाल वास्तव में मामले में नहीं उठता है। मान लीजिए, किरायेदार पहले के पक्षकार नहीं थे। कार्यवाही। इसलिए, प्रत्यर्थियों 4-7 द्वारा अधिकारों की छूट का कोई सवाल ही नहीं है और न ही यह किरायेदारों को रिट याचिका को बनाए रखने से वंचित करेगा।

43. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पक्ष द्वारा पक्षपात का मुद्दा जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए, यदि वह इसके बारे में जानता है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठाने के अपने अधिकार को जानता है, अन्यथा इसे माफ कर दिया गया माना जाएगा। तथापि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समानता का एक सिद्धांत होने के नाते सहमति को लागू किया जाना चाहिए जहां कोई पक्ष पक्षपात आदि के सभी तथ्यों को जानते हुए बिना कोई आपत्ति उठाए न्यायालय/न्यायाधिकरण के प्राधिकरण के समक्ष समर्पण करता है। एक्विजेंस, वास्तव में, बैठ रहा है, जब दूसरा है

अधिकारों पर आक्रमण करना। स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे पक्ष में अधिकार पैदा करने के लिए पर्याप्त लाइसेंस का अनुमान लगाया जा सके।

112. इस प्रकार, सहमति या छूट का गठन करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि हालांकि एक पक्ष भौतिक तथ्यों को जानता है और किसी दिए गए मामले में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन जल्द से जल्द संभव अवसर पर अपने अधिकारों का दावा करने में विफल रहता है, यह उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी प्रतिबंध बनाता है। जबकि, सहमति एक ऐसा आचरण होगा जहां एक पक्ष बैठा हो, जब दूसरा उसके अधिकारों पर आक्रमण कर रहा हो। स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे एक लाइसेंस का निष्कर्ष निकाला जा सके जो एक नया अधिकार बनाने के लिए पर्याप्त हो। प्रतिवादी। छूट किसी अधिकार का जानबूझकर त्याग है। इसमें मौजूदा कानूनी अधिकार, लाभ, लाभ का सचेत त्याग शामिल है।

दावा या विशेषाधिकार। यह अधिकार का दावा नहीं करने के लिए एक समझौता है। कोई छूट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने छूट दी है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और उसी के बारे में पूरी जानकारी के साथ, वह जानबूझकर उन्हें छोड़ देता है।

113. गलाडा बिजली और दूरसंचार के मामले में लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य 43, इस न्यायालय के पास इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर था कि क्या बीमाकर्ता ने अवधि से संबंधित खंड द्वारा किए गए दावे के आधार पर अपने अधिकार को माफ कर दिया है।

114. तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मामला छूट का मामला था, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 18. तत्काल मामले में, बीमाकर्ता पॉलिसी की अभिरक्षा में था। इसने अवधि से संबंधित खंड निर्धारित किया था। यह खंड 5 (3) से 5 (5) में की गई शर्तों के बारे में बहुत जागरूक था, लेकिन उसमें शर्तों के बावजूद, इसने एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया। इसके अलावा, पहले कहा गया है, अस्वीकार के पत्र में, यह केवल कहा गया है कि बीमाकृत द्वारा दायर दावा इसके अंतर्गत नहीं आ रहा था पारगमन हानि का दायरा। इस प्रकार, सकारात्मक कार्रवाई द्वारा, बीमाकर्ता ने याचिका को आगे बढ़ाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया कि दावा नहीं था मनोरंजक क्योंकि अवधि खंड में उल्लिखित शर्तें वे संतुष्ट नहीं थे। हमारी सुविचारित राय में, राष्ट्रीय आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उक्त शर्तों पर भरोसा नहीं कर सकता था कि कोई नीतिगत कवर मौजूद नहीं था और माल की डिलीवरी के बाद जोखिम शामिल नहीं थे। स्वीकार करें "।

115. इस कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, हमें करना होगा इस बात की जांच करें कि क्या के. आई. ए. एल. के आचरण को ऐसी प्रकृति का कहा जा सकता है, जो सहमति या छूट के बराबर होगा।

116. तिथियों पर कोई विवाद नहीं है। 9.7.2018 पर प्रकाशित EOI के निमंत्रण के अनुसार, EOI जमा करने की अंतिम तिथि 8.8.2018 थी। पहला फॉर्म 'जी' भी 9.7.2018 पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि 21.9.2018 थी। केआईएएल के पास था

7.8.2018 पर अपना EOI जमा करें। प्रथम प्रक्रिया ज्ञापन 17.8.2018 पर जारी किया गया था। हालाँकि, चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए विभिन्न तिथियों पर चार और फॉर्म 'जी' जारी किए गए। इस तरह के फॉर्म 'जी' में से अंतिम फॉर्म 11.12.2018 पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार जमा करने की अंतिम तिथि

समाधान योजना 8.1.2019 थी। के. आई. ए. एल. ने अपनी समाधान योजना 8.1.2019 पर प्रस्तुत की। इसके बाद, कल्पराज ने 27.1.2019 पर अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की।

117. के. आई. ए. एल. को इसके बारे में पता चलने पर, 29.1.2019 पर

स्वयं, इसने आर. पी. को विलंबित स्वीकृति के विरोध में एक ईमेल भेजा था

43 (2016) 14 एस. सी. सी. 161 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कल्पराज की समाधान योजना। के. आई. ए. एल. द्वारा आर. पी. को भेजा गया उक्त ईमेल दिनांक 29.1.2019 इस प्रकार है:

" जैसा कि आप जानते हैं कि बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि सी. आई. आर. पी. के तहत रिकोह इंडिया लिमिटेड के लिए 8 जनवरी, 2019 था। नतीजतन, हमने उक्त समय के भीतर अपनी बोली (आवश्यक बोली बांड गारंटी के साथ) विधिवत जमा कर दी। लेकिन हमें दिया जाता है

यह समझने के लिए कि आप उक्त तिथि के बाद भी बोलियां प्राप्त कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, जब समय का कोई विस्तार नहीं किया गया है।

फॉर्म 'जी') को अधिसूचित किया गया था।

विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। इस संदर्भ में, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जल्द से जल्द बोली जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवश्यक अधिसूचना (फॉर्म जी) हमारे साथ साझा करें। हालाँकि, यदि ऐसी अधिसूचना नहीं दी गई है, तो यह केवल तर्कसंगत होगा कि 8 जनवरी, 2019 के बाद प्रस्तुत की गई सभी योजनाओं को अमान्य माना जाना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी योजना अमान्य हो।

अब खोल दिया गया है।

हम उपरोक्त पर आपकी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

118. इसलिए यह देखा जा सकता है कि कल्पराज द्वारा योजना प्रस्तुत करने के तुरंत एक दिन के भीतर, के. आई. ए. एल. ने स्वीकृति पर आपत्ति जताई।

8.1.2019 के बाद इसकी योजना के बारे में, जब इसके लिए कोई समय विस्तार अधिसूचित नहीं किया गया था। यह विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त ने अपनी स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया और संहिता की भावना के खिलाफ था, विशेष रूप से जब केआईएएल की समाधान योजना को तुरंत खोला गया और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इसलिए के. आई. ए. एल. ने बोली जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है।

यह आगे कहा गया है कि यदि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, तो 8.1.2019 के बाद प्रस्तुत की गई सभी योजनाओं को अमान्य माना जाना चाहिए।

119. उक्त ईमेल के. आई. ए. एल. द्वारा आर. पी. को संबोधित किए जाने के बाद, उसे आर. पी. से 30.1.2019 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ। यह उक्त दिनांकित ईमेल में बताया गया है

30.1.2019 , कि 8.1.2019 पर प्रस्तुत समाधान योजना के बाद, सी. ओ. सी. के प्रतिनिधि और आर. पी. ने समाधान योजना में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों पर अपनी टीम के साथ विस्तृत

चर्चा की। उक्त ईमेल दिनांक 30.1.2019 के माध्यम से, के. आई. ए. एल. से संशोधित [2021] 2 एस. सी. आर. जमा करने का अनुरोध किया गया था।

1.2.2019 पर दोपहर 3 बजे तक समाधान योजना। 1.2.2019 पर, कोई विकल्प नहीं बचा था, केआईएएल ने अपनी संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की।

120. 10.2.2019 पर, केआईएएल ने आरपी को एक और ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था इस प्रकार:

" काफी समय हो गया है, जब से हमने समाप्ति के बाद एक और समाधान योजना को स्वीकार करने के आपके फैसले पर आपसे पूछा है।

उसी को प्रस्तुत करने की समय सीमा।

जैसा कि पहले बताया गया है, हमारी बोली शुरू करने और उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस तरह की कार्रवाई न केवल इसके लिए प्रतिकूल है

हमारे हित लेकिन आई. बी. सी. संहिता की भावना के खिलाफ भी हैं।

कोड सभी संभावित समाधान के लिए समान उपचार प्रदान करता है।

कानून के ढांचे के भीतर आवेदक और व्यक्तिगत सुधार घटना के मामलों में सी. ओ. सी. सदस्यों और आर. पी. पर जिम्मेदारियाँ

स्थापित कानून से भेदभाव या विचलन पाया जाता है। हम इस विषय पर आपसे हमारे प्रश्न का त्वरित उत्तर देने का अनुरोध करेंगे।

121. के. आई. ए. एल. द्वारा भेजे गए दिनांक 10.2.2019 वाले उक्त ईमेल में कहा गया था कि काफी समय हो गया है कि उसने आर. पी. से जवाब मांगा था।

उसी को प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक और समाधान योजना को स्वीकार करने के उनके निर्णय पर। यह दोहराया गया कि बोलियों को खोलने और उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस तरह की कार्रवाई न केवल इसके हित के लिए प्रतिकूल थी, बल्कि आई एंड बी कोड की भावना के खिलाफ थी। यह दोहराया गया कि आई एंड बी कोड, कानून के ढांचे के भीतर सभी संभावित समाधान आवेदकों को समान व्यवहार प्रदान करता है और स्थापित कानून से भेदभाव या विचलन की स्थिति में सी. ओ. सी. सदस्यों और आर. पी. पर व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को तय करता है।

122. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि आर. पी. ने के. आई. ए. एल. को ईमेल दिनांक 11.2.2019 द्वारा जवाब दिया था। उक्त ईमेल में कहा गया था कि निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं की स्वीकृति का उनका कार्य सी. ओ. सी. की समग्र देखरेख में और सी. ओ. सी. के

कानूनी सलाहकार और आर. पी. के कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय के अनुसार था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण की भावना में था।

123. यह विवाद में है कि क्या आर. पी. ने फिर से के. आई. ए. एल. और कल्पराज को संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए 11.2.2019 दिनांकित ईमेल के माध्यम से निर्देश दिया था। के. आई. ए. एल. की ओर से यह दावा किया जाता है कि इस तरह का ईमेल उसे प्राप्त हुआ था, जबकि यह कल्पराज धर्मशी बनाम है।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

आर. पी. ने इनकार कर दिया। किसी भी मामले में, यह विवाद में नहीं है कि के. आई. ए. एल. और कल्पराज दोनों ने अपनी संशोधित योजनाओं को 12.2.2019 पर प्रस्तुत किया।

124. 13/14.2.2019 को कल्पराज की समाधान योजना को स्वीकार कर लिया गया।

सीओसी द्वारा। 18.2.2019 पर, आर. पी. ने कल्पराज की समाधान योजना की मंजूरी के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष 2019 का एम. ए. No.691 दाखिल किया। के. आई. ए. एल. ने कल्पराज की समाधान योजना की मंजूरी पर आपत्ति जताते हुए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष 2019 का अपना एम. ए. नंबर 1039 14.3.2019 पर दायर किया।

125. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कल्पराज द्वारा अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने के तुरंत बाद के. आई. ए. एल. ने अपनी आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं,

लेकिन, इसने कल्पराज की भागीदारी पर अपनी आपत्ति भी दोहराई थी।

जहाँ तक संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने का संबंध है, उसके पास अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह विशेष रूप से खंड 11.2 को ध्यान में रखते हुए है, जो इस प्रकार है:

" 11.2 समाधान योजना की नियत तिथि के बाद समाधान योजना में कोई बदलाव या पूरक जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि समाधान पेशेवर (ऋणदाताओं की समिति के परामर्श से) द्वारा अन्यथा सहमति न हो। समाधान पेशेवर या सी. ओ. सी., अपने विवेकाधिकार पर, अतिरिक्त के लिए अनुरोध कर सकता है।

समाधान योजना की नियत तिथि के बाद समाधान आवेदक से जानकारी/दस्तावेज और/या स्पष्टीकरण मांगें। द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेज़ जमा करने में देरी

समाधान पेशेवर, सी. ओ. सी. या प्रक्रिया प्रबंधक

समाधान योजना को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बनाएँ।

126. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अगर के. आई. ए. एल. ने आर. पी. के ईमेल का जवाब नहीं दिया होता और अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत नहीं की होती, तो उसे इससे बाहर होने का जोखिम उठाना पड़ता।

भगदड़ मचाते हैं।

127. कल्पराज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने आईटीसी लिमिटेड के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

बनाम ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड और अन्य (ऊपर), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि भले ही किसी देनदार ने "पूर्वाग्रह के बिना" शब्द का उपयोग किया हो, इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि, उक्त मामले में, देनदार ने अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू होने के बाद भी और एक छोटी राशि के भुगतान के बाद भी ऋण स्वीकार किया था। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया था कि "पूर्वाग्रह के बिना" शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा। इस प्रकार, उक्त मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

128. तारापुर एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखी गई निर्भरता भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए कोई सहायता नहीं होगी।

अपीलार्थियों का मामला। उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

" उस तकनीकी अर्थ के अलावा जो "पूर्वाग्रह के बिना" अभिव्यक्ति उस संदर्भ के आधार पर वहन करती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, वर्तमान मामले में पत्राचार के उचित पठन पर और उस सेटिंग में जिसमें शब्द का उपयोग किया जाता है, इसका केवल यह अर्थ है कि प्रतिवादी ने स्वयं के लिए विवाद करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। मध्यस्थ कि कोई विवाद उठाया गया या ठेकेदार द्वारा किया गया दावा मध्यस्थता खंड द्वारा कवर नहीं किया गया था। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है। किसी के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना की गई कार्रवाई का मतलब यह नहीं हो सकता है कि पूरी कार्रवाई को नजरअंदाज किया जा सकता है

पार्टी वही ले रही है "।

129. यह हमें अपीलार्थियों की ओर से इस संबंध में अंतिम निवेदन के साथ छोड़ देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोटक बैंक ने

सी. ओ. सी. की दिनांक आई. डी. 1 की 12 वीं बैठक में भाग लिया और प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 10.4 को देखते हुए कल्पराज की समाधान योजना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. आई. ए. एल. एक 100% सहायक कंपनी थी कोटक बैंक और इस तरह, कल्पराज की समाधान योजना पर विचार करने के लिए इसका समझौता के. आई. ए. एल. द्वारा छूट और स्वीकृति के बराबर होगा।

130. इस सवाल का जवाब इस अदालत ने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिया है।

और एक और। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगा:

" 257. एक होल्डिंग कंपनी और डब्ल्यू. ओ. एस. के बीच कानूनी संबंध यह है कि वे दो अलग-अलग कानूनी व्यक्ति हैं और होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की संपत्ति का मालिक नहीं है और, कानून में,

सहायक कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन भी उसके निदेशक मंडल में निहित है। बाचा एफ. गुज़दार बनाम। सी. आई. टी. [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 74], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शेयरधारकों का एकमात्र अधिकार लाभांश प्राप्त करना है यदि और जब कंपनी इसे घोषित करती है, परिसमापन आय में भाग लेना और शेयरधारकों की बैठक में मतदान करना। कैरू एंड कंपनी लिमिटेड का भी संदर्भ लें। भारत संघ [(1975) 2 एस. सी. सी. 791] और कैरास्को इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड v. प्रवर्तन निदेशालय

[(1994) 79 कम्प कैस 631 (डेल)] "।

131. उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में आपत्ति खारिज की जानी चाहिए।

44 (2012) 6 एस. सी. सी. 613 कल्पराज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

132. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि के. आई. ए. एल. ने नियत तिथि के बाद योजना प्रस्तुत करने वाले किसी अन्य आवेदक की भागीदारी पर आपत्ति जताई थी।

अंतिम प्रपत्र 'जी' के अनुसार और अपनी आपत्ति को दोहराते हुए, हमारा विचार है कि यह नहीं माना जा सकता है कि संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करके भाग लेने के बाद, के. आई. ए. एल. को स्वीकृति और छूट के आधार पर प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि,

संशोधित योजनाओं को "पूर्वाग्रह के बिना" शब्दों के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, हमारे विचार में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, के. आई. ए. एल. के पास प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 11.2 को देखते हुए अपनी संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालाँकि, अगर उसने जवाब नहीं दिया होता, तो उसे मैदान से बाहर होने का जोखिम उठाना पड़ता था। जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, पार्टी का आचरण इसके लिए प्रासंगिक है

यह विचार करते हुए कि क्या यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि कोई मामला छूट या सहमति से बनाया गया है।

133. अपीलकर्ताओं में से कोई भी यह स्थापित करने की स्थिति में नहीं रहा है कि के. आई. ए. एल. ने इसका सहारा लेने के अपने अधिकारों को छोड़ दिया था/समर्पण कर दिया था। कानूनी उपाय। किसी भी मामले में, अपीलार्थी यह भी स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे कि इस तरह की किसी छूट या सहमति के कारण किसी भी अपीलार्थी ने अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति में बदलाव किया था।

134. इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि के. आई. ए. एल. ने छूट दी थी या

आर. पी. या सी. ओ. सी. के निर्णय को चुनौती देने के अपने अधिकारों को स्वीकार किया।

(iii) एक साथ एन. सी. एल. ए. टी. कानून में सही था।

कल्पराज की समाधान योजना को स्वीकार करने के सी. ओ. सी. के निर्णय में हस्तक्षेप करना?

135. उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 और 31 का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। — (1) एक समाधान आवेदक एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है।

यह कहते हुए कि वह सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर के लिए धारा 29-ए के तहत पात्र है।

(2) समाधान पेशेवर प्रत्येक संकल्प की जांच करेगा।

प्रत्येक समाधान योजना की पुष्टि करने के लिए उसे प्राप्त योजना -

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है; जेपीआरईएमई कोर्ट रिपोर्ट

परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जाता है जो इससे कम नहीं होगा।

((i)

घटना में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि

धारा के तहत निगमित देनदार का परिसमापन 53 ; या

((ख)

ऐसी राशि जिसका भुगतान किया गया होगा

लेनदार, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि को तदनुसार वितरित किया गया था धारा की उप -धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के साथ

53 ,

जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, जो इसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं

समाधान योजना, इस तरह से निर्दिष्ट की जा सकती है बोर्ड, जो निगम के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को दी जाने वाली राशि से कम नहीं होगा।

ऋणी।

स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरुआत (संशोधन) अधिनियम, 2019, इस खंड के प्रावधान

निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होता है।

जहाँ समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई है या

((i)

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत;

((ख)

61 या धारा 62 या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित नहीं है;
या

((ग) जहाँ किसी मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

न्यायनिर्णायक के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय

समाधान योजना के संबंध में प्राधिकरण;] राज धर्मशी बनाम।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

((ग)

निगम के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है समाधान योजना की मंजूरी के बाद देनदार;

((घ)

समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई)

लागू होने का समय; ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं

( )

बोर्ड द्वारा।

स्पष्टीकरण। खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम के तहत शेयरधारकों की कोई मंजूरी आवश्यक है,

2013 (18 2013 का) या समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उस समय लागू कोई अन्य कानून, जैसे

यह माना जाएगा कि अनुमोदन दिया गया है और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

(3) समाधान पेशेवर अनुमोदन के लिए ऋणदाताओं की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो इसकी पुष्टि करती हैं।

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें। (4) लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद और

व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो ऋणदाताओं के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है

धारा 53 की उप-धारा (1), जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं] और ऐसे अन्य

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली आवश्यकताएँ:

बशर्ते कि लेनदारों की समिति अनुमोदन नहीं करेगी

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29-ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को समिति द्वारा अनुमति दी जाएगी - लेनदार धारा 29-ए के खंड (सी) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने के लिए ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक न हो:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा, और निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।]

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) द्वारा संशोधित धारा 29-ए में पात्रता मानदंड

अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश। 2018 का 6) उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है। (संशोधन) अध्यादेश, 2018।

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना

माना जाता है: बशर्ते कि प्रस्ताव आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा न हो।

31. समाधान योजना की स्वीकृति। — (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगी जो बाध्यकारी होगी।

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले, यह संतुष्ट करना कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, -

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश

धारा 14 के तहत प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख)

समाधान पेशेवर संबंधित सभी अभिलेखों को अग्रेषित करेगा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए।

और बोर्ड को दी जाने वाली समाधान योजना को दर्ज किया जाना है

डाटाबेस।

(4) समाधान आवेदक, संकल्प के अनुसार होगा।

उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित योजना, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें

एक अवधि के भीतर तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत आवश्यक

द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष का

उप-धारा (1) के तहत या ऐसी अवधि के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जैसा कि ऐसी विधि में उपबंध किया गया है, जो भी बाद में हो:

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में कोई प्रावधान हो

संयोजन के लिए, जैसा कि प्रतियोगिता की धारा 5 में संदर्भित है अधिनियम, 2002 (2003 का 12), समाधान आवेदक को प्राप्त होगा

उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी

समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले

लेनदार "।

136. उपरोक्त प्रावधानों पर हाल ही में विचार किया गया है

इस न्यायालय के तीन निर्णय। पहला, के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें हममें से एक (ए. एम. खानविलकर, जे.) एक पक्षकार थे, और एस्सार स्टील इंडिया के लेनदारों की समिति के मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए दो अन्य निर्णय।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ऊपर) और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य 45 के माध्यम से सीमित।

137. एस्सार के लेनदारों की समिति के मामले में यह न्यायालय

स्टील इंडिया लिमिटेड ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (उपरोक्त) के माध्यम से निर्धारित किया है

2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति (बी. एल. आर. सी.) रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण, जो इस प्रकार हैं:

" 56. इस मोड़ पर, प्रासंगिक उद्धरण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त प्रतिनिधि से

" 2. कार्यकारी सारांश

*

*

दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

***

45 (2020) 11 एस. सी. सी. 467 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति का मानना है कि केवल एक ही सही मंच है

ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए: एक लेनदार समिति, जहाँ सभी वित्तीय लेनदारों के पास है

उनके द्वारा रखे गए ऋण की मात्रा के अनुपात में मतदान करें। अतीत में, भारत में कानूनों ने इस प्रश्न में सरकार (विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका) के हथियार लाए हैं। समिति द्वारा इससे सख्ती से बचा गया है। उपयुक्त

एक चूककर्ता फर्म का निपटान एक व्यावसायिक निर्णय है, और केवल लेनदारों को ही इसे करना चाहिए।

***

5. कानूनी संस्थाओं के लिए प्रक्रिया

* * *

लेनदार समिति द्वारा व्यावसायिक निर्णय व्यवसाय के मामलों पर सभी निर्णय वित्तीय लेनदारों की एक समिति द्वारा लिए जाएंगे। इसमें प्रस्तावों का मूल्यांकन करना शामिल है -

इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखें, जिसमें व्यवसाय या इकाइयों की बिक्री, सेवानिवृत्ति या ऋण पुनर्गठन के बारे में निर्णय शामिल हैं। ऋणी लेनदार समिति में एक गैर-मतदान सदस्य होगा, और उसे सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। लेनदार समिति का मतदान बहुमत से होगा, जहां बहुमत की अधिक आवश्यकता होती है।

वजन के हिसाब से 75 प्रतिशत से अधिक वोट।

***

दिवालियापन के समाधान के लिए कोई निर्देश नहीं

इकाई को चालू रखने के लिए समाधान का चुनाव

ऋणदाता समिति द्वारा चिंता पर मतदान किया जाएगा। प्रस्तावों पर कोई बाधा नहीं है कि संकल्प

पेशेवर लेनदार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य

ऋणदाता समिति के बहुमत मत की तुलना में, समाधान पेशेवर को न्यायनिर्णायक को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि अंतिम समाधान तीन अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। पहला यह है कि समाधान के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी अंतरिम वित्त और दिवाला समाधान प्रक्रिया की

लागत के पुनर्भुगतान की आवश्यकता होनी चाहिए। अन्य भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। दूसरा, योजना में स्पष्ट रूप से उन सभी लेनदारों को भुगतान शामिल होना चाहिए जो समाधान लागू होने के बाद एक उचित अवधि के भीतर लेनदारों की समिति में नहीं हैं। अंत में, योजना को इकाई के कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए, जबकि

समाधानों को लागू करना।

*** ए. जे. धरमशी बनाम कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

5.3. 1 . आई. आर. पी. की शुरुआत में कदम

***

बहुमत वोट में बहुमत वोट प्राप्त करने के बाद किसी भी असंतुष्ट लेनदारों पर एक विकल्प भी शामिल होगा। ..... समिति ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि ऋणदाता समिति में किसे होना चाहिए, जिसे ऋणदाता समिति की शक्ति दी गई है -

अंततः इकाई को एक चालू संस्था के रूप में रखें या इसे समाप्त कर दें। समिति ने तर्क दिया कि लेनदारों की समिति के सदस्यों को मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ लेनदार होना चाहिए

व्यवहार्यता, साथ ही बातचीत में मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार होना। आम तौर पर, परिचालन लेनदार न तो संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं

इकाई की दिवालियापन, और न ही इकाई के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए भुगतान स्थगित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने के लिए संहिता यह प्रावधान करेगी कि लेनदारों की समिति को केवल वित्तीय मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

लेनदार।

5.3. 3 . आई. आर. पी. में दिवालियापन का समाधान प्राप्त करना

समिति की राय है कि समाधान प्रस्तावित करने के लिए समग्र बाजार को अनुमति दी जानी चाहिए।

इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखना। चूंकि संभावित समाधानों का तरीका और प्रकार उस समय और वातावरण के लिए विशिष्ट है जिसमें दिवालियापन दिखाई देता है, इसलिए समय के साथ और बाजार के विकास के साथ इसके विकसित होने की उम्मीद है। आई. आर. पी. की शेष बाधाओं के भीतर इकाई को पूर्वाग्रह के बिना जारी रखने के लिए संहिता सभी प्रकार के समाधानों के लिए खुली होगी। इसलिए, दिवाला को कैसे हल किया जाना है, यह संहिता में निर्धारित नहीं किया जाएगा। संहिता में उन संभावित तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिनमें इकाई का व्यवसाय मॉडल, या इसका वित्तीय मॉडल, या दोनों,

इसे बदला जा सकता है ताकि इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखा जा सके।

संहिता में यह नहीं कहा जाएगा कि इकाई को पुनर्जीवित किया जाना है, या ऋण का पुनर्गठन किया जाना है, या इकाई का परिसमापन किया जाना है।

यह निर्णय विचार-विमर्श से आएगा बाजार द्वारा प्रस्तावित समाधानों के जवाब में लेनदारों की समिति।

138. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समिति का विचार था कि दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए केवल एक ही प्रश्न है

और यह प्रावधान किया गया है कि चूक करने वाली फर्म के उचित निपटान के संबंध में निर्णय, जो कि एक व्यावसायिक निर्णय है, केवल लेनदारों द्वारा किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि इकाई को चालू रखने के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन, जिसमें व्यवसाय या इकाइयों की बिक्री, ऋण के पुनर्गठन आदि के बारे में निर्णय शामिल हैं, की आवश्यकता है: वित्तीय लेनदारों की समिति द्वारा लिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए समाधान के विकल्प पर सी. ओ. सी. द्वारा मतदान किया जाएगा और प्रस्तावों पर कोई बाधा नहीं है जो समाधान पेशेवर सी. ओ. सी. को प्रस्तुत कर सकते हैं। समाधान पेशेवर को न्यायनिर्णायक को जिन आवश्यकताओं की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है, वे हैं:

कि समाधान को स्पष्ट रूप से किसी के पुनर्भुगतान की आवश्यकता होनी चाहिए

((i)

अंतरिम वित्त और दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत

अन्य भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा;

((ii) कि योजना में स्पष्ट रूप से उन सभी लेनदारों को भुगतान शामिल होना चाहिए जो उचित अवधि के भीतर लेनदारों की समिति में नहीं हैं।

समाधान लागू होने के बाद; और अंत में

(iii) योजना को समाधानों को लागू करते समय इकाई के कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए।

139. समिति ने यह राय भी व्यक्त की कि समाधान प्रस्तावित करने के लिए समग्र बाजार को अनुमति दी जानी चाहिए।

इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखना। समिति ने राय दी कि दिवाला को कैसे हल किया जाना है या इकाई को कैसे पुनर्जीवित किया जाना है, या ऋण का पुनर्गठन कैसे किया जाना है, इसका विवरण राज धर्मशी V में नहीं दिया जाएगा।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे. 1

& बी कोड लेकिन इस तरह का निर्णय विचार-विमर्श से आएगा

बाजार द्वारा प्रस्तावित समाधानों के जवाब में।

140. के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की

" 32. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, विवाद

सवाल समाधान योजना की मंजूरी की अगली कड़ी के बारे में है

संबंधित निगमित देनदार के. एस. और पी. आई. पी. एल. के सी. ओ. सी. द्वारा

और आई. आई. एल., मतदान के पचहत्तर प्रतिशत से कम के मत से

वित्तीय लेनदारों का हिस्सा; और उनकी शुद्धता के बारे में

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि मतदान हिस्सेदारी का प्रतिशत

आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार हैं - अनिवार्य है। इसके अलावा, क्या यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए खुला है /

इसके अलावा किसी अन्य कारक पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण

आई एंड बी संहिता की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट

समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारक, हो सकते हैं प्रासंगिक? "

(जोर दिया गया)

141. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद

लोरमिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और

546 और आई एंड बी कोड के प्रासंगिक प्रावधान, इस अदालत ने आगे कहा के. शशिधर (ऊपर) में वेद इस प्रकार है:

" 52. जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक "अस्वीकृत" समाधान योजना की प्राप्ति पर

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) से कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अधिक; लेकिन धारा के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है

33 (1) आई एंड बी कोड। विधायिका ने अनुदान नहीं दिया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) अधिकारिता या प्राधिकरण के साथ

जिस पृष्ठभूमि में आई एंड बी संहिता लागू की गई है, वह है यह देखा कि एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है

चूक के कारण ऋण की वसूली में तेजी लाना

कंपनियाँ। नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि का पालन किया जाता है

त्वरित समाधान प्रक्रिया द्वारा 270 दिनों के भीतर पूरा किया जाना

(बाहरी सीमा) जिसमें विफल रहने पर परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है

अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया। पूर्ववर्ती शासन में, निगमित

देनदार अनिश्चित काल तक दिए गए संरक्षण का लाभ उठाना जारी रख सकता है।

ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, सी. ओ. सी. का व्यावसायिक ज्ञान दिया गया है।

बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोच्च स्थिति, के लिए

उल्लिखित प्रक्रियाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करना।

आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित। एक आंतरिक धारणा है

कि वित्तीय लेनदारों को व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है निगमित देनदार और प्रस्तावित की व्यवहार्यता

समाधान योजना। वे पूरी तरह से जाँच के आधार पर कार्य करते हैं।

मतदान, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है। विधायिका, सचेत रूप से, कोई आधार प्रदान नहीं किया है

ऋणदाता या निर्णय लेने से पहले उनका सामूहिक निर्णय प्राधिकरण। इसे गैर-न्यायोचित बना दिया गया है। "

(जोर दिया गया)

142. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायनिर्णायक के लिए खुला नहीं है

सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य कारक पर विचार करने के लिए प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण। यह भी माना गया है कि सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को सर्वोपरि रखा गया है

आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप के बिना स्थिति। यह

इस प्रकार, न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को निगम की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है।

ऋणदाता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते हैं। यह माना गया है कि सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के माध्यम से बैठकों में उचित विचार-विमर्श के बाद व्यक्त की गई राय, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है। यह हो चुका है

अभिनिर्धारित किया कि विधायिका ने व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों के "वाणिज्यिक विवेक" या उनके सामूहिक निर्णय को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देने के लिए जानबूझकर कोई आधार प्रदान नहीं किया है और

सी. ओ. सी. के 'व्यावसायिक ज्ञान' के निर्णय को गैर-न्यायसंगत बनाया गया है।

143. एस्सार स्टील इंडिया के लेनदारों की समिति में यह न्यायालय

कल्पराज धर्मशी v का उल्लेख करने के बाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ऊपर) के माध्यम से सीमित।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

के. शशिधर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि

इस प्रकार:

" 64. इस प्रकार, समिति के बहुमत के निर्णय पर क्या बचा है ऋणदाताओं की संख्या एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" है,

जो स्पष्ट रूप से योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है, जिसमें शामिल हैं

विभिन्न वर्गों के बीच निधियों के वितरण का तरीका

लेनदार। एक उदाहरण के रूप में, एक समाधान योजना का मामला लें जो

बिजली बकाया के भुगतान का प्रावधान नहीं करता है। यह निश्चित रूप से

एक संशोधन का सुझाव देने के लिए लेनदारों की समिति के लिए खुला

संभावित समाधान आवेदक इस प्रभाव के लिए कि इस तरह के बकाया

पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि व्यवसाय का संचालन किया जा सके

निगमित ऋणी के लिए असंभव नहीं हो जाता है इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक तत्व

व्यवसाय, अर्थात्, बिजली। यह, बदले में, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है परिणामी संशोधन के साथ समाधान आवेदक

निधियों का वितरण, एक निश्चित प्रकार को भुगतान प्रदान किया जा रहा है

महत्वपूर्ण यह है कि यह इस बहुमत का व्यावसायिक ज्ञान है। लेनदारों का जो बातचीत के माध्यम से निर्धारित करना है

संभावित समाधान आवेदक, कैसे और किस में

जिस तरह से निगमित समाधान प्रक्रिया होनी है।

(जोर दिया गया)

144. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बहुमत के निर्णय के लिए क्या बचा है

सी. ओ. सी. एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" है, जिसे योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें योजना बनाने का तरीका भी शामिल है।

ऋणदाताओं के विभिन्न वर्गों के बीच धन का वितरण। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सी. ओ. सी. संभावित समाधान आवेदक को एक संशोधन का सुझाव देने का हकदार है, ताकि निगमित ऋणदाता का व्यवसाय जारी रखना असंभव न हो, जो सुझाव बदले में हो सकता है -

समाधान आवेदक द्वारा धन के वितरण आदि के रूप में परिणामी संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो महत्वपूर्ण है, वह है अधिकांश लेनदारों का वाणिज्यिक विवेक, जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से यह निर्धारित करना है कि निगमित समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरीके से होनी है।

145. के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण और

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति [2021] 2 एस. सी. आर.

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (उपर्युक्त) को दोहराया है।

146. इस न्यायालय के सभी उपरोक्त तीन निर्णयों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का दायरा

प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) पर भी विस्तार से विचार किया गया है। के. शशिधर (ऊपर) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 55 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 55. जबकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का विवेक

धारा 31 द्वारा वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच तक सीमित है। उस जांच में भी, जिन आधारों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है, वे धारा 30 (2) में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में हैं, जब समाधान योजना उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। अनुभाग पर लौटना 30 (2) , की जाने वाली जांच इस संबंध में है कि क्या समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) दिवाला समाधान प्रक्रिया का भुगतान

निगमित देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान की प्राथमिकता में एक निर्दिष्ट तरीके से लागत, (ii) निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान, (iii) प्रबंधन

निगमित ऋणी के कार्य, (iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण, (v) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, (vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान के दौरान अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करना। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि विभिन्न कारकों का एक मिश्रित बोझ होना तय है। स्पष्ट रूप से, प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और समाधान आवेदक की सामान्य क्षमता के बारे में उनकी धारणाओं को शामिल करते हुए अनुमानित योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए। समाधान आवेदक ने मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए होंगे। लेकिन
फिर भी असहमत वित्तीय लेनदारों की राय में, यह राज धर्मशी बनाम होगा।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

अटकलबाजी से मुक्त न हों। ये पहलू पूरी तरह से वित्तीय लेनदारों के दायरे में आते हैं, जिन पर विचार किया जाता है।

सूचना एवं प्रसारण की धारा 30 (4) के तहत संकल्प योजना पर मतदान करना।

कोड "।

147. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 31 के तहत एक जांच में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को जिस ईडी जांच की अनुमति दी गई है, वह है -

उसे समाधान योजना प्रदान करती है:

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान

((i)

निगमित देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान को प्राथमिकता देते हुए निर्दिष्ट तरीके से,

परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान

((ख)

निर्धारित तरीके से,

(iii)

निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन,

((iv)

समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण, योजना उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है,

(vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

बोर्ड द्वारा।

148. निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना आगे भी प्रासंगिक होगा।

के. शशिधर (ऊपर) में न्यायालय:

57. ..... निर्विवाद रूप से, अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता की चौड़ाई और अपील के आधारों सहित अपील का उपचार क़ानून का एक हिस्सा है। अधिकारिता निवेश करने वाले प्रावधान और

एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. टी. में प्राधिकरण, जैसा कि पहले देखा गया है, नहीं बनाया गया है

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं करने का वाणिज्यिक निर्णय

समाधान योजना या उसे अस्वीकार करना, न्यायसंगत है। यह

स्थिति को निर्दिष्ट सीमित आधारों से प्रबलित किया जाता है

समाधान योजना "धारा 31 के तहत। सबसे पहले, कि अनुमोदित समाधान योजना वर्तमान में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। दूसरा, निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान "समाधान पेशेवर द्वारा" शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है। तीसरा, बकाया ऋण

समाधान योजना में निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों का प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा, अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान योजना लागत का प्रावधान नहीं किया गया है। पाँचवाँ, समाधान योजना किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का पालन नहीं करती है।

आधार-चाहे वह धारा 30 (2) के तहत हो या धारा 61 (3) के तहत। आई एंड बी कोड-"अनुमोदित" की वैधता का परीक्षण करने के संबंध में हैं।

सीओसी द्वारा समाधान योजना; और समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए नहीं

जिसके द्वारा अस्वीकृत या अस्वीकृत माना गया है

सी. ओ. सी. अपने व्यावसायिक निर्णय के अभ्यास में "।

[जोर दिया गया]

149. अतः यह स्पष्ट होगा कि यह न्यायालय स्पष्ट शब्दों में,

अभिनिर्धारित किया कि अपील कानून का एक सृजन है और कानून ने समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के साथ अधिकार क्षेत्र और अधिकार का निवेश नहीं किया है।

150. स्थिति निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट की गई है

के. शशिधर (ऊपर) के मामले में निर्णय का अनुच्छेद 59, जो इस प्रकार है:

" 59. हमारे विचार में न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और न ही

अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को यह अधिकार दिया गया है कि

असहमति के व्यावसायिक ज्ञान को उलटने का अधिकार क्षेत्र

वित्तीय लेनदार और वह भी इस विशिष्ट आधार पर कि यह है केवल अल्पसंख्यक वित्तीय लेनदारों की राय "।

151. एस्सार स्टील इंडिया के लेनदारों की समिति में यह न्यायालय

के. शशिधर (ऊपर) में कुछ अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ऊपर) के माध्यम से सीमित इस प्रकार देखा गया:

" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, जो

किसी भी परिस्थिति में किसी व्यावसायिक निर्णय पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है

ऋणदाताओं की समिति का बहुमत, चार के भीतर होना चाहिए

जहां तक न्यायनिर्णायक का संबंध है, संहिता की धारा 30 (2) के कोने

प्राधिकरण का संबंध है, और धारा 32 की धारा 61 (3) के साथ पढ़ा जाता है

संहिता, जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण का संबंध है, ऐसी समीक्षा के मापदंडों को स्पष्ट रूप से के में निर्धारित किया गया है।

शशिधर "

152. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि

सीमित न्यायिक समीक्षा, जो उपलब्ध है, किसी भी परिस्थिति में सी. ओ. सी. के बहुमत द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

153. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में,

एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. कल्पराज धर्मशी बनाम के संबंध में अपीलार्थी की योजना को मंजूरी दी थी।

कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

यूनाइटेड सीमलेस टुबुलार (पी) लिमिटेड। अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि उसमें अपीलार्थी को अग्रिम भुगतान बढ़ाकर एक लाख रुपये कर देना चाहिए। 597.54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करके "वित्तीय लेनदारों", "परिचालन लेनदारों" और अन्य लेनदारों को। 120.54 करोड़। एनसीएलएटी आगे निर्देश दिया कि "समाधान आवेदक" रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा। 120.54 Rs.477 करोड़ के अलावा 30 दिनों के भीतर उक्त राशि एस्क्रो खाते में जमा करें, 'समाधान योजना' के अनुमोदन के आदेश को अलग रखा जाना था। अपील को स्वीकार करते हुए और एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देशों को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 30. अपीलीय प्राधिकरण, हमारी राय में, वाणिज्यिक ज्ञान के बजाय न्यायसंगत धारणा पर आगे बढ़ा है। चेहरे पर

इसमें से, परिसंपत्तियों को उसके परिसमापन मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर जारी करना, जो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया है, असमान प्रतीत होता है। यहाँ, हम महसूस करते हैं कि न्यायालय को वाणिज्यिक विवेक को आधार देना चाहिए

ऋणदाता मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय। संहिता की योजना ऐसी है। संहिता की धारा 31 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाधान योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना होगा कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकता का पालन किया गया है। संहिता की धारा 31 (1) के परंतुक में एक अन्य बिंदु निर्धारित किया गया है जिस पर एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाना है। वह कारक यह है कि समाधान योजना में प्रावधान हैं।

इसे लागू करने के लिए। द्वारा हस्तक्षेप का दायरा

सीमित न्यायिक समीक्षा में निर्णय लेने का अधिकार निर्धारित किया गया है।

एस्सार स्टील में [एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की समिति लेनदार v. सतीश कुमार गुप्ता, (2020) 8 एस. सी. सी. 531], प्रासंगिक परिच्छेद (पैरा 54) जिसे हमने इस निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया है। एम. एस. एल. का मामला उनकी अपील में है कि वे कंपनी चलाना चाहते हैं और अधिक धन का निवेश करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि अपीलीय प्राधिकारी को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था।

अपने कोष प्रवाह को बढ़ाने के लिए सफल समाधान आवेदक

सामने "।

154. इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को प्रस्ताव का आकलन करने के बजाय लेनदारों के व्यावसायिक विवेक को आधार देना चाहिए मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर योजना बनाना। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय प्राधिकारी को [2021] 2 एस. सी. आर. के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

सफल समाधान आवेदक को अपने निधि प्रवाह को अग्रिम रूप से बढ़ाने के लिए निर्देश देकर प्राधिकरण का निर्णय लेना। 155. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि विधायी योजना, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्याख्या की गई है, स्पष्ट है। द.

आई एंड बी कोड की धारा 30 और 31 के तहत प्रदान किए गए सीमित दायरे को छोड़कर, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। 156. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आग्रह किया जाना चाहिए कि चूंकि आर. पी. द्वारा शक्तियों के प्रयोग में एक भौतिक अनियमितता हुई है, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी.

आई एंड बी संहिता की धारा 61 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के प्रावधानों को देखते हुए शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित है

आर. पी. हालांकि, यह देखा जा सकता है कि आर. पी. के सभी कार्यों पर सी. ओ. सी. की मंजूरी की मुहर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. पी. के लिए एक और प्रपत्र 'जी' जारी करना संभव था, यदि उसने पाया कि अंतिम प्रपत्र 'जी' में निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि, आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. का यह निरंतर रुख रहा है कि आर. पी. की सभी कार्रवाइयां, जिसमें नियत समय के बाद कल्पराज की समाधान योजनाओं की स्वीकृति भी शामिल है। तिथि, यद्यपि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आई एंड बी कोड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति से पहले, सी. ओ. सी. द्वारा सचेत रूप से अनुमोदित की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सी. ओ. सी. का निर्णय 84.36% के भारी बहुमत से लिया जाता है। एकमात्र लेनदार जिसने के. आई. ए. एल. के पक्ष में मतदान किया वह कोटक बैंक है, जो के. आई. ए. एल. की एक होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास 0.97% का मतदान अधिकार है। हमारा विचार है कि सर्वोपरि महत्व को देखते हुए

सी. ओ. सी. के निर्णय को देखते हुए, जिसे 'वाणिज्यिक ज्ञान' के आधार पर लिया जाना है, सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय में हस्तक्षेप करने में एन. सी. एल. ए. टी. कानूनी रूप से सही नहीं था।

84.36 % . 157. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा 28.11.2019 पर कल्पराज की समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, कल्पराज की शुरुआत हो गई थी।

समाधान योजना को लागू करना। एन. सी. एल. ए. टी. ने 27.2.2020 पर अपीलों पर सुनवाई की थी और उन्हें आदेशों के लिए सुरक्षित रखा था। यह विवाद में नहीं है कि आदेशों के लिए मामलों को आरक्षित करते हुए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा कोई रोक नहीं दी गई थी। पाँच महीने और आठ दिनों के अंतराल के बाद, NCLAT ने 5.8.2020 पर अंतिम आदेश पारित किया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि लंबे समय तक,

कल्पराज की समाधान योजना के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। यह कल्पराज, आर. पी., सी. ओ. सी. और डॉयचे बैंक का मामला है कि उक्त अवधि के दौरान कल्पराज ने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी राशि खर्च करके विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि के. आई. ए. एल. द्वारा इस पर विवाद करने की कोशिश की गई है।

हालाँकि, हम कल्पराज धर्मशी बनाम करते हैं। कोटाक निवेश सलाहकार लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

13.8.2020 पर के. आई. ए. एल. हालाँकि, चूंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. का दिनांकित 5.8.2020 का निर्णय कानून की जांच के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसके बाद के. आई. ए. एल. की समाधान योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए। सी. ओ. सी. द्वारा गैर-कानूनी हो जाता है। क्योंकि यह केवल एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देशों का पालन करने के लिए था। हमारा मानना है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। सी. ओ. सी. दिनांक 13/14.2.2019 का निर्णय एक निर्णय है, जो अपने 'वाणिज्यिक विवेक' का प्रयोग करते हुए लिया गया है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि सी. ओ. सी. द्वारा दिनांक 13/14.2.2019 पर लिया गया निर्णय, जो इसके अनुसार लिया गया है।

' वाणिज्यिक ज्ञान और जो एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत अनुमोदित है, प्रबल होगा। इसके अलावा, सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए कथित निर्णय में हस्तक्षेप करना एन. सी. एल. ए. टी. के लिए उचित नहीं था।

159. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि सिविल अपील सं। 2943-2944 कल्पराज द्वारा दायर 2020 की सिविल अपील संख्या। 2949-2950 में से

2020 आर. पी. और सिविल अपील सं. 3138-3139 डॉयचे बैंक द्वारा दायर 2020 की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 5.8.2020 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांकित 28.11.2019 द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाता है और

बनाए रखा।

प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ उसके द्वारा दायर अपील अभी भी एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित है। पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष में गए बिना, हम एन. सी. एल. ए. टी. को कानून के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में, आज से दो महीने की अवधि के भीतर, फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। 161. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन